खण्ड-111, अंक-1
सोमवार, 14 आश्विन, शक संवत् 1874
(6 अक्टूबर, 1952 ई0)

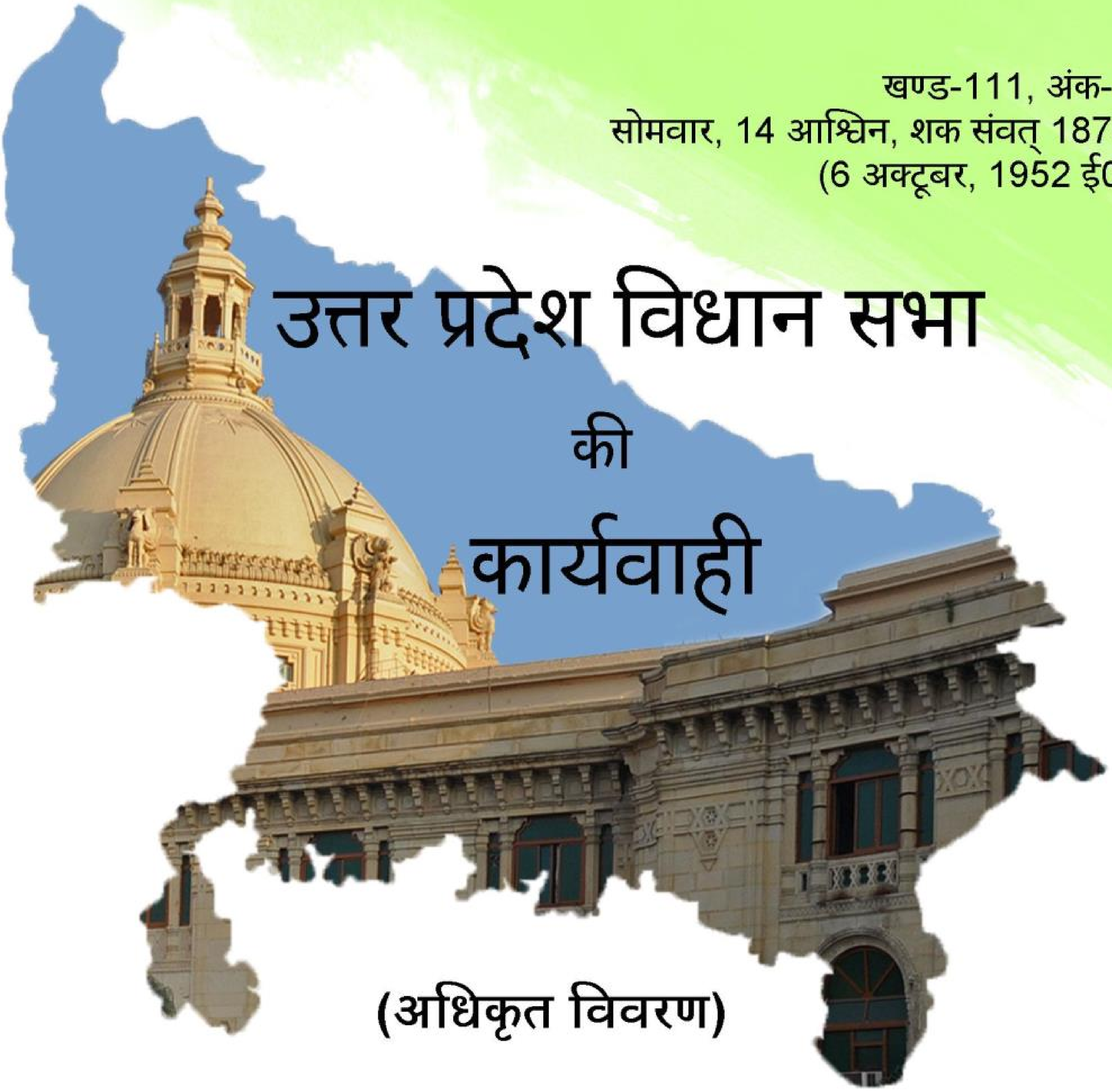

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 111 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

खंड १११

सोमवार, ६ अक्तूबर, १९५२

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१–४
प्रश्नोत्तर	५–२६
सभा के अनुमोदन के बिना करों में वृद्धि करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	२६
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२ (प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया गया) ..	२६
वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद (समाप्त)	२६–६६
श्री राजाराम के त्यागपत्र देने से १९५२–५३ के लिये वित्त समिति में रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्य-क्रम ..	६६
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली की स्वीकृति के संबंध में सूचना	६६
नस्थियां	६७–८८

मङ्गलवार, ७ अक्तूबर, १९५२

उपस्थित सदस्यों की सूची	८९–९३
प्रश्नोत्तर	९३–११८
विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (स्थगित किया गया) ..	११८
सरकार पर नियम १९(२) तथा १५३(२) की उपेक्षा करने का आरोप ..	११९–१२१
वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के लिये अनुपूरक मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी (स्वीकृत) ..	१२२
अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९–ख—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर) (स्वीकृत) ...	१२३–१२५
अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई और जल विद्युत् स्थापना पर व्यय (स्वीकृत) ...	१२६–१२८
अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (स्वीकृत)	१२८–१३८
अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (स्वीकृत)	१३८–१५२
अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा (स्वीकृत)	१५२–१५६
अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जनस्वास्थ्य (स्वीकृत) ...	१५६

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा (स्वीकृत) ...	१५७
अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि सम्बन्धी विकास और खोज (स्वीकृत)	१५७-१५९
अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--पशु चिकित्सा (स्वीकृत) ...	१५९
अनुदान संख्या २६--लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क--विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय (स्वीकृत)	१५९
अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग (स्वीकृत) ...	१५९
अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य--निर्माण कार्यों पर लागत (स्वीकृत)	१५९
अनुदान संख्या ३२--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता (स्वीकृत) ...	१५९
अनुदान संख्या ३३--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा (स्वीकृत)	१५९
अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (स्वीकृत)	१६०
अनुदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत) ..	१६०
अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय (स्वीकृत) ..	१६०
अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय (स्वीकृत)	१६०
अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण (स्वीकृत) ..	१६०
अनुदान संख्या ४६--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत (स्वीकृत)	१६०
अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक ८--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण (स्वीकृत)	१६०
प्राक्कलन समिति के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना	१६१
नत्थियां	१६२-१६७
बुधवार, ८ अक्तूबर, १९५२	
उपस्थित सदस्यों की सूची	१६९-१७३
प्रश्नोत्तर	१७३-१८८
श्री ईश्वरी सिंह द्वारा मेरठ जेल में भूख-हड़ताल करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	१८८-१९१
अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर देने में विलम्ब ..	१९१-२०१
१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का प्रथम पूरक) विधेयक (पारित)	२०१-२३८
मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा कार्यविधि के नियमों के सम्बन्ध में संकल्प (विचार जारी) ...	२३८-२३९

विषय	पृष्ठ संख्या
नस्थियां	२४०–२४६

बृहस्पतिवार, ९ अक्तूबर, १९५२

उपस्थित सदस्यों की सूची	२४७–२५१
प्रश्नोत्तर	२५१–२७२
विशेषाधिकार की अवहेलना के संबन्ध में प्रार्थना–पत्र ..	२७२
इटावा म्युनिसिपल बोर्ड की कुछ कार्यवाहियों के विरुद्ध श्री अर्जुनसिंह के अनशन के संबन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	२७२
उत्तर प्रदेशीय संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के एक रिक्त स्थान के लिये विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	२७२
जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ (पुरः स्थापन स्थगित)	२७२
उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) विधेयक, १९५२ (पुरः स्थापित किया गया)	२७३
मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा कार्यविधि के नियमों के सम्बन्ध में संकल्प (प्रस्तावित संशोधनों पर विचार जारी)	२७३–३१६
प्राक्कलन समिति के दो रिक्त स्थानों के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	३१६
वित्त समिति के एक रिक्त स्थान के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम ...	३१६
नस्थियां	३१७–३३३

शुक्रवार, १० अक्तूबर, १९५२

उपस्थित सदस्यों की सूची...	३३५–३३९
प्रश्नोत्तर	३३९–३५२
कानपुर म्युनिसिपैलिटी के अध्यापकों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३५२
कार्य–क्रम की विभिन्न मदों के लिये समय–विभाजन की प्रार्थना (अस्वीकृत)	३५२–३५३
जनता का नैतिक स्तर ऊंचा करने के सम्बन्ध में संकल्प (वापस लिया गया) ..	३५३–३७१
उत्तर प्रदेश अवैतनिक जन–सेवक (ग्रामीण) संरक्षण विधेयक, १९५२ (प्रस्तुत करने के लिये अनुमति का प्रस्ताव वापस लिया गया) ...	३७१–३७५
खेत–मजदूरों की मजदूरी निश्चित करने के सम्बन्ध में संकल्प (विवाद जारी)	३७५–३९७
बैठक का कार्य–काल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	३९७
खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में श्री देवकी नन्दन विभव द्वारा २४ सितम्बर, १९५२ को पूछे गये प्रश्नों के विषय पर विवाद ..	३९७–४०२

बिधान सभा प्रदेश

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ।

मन्त्रि-परिषद्

श्री गोविन्दवल्लभ पंत, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, सहकारिता और नियोजन मंत्री ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री ।

श्री हुकुमसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, उद्योग तथा पुनर्वासन मंत्री ।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मंत्री ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक-कर मंत्री ।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री ।

श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री ।

श्री मोहनलाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), स्वशासन मंत्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, परिवहन मंत्री ।

उप-मन्त्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री ।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, नियोजन उपमंत्री ।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उपमंत्री ।

श्री मुजफ्फर हसन, एम० एल० ए०, कारावास उपमंत्री ।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री ।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री ।

सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री के सभा सचिव ।

श्री बलदेवसिंह आर्य, एम० एल० ए०
श्री बनारसीदास, एम० एल० ए०
} अन्न मंत्री के सभा सचिव ।

श्री रऊफ जाफरी, एम० ए०, एम० एल० ए०, उद्योग मंत्री के सभा सचिव ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य, बी० ए०, एल-एल० बी, एम० एल० ए०, माल मंत्री के सभा सचिव ।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी-एच० डी०, एम० एल० ए०, शिक्षा मंत्री के सभा सचिव ।

विधान सभा मुजफ्फरपुर

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

१—अंसमान सिंह, श्री .. बस्ती (पूर्व)।
२—अक्षयवर सिंह, श्री .. गोरखपुर (दक्षिण पूर्व)।
३—अजीज इमाम, श्री . मिर्जापुर (दक्षिण)।
४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री .. रुड़की (दक्षिण)।
५—अनन्तस्वरूप सिंह, श्री .. फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)।
६—अब्दुल मुईज खां, श्री .. खलीलाबाद (मध्य)।
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री .. फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)।
८—अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री .. मिर्जापुर (उत्तर)।
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री .. उतरौला (दक्षिण)।
१०—अली जहीर, श्री सैयद .. लखनऊ नगर (मध्य)।
११—अवधशरण वर्मा, श्री .. फतेहपुर (उत्तर)।
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री .. छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)।
१३—अवधेशप्रताप सिंह, श्री .. बीकापुर (पूर्व)।
१४—अशरफ़ अली खां, श्री .. सादाबाद (पूर्व)।
१५—आत्माराम गोविन्द खेर, श्री .. झांसी (पूर्व)।
१६—आर्थर ग्राइस, श्री .. नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय।
१७—आशालता व्यास, श्रीमती . फूलपुर (दक्षिण)।
१८—इरतजा हुसैन, श्री .. बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)।
१९—इसरारुल हक़, श्री .. फिरोजाबाद-फतेहाबाद।
२०—इस्तफ़ा हुसैन, श्री .. गोरखपुर (मध्य)।
२१—उमाशंकर, श्री .. सगरी (पश्चिम)।
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री .. चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)—रामनगर।
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री .. नवाबगंज (दक्षिण) हैदरगढ़—रामसनेहीघाट
२४—उम्मेदसिंह, श्री .. उतरौला (उत्तर-पूर्व)।
२५—उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री .. ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)।
२६—ऐजाज रसूल, श्री .. शाहाबाद (पश्चिम)।
२७—ओंकार सिंह, श्री .. दातागंज (उत्तर)—बदायूं।
२८—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री .. शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)।
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री .. चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)।
३०—कमलासिंह, श्री .. सैदपुर।
३१—कमाल अहमद रिजवी, श्री .. मोहमदी (पूर्व)।
३२—करणसिंह यादव, श्री .. गुन्नौर (उत्तर)।
३३—करनसिंह, श्री .. निघासन-लखीमपुर (उत्तर)।
३४—कल्याण राय, श्री .. हजूर मिलक (उत्तर)।
३५—कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री .. चंदौली (उत्तर)।
३६—कालिकासिंह, श्री .. लालगंज (दक्षिण)।
३७—कालीचरण टंडन, श्री .. कन्नौज (उत्तर)।
३८—काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री .. कादीपुर।
३९—किन्दरलाल, श्री . हरदोई (पूर्व)।
४०—किशनस्वरूप भटनागर, श्री .. खुर्जा।
४१—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री .. सुल्तानपुर (पश्चिम)।
४२—कृपाशंकर, श्री .. हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)।
४३—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री .. सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)।
४४—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री .. ललितपुर (दक्षिण)।

४५--कृष्णशरण आर्य, श्री .. मिलक (दक्षिण)-शाहाबाद ।
४६--केदारनाथ, श्री .. मुरादाबाद (दक्षिण) ।
४७--केवल सिंह, श्री .. सिकन्दराबाद (पूर्व) ।
४८--केशभान राय, श्री .. बांसगांव (मध्य) ।
४९--केशव गुप्त, श्री .. कैराना (उत्तर) ।
५०--केशव पाण्डेय, श्री .. गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)।
५१--केशवराम, श्री .. सहसवान (पूर्व) ।
५२--कैलाशप्रकाश, श्री .. मेरठ नगरपालिका।
५३--खयालीराम, श्री .. अमरोहा (पूर्व) ।
५४--खुशीराम, श्री .. पिथौरागढ़-चम्पावत ।
५५--खूबसिंह, श्री .. धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व) ।
५६--गंगाधर, श्री .. चमोली (पश्चिम)-पौड़ी (उत्तर) ।
५७--गंगाधर जाटव, श्री .. फिरोजाबाद-फतेहाबाद ।
५८--गंगाधर शर्मा, श्री . मिश्रिख ।
५९--गंगाप्रसाद, श्री तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण) ।
६०--गंगाप्रसाद सिंह, श्री .. रसरा (पश्चिम) ।
६१--गजेन्द्रसिंह, श्री .. विधूना (पूर्व) ।
६२--गज्जूराम, श्री .. मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम) ललितपुर (उत्तर) ।
६३--गणेशचन्द्र काछी, श्री .. मैनपुरी (उत्तर)-भोगांव (उत्तर) ।
६४--गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री .. इलाहाबाद नगर (पूर्व) ।
६५--गणेशप्रसाद पांडेय, श्री .. बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम) ।
६६--गिरजाशंकर शुक्ल, श्री .. पट्टी (दक्षिण) ।
६७--गिरधारीलाल, श्री .. धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व) ।
६८--गुप्तारसिंह, श्री .. डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम) ।
६९--गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री .. खजुहा (पश्चिम) ।
७०--गुरुप्रसाद सिंह, श्री .. मुसाफिरखाना (दक्षिण)-अमेठी (पश्चिम) ।
७१--गुलजार, श्री .. मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर) ।
७२--गेंदासिंह, श्री .. पडरौना (पूर्व) ।
७३--गोपीनाथ दीक्षित, श्री इटावा (दक्षिण) ।
७४--गोवर्धन तिवारी, श्री .. अल्मोड़ा (दक्षिण) ।
७५--गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री .. बरेली नगरपालिका ।
७६--गौरीराम, श्री .. फरेंदा (मध्य) ।
७७--घनश्यामदास, श्री .. नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही घाट ।
७८--घासीराम जाटव, श्री .. विधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा (उत्तर) ।
७९--चतुर्भुज शर्मा, श्री .. उरई-जालौन (दक्षिण) ।
८०--चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री .. डलमऊ (पूर्व) ।
८१--चन्द्रभानु गुप्त, श्री .. लखनऊ नगर (पूर्व) ।
८२--चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री .. तराबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण) ।
८३--चन्द्रवती, श्रीमती .. बिजनौर (मध्य) ।
८४--चन्द्र सिंह रावत, श्री .. पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व) ।
८५--चन्द्रहास, श्री .. हरदोई (पूर्व) ।
८६--चरणसिंह, श्री .. बागपत (पश्चिम) ।
८७--चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री .. कोंच ।
८८--चिरंजीलाल जाटव, श्री .. जलेसर-एटा (उत्तर) ।

८९--चिरंजीलाल पालीवाल, श्री .. छिबरामऊ (दक्षिण)-कन्नौज (दक्षिण) ।
९०--चुन्नीलाल सगर, श्री .. बिसौली-गुन्नौर-(पूर्व) ।
९१--छेदालाल, श्री .. शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम) ।
९२--छेदालाल चौधरी, श्री .. लखीमपुर (दक्षिण) ।
९३--जगतनारायण, श्री .. नवाबगंज (उत्तर) ।
९४--जगदीशप्रसाद, श्री .. हसनपुर (दक्षिण)-सम्भल (पश्चिम) ।
९५--जगदीश सरन रस्तोगी, श्री .. सम्भल (पूर्व) ।
९६--जगनप्रसाद रावत, श्री .. खैरगढ़ ।
९७--जगन्नाथप्रसाद, श्री .. निघासन-लखीमपुर (उत्तर) ।
९८--जगन्नाथबख्श दास, श्री .. रामसनेही घाट ।
९९--जगन्नाथ मण्डल, श्री .. पडरौना (उत्तर) ।
१००--जजन्नाथ सिंह, श्री .. बलिया (उत्तर-पूर्व)-बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम) ।
१०१--जगपतिसिंह, श्री .. मऊ-करवी-बवेरू (पूर्व) ।
१०२--जगमोहन सिंह नेगी, श्री .. लैन्सडाउन (पश्चिम) ।
१०३--जटाशंकर शुक्ल, श्री .. पुरवा (उत्तर)-हसनगंज ।
१०४--जयपालसिंह, श्री .. रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर) ।
१०५--जयराम वर्मा, श्री .. अकबरपुर (पश्चिम) ।
१०६--जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री .. खेन-टेहरी (उत्तर) ।
१०७--जवाहरलाल, श्री .. करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण) ।
१०८--जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर .. कानपुर नगर (पूर्व) ।
१०९--जुगलकिशोर, श्री .. मथुरा (दक्षिण) ।
११०--जोरावर वर्मा, श्री .. महोबा-कुलपहाड़-चरखारी ।
१११--ज्वालाप्रसाद सिनहा, श्री .. गोंडा (पश्चिम) ।
११२--झारखंडे राय, श्री .. घोसी (पश्चिम) ।
११३--टीकाराम, श्री .. संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व) ।
११४--डल्लाराम, श्री .. मिश्रिख ।
११५--डालचन्द, श्री .. माठ-सादाबाद (पश्चिम) ।
११६--ताराचन्द माहेश्वरी, श्री .. सिधौली (पश्चिम) ।
११७--तिरमल सिंह, श्री .. कासगंज (उत्तर) ।
११८--तुलसीराम, श्री .. बदायूं (दक्षिण-पश्चिम) ।
११९--तुलाराम, श्री .. औरैया-भरथना (दक्षिण) ।
१२०--तुलाराम रावत, श्री .. मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम) ।
१२१--तेजप्रताप सिंह, श्री .. मौरहा (दक्षिण) ।
१२२--तेजबहादुर, श्री .. लालगंज (उत्तर) ।
१२३--तेजा सिंह, श्री .. गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम) ।
१२४--त्रिलोकीनाथ कौल, श्री .. बहराइच (पश्चिम) ।
१२५--दयालदास भगत, श्री .. घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व) ।
१२६--दर्शनराम, श्री .. मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व) ।
१२७--दलबहादुर सिंह, श्री .. सलोन (दक्षिण) ।
१२८--दाऊदयाल खन्ना, श्री .. मुरादाबाद (उत्तर) ।
१२९--दाताराम, श्री .. नकुड़ (दक्षिण) ।
१३०--दीनदयालु शर्मा, श्री .. अनूपशहर (उत्तर) ।
१३१--दीनदयालु शास्त्री, श्री .. रुड़की (पूर्व) ।
१३२--दीपनारायण वर्मा, श्री .. जौनपुर (पश्चिम) ।
१३३--देवकीनन्दन विभव, श्री .. आगरा ।

१३४—देवदत्त मिश्र, श्री .. पुरवा (दक्षिण)।
१३५—देवदत्त शर्मा, श्री .. बुलन्दशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)।
१३६—देवनन्दन शुक्ल, श्री .. सलीमपुर (पश्चिम)।
१३७—देवमूर्ति राम, श्री .. बनारस (पश्चिम)।
१३८—देवराम, श्री .. सैदपुर।
१३९—देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री .. गोरखपुर (पश्चिम)।
१४०—द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री .. मुजफ्फरनगर (मध्य)।
१४१—द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री .. मड़ियाहूं (उत्तर)।
१४२—द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री .. फरेंदा (दक्षिण)।
१४३—धनुषधारी पाण्डेय, श्री .. खलीलाबाद (दक्षिण)।
१४४—धर्मसिंह, श्री .. बुलन्दशहर-(दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)।
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री .. बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)-बरेली (पश्चिम)।
१४६—नत्थूसिंह, श्री .. आंवों-(पूर्व)-फरीदपुर।
१४७—नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री .. हाथरस।
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री .. पश्चिमीय दून-दक्षिणी-पूर्वीय दून।
१४९—नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री .. पिथौरागढ़-चम्पावत।
१५०—नरोत्तमसिंह, श्री .. दातागंज (दक्षिण)-बदायूं (दक्षिण-पूर्व)।
१५१—नवलकिशोर, श्री .. आंवोला (पश्चिम)।
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री .. मछलीशहर (उत्तर)।
१५३—नाजिम अली, श्री .. मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)।
१५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री .. नैनीताल (उत्तर)।
१५५—नारायणदास, श्री .. फैजाबाद (पूर्व)।
१५६—नारायणदीन, श्री .. पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)।
१५७—निरंजनसिंह, श्री .. पीलीभीत (पूर्व)-बीसलपुर (पश्चिम)।
१५८—निहालुद्दीन, श्री .. बदायूं (उत्तर)।
१५९—नेकराम शर्मा, श्री .. सिकन्दराराव (दक्षिण)।
१६०—नेत्रपालसिंह, श्री .. सिकन्दराराव (उत्तर)-कोइल (दक्षिण-पूर्व)।
१६१—नौरंगलाल, श्री .. नवाबगंज।
१६२—पद्मनाथसिंह, श्री .. मुहम्मदाबाद गोहना (दक्षिण)।
१६३—परमानन्द सिन्हा, श्री .. सोरांव (दक्षिण)।
१६४—परमेश्वरीराम, श्री .. केराकट-जौनपुर (दक्षिण)।
१६५—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री .. महाराजगंज (उत्तर)।
१६६—पहलवानसिंह चौधरी, श्री .. बांदा।
१६७—पातीराम, श्री .. छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)।
१६८—पुत्तूलाल, श्री .. ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)।
१६९—पुद्दनराम, श्री .. बांसी (उत्तर)।
१७०—पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री .. लखनऊ नगर (पश्चिम)।
१७१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती .. हापुड़ (उत्तर)।
१७२—प्रतिपालसिंह, श्री .. शाहजहांपुर (पश्चिम)-जलालाबाद (पूर्व)।
१७३—प्रभाकर शुक्ल, श्री .. हरैया (उत्तर-पश्चिम)।
१७४—प्रभुदयाल, श्री .. बस्ती (पश्चिम)।
१७५—प्रेमकिशन खन्ना, श्री .. पवायां-शाहजहाँपुर (पूर्व)।
१७६—फ़ज़लुलहक, श्री .. रामपुर नगर।
१७७—फतेहसिंह, श्री .. जलेसर-एटा (उत्तर)।
१७८—फतेहसिंह राणा, श्री .. सरधना (पश्चिम)।
१७९—फूलसिंह, श्री .. देवबन्द।

१८०--बद्रीनारायण मिश्र, श्री .. सलीमपुर (दक्षिण)।
१८१--बनारसी दास, श्री .. बुलन्दशहर (मध्य)।
१८२--बलदेव सिंह, श्री .. बनारस (मध्य)।
१८३--बलदेवसिंह आर्य, श्री .. पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)।
१८४--बलवीरसिंह, श्री .. ग़ाजियाबाद (दक्षिण)।
१८५--बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री .. उतरौला (उत्तर)।
१८६--बलवन्तसिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर (पूर्व)-जानसठ (उत्तर)।
१८७--बशीर अहमद हक़ीम, श्री .. सीतापुर (पूर्व)।
१८८--बसन्तलाल, श्री .. कालपी-जालौन (उत्तर)।
१८९--बसन्तलाल शर्मा, श्री .. नानपारा (उत्तर)।
१९०--बाबूनन्दन, श्री .. शाहगंज (पूर्व)।
१९१--बाबूराम गुप्त, श्री .. कासगंज (पश्चिम)।
१९२--बाबूलाल कुसुमेश, श्री .. रामसनेहीघाट।
१९३--बाबूलाल मित्तल, श्री .. आगरा नगर (उत्तर)।
१९४--बालेन्दुशाह, महाराजकुमार .. टेहरी (दक्षिण)-प्रतापनगर।
१९५--बिशम्भर सिंह, श्री .. सरधना (पूर्व)।
१९६--बेचनराम, श्री .. ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)।
१९७--बेचनराम गुप्त, श्री .. ज्ञानपुर (पूर्व)।
१९८--बेनीसिंह, श्री .. कानपुर तहसील।
१९९--बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री .. बांसडीह (मध्य)।
२००--बैजूराम, श्री .. सिधौली (पश्चिम)।
२०१--ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री .. कानपुर नगर (दक्षिण)।
२०२--भगवतीदीन तिवारी, श्री .. जौनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम)।
२०३--भगवतीप्रसाद दुबे, श्री .. बांसगांव (पूर्व)-गोरखपुर (दक्षिण)।
२०४--भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री .. प्रतापगढ़ (पूर्व)।
२०५--भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री .. फतेहपुर (दक्षिण)।
२०६--भगवानदीन मिश्र, श्री .. कैसरगंज (उत्तर)।
२०७--भगवानदीन वाल्मीकि, श्री .. फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)।
२०८--भगवान सहाय, श्री .. तिलहर (दक्षिण)।
२०९--भीमसेन, श्री .. खुर्जा।
२१०--भुवरजी, श्री .. फूलपुर (पूर्व)-हंडिया (उत्तर-पश्चिम)।
२११--भूपाल सिंह खाती, श्री .. अल्मोड़ा (उत्तर)।
२१२--भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री . बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)।
२१३--भोला सिंह यादव, श्री . ग़ाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
२१४--मकसूद आलम खां, श्री .. पीलीभीत (पश्चिम)।
२१५--मंगलाप्रसाद, श्री .. मेजा-करछना (दक्षिण)।
२१६--मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री .. फर्रुखाबाद (पश्चिम)-छिबरामऊ।
२१७--मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री .. बांसी (उत्तर)।
२१८--मदनगोपाल वैद्य, श्री .. फैजाबाद (पूर्व)।
२१९--मदनमोहन उपाध्याय, श्री .. रानी[illegible]त (उत्तर)।
२२०--मन्नीलाल गुरुदेव, श्री .. महो[illegible]ल पहाड़-चरखारी।
२२१--मलखान सिंह, श्री .. कोइल[illegible]ध्य)।
२२२--महमूद अली खां, श्री .. सुमेर-[illegible]-बिलासपुर।
२२३--महमूद अली खां, श्री .. सहारन[illegible]र (उत्तर-पश्चिम)-नकुड़ (उत्तर)।
२२४--महाजन, श्री सी० बी० .. आगरा नगर (पश्चिम)।
२२५--महादेव प्रसाद, श्री .. गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)

२२६--महाराज सिंह, श्री .. शिकोहाबाद (पश्चिम)।
२२७--महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री .. हंडिया (दक्षिण)।
२२८--महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री .. मोहनलालगंज।
२२९--महीलाल, श्री .. बिलारी।
२३०--मान्धाता सिंह, श्री .. रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)।
२३१--मिजाजीलाल, श्री .. करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)।
२३२--मिहरवान सिंह, श्री .. विधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा (उत्तर)।
२३३--मुजफ्फ़र हसन, श्री ... चायल (उत्तर)।
२३४--मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री .. पूरनपुर-बीसलपुर (पूर्व)।
२३५--मुन्नूलाल, श्री .. बिसवां-सिधौली (पूर्व)।
२३६--मुरलीधर कुरील, श्री .. बिल्हौर-अकबरपुर।
२३७--मुश्ताक अली खाँ, श्री .. सहसवान (पश्चिम)।
२३८--मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री .. डुमरियागंज (दक्षिण)।
२३९--मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री .. बिजनौर (उत्तर)--नजीबाबाद (पश्चिम)।
२४०--मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री .. बनारस नगर (उत्तर)।
२४१--मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज .. नगीना (दक्षिण-पश्चिम)-धामपुर (उत्तर-पूर्व)।
२४२--मुहम्मद तक़ी हादी, श्री .. अमरोहा (पश्चिम)।
२४३--मुहम्मद नबी, श्री .. बुढ़ाना (पूर्व)--जानसठ (दक्षिण)।
२४४--मुहम्मद नसीर, श्री .. टांडा।
२४५--मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री .. देवरिया (उत्तर-पूर्व)।
२४६--मुहम्मद मन्ज़ूरुल नबी, श्री .. सहारनपुर नगर।
२४७--मुहम्मद रऊफ़ जाफरी, श्री .. मछलीशहर (दक्षिण)।
२४८--मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री .. उतरौला (मध्य)।
२४९--मुहम्मद सआदत अली खां, राजा .. नानपारा (दक्षिण)।
२५०--मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री .. डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)-बांसी (पश्चिम)।
२५१--मोहनलाल, श्री .. सफीपुर-उन्नांव (उत्तर)।
२५२--मोहनलाल गौतम, श्री .. खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)।
२५३--मोहन सिंह, श्री .. बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)।
२५४--मोहन सिंह शाक्य, श्री .. अलीगंज (दक्षिण)।
२५५--यमुनाप्रसाद, श्री .. बहराइच (पश्चिम)।
२५६--यमुना सिंह, श्री .. गाजीपुर (मध्य)-मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५७--यशोदादेवी, श्रीमती .. बासगांव (दक्षिण-पश्चिम)।
२५८--रघुनाथ प्रसाद, श्री .. मेजा-करछना (दक्षिण)।
२५९--रघुराज सिंह, श्री .. तरबगंज (पश्चिम)।
२६०--रघुवीर सिंह, श्री .. बागपत (दक्षिण)।
२६१--रणञ्जय सिंह, श्री .. अमेठी (मध्य)।
२६२--रतनलाल जैन, श्री .. नजीबाबाद (उत्तर)-नगीना (उत्तर)।
२६३--रमानाथ खैरा, श्री .. महरौनी।
२६४--रमेशचन्द्र शर्मा, श्री ... मरियाहू (दक्षिण)।
२६५--रमेश वर्मा, श्री .. किराउली।
२६६--राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा .. उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)।
२६७--राजकिशोर राव, श्री .. बहराइच (पूर्व)।
२६८--राजकुमार शर्मा, श्री .. चुनार (उत्तर)।
२६९--राजदेव उपाध्याय, श्री .. हाटा (उत्तर)।
२७०--राजनारायण, श्री .. बनारस (दक्षिण)।

२७१—राजनारायण सिंह, श्री .. चुनार (दक्षिण) ।
२७२—राजवंशी, श्री .. पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)-देवरिया। (दक्षिण-पूर्व) ।
२७३—राजाराम, श्री .. अतरौली (दक्षिण)-कोइल (पूर्व) ।
२७४—राजाराम किसान, श्री .. प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुण्डा (उत्तर) ।
२७५—राजाराम मिश्र, श्री .. फैजाबाद (पश्चिम) ।
२७६—राजाराम शर्मा, श्री .. खलीलाबाद (उत्तर) ।
२७७—राजेन्द्रदत्त, श्री .. मुजफ्फरनगर (पश्चिम) ।
२७८—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री .. बिलग्राम (पूर्व) ।
२७९—राधामोहन सिंह, श्री .. बलिया (पूर्व) ।
२८०—रामअधार तिवारी, श्री .. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)।
२८१—रामअधीन सिंह यादव, श्री .. पुरवा (मध्य) ।
२८२—रामअनन्त पाण्डेय, श्री .. बलिया (मध्य) ।
२८३—रामअवधसिंह, श्री .. फ़रेंदा (उत्तर) ।
२८४—रामकिंकर, श्री .. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम) ।
२८५—रामकुमार शास्त्री, श्री .. बांसी (दक्षिण) ।
२८६—रामकृष्ण जैसवार, श्री .. मिर्जापुर (दक्षिण) ।
२८७—रामगुलामसिंह, श्री .. जलालाबाद (पश्चिम) ।
२८८—रामचन्द्र विकल, श्री .. सिकन्दराबाद (पश्चिम) ।
२८९—रामचरण लाल गंगवार, श्री .. बरेली (पश्चिम) ।
२९०—रामजीलाल सहायक, श्री .. मवाना ।
२९१—रामजी सहाय, श्री .. देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम) ।
२९२—रामदास आर्य, श्री .. बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण) ।
२९३—रामदास रविदास, श्री .. अकबरपुर (पश्चिम) ।
२९४—रामदुलारे मिश्र, श्री .. अकबरपुर (दक्षिण) ।
२९५—रामनरेश शुक्ल, श्री .. कुण्डा (दक्षिण) ।
२९६—रामनाथ तिवारी, श्री .. देवरिया (दक्षिण) ।
२९७—रामनारायण त्रिपाठी, श्री .. अकबरपुर (पूर्व) ।
२९८—रामप्रसाद, श्री .. रायबरेली-डलमऊ (उत्तर) ।
२९९—रामप्रसाद देशमुख, श्री .. खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम) ।
३००—रामप्रसाद नौटियाल, श्री .. लैन्सडाउन (पूर्व) ।
३०१—रामप्रसाद सिंह, श्री .. महाराजगंज (दक्षिण) ।
३०२—रामबली मिश्र, श्री .. सुल्तानपुर (पूर्व)-अमेठी (पूर्व) ।
३०३—रामभजन, श्री .. मोहमदी (पश्चिम) ।
३०४—राम मूर्ति, श्री .. बहेड़ी (उत्तर-पूर्व) ।
३०५—रामरतनप्रसाद, श्री .. रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम) ।
३०६—रामराज शुक्ल, श्री .. पट्टी (पूर्व) ।
३०७—रामलखन, श्री .. चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०८—रामलखन मिश्र, श्री .. डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम) । ।
३०९—रामलाल, श्री .. बस्ती (पश्चिम) ।
३१०—रामवचन यादव, श्री .. फूलपुर (दक्षिण) ।
३११—रामशंकर द्विवेदी, श्री .. रायबरेली-डलमऊ (उत्तर) ।
३१२—रामशंकर रविवासी, श्री .. लखनऊ (मध्य) ।
३१३—रामसनेही भारतीय, श्री .. बबेरी (पश्चिम) ।

३१४--रामसहाय शर्मा, श्री .. गरोथा-मोठ (उत्तर)।
३१५--रामसुन्दर पान्डे, श्री .. घोसी (पूर्व)।
३१६--रामसुन्दर राम, श्री .. खलीलाबाद (दक्षिण)।
३१७--रामसुभग वर्मा, श्री .. पडरौना (पश्चिम)।
३१८--रामसुमेर, श्री .. टांडा।
३१९--रामसरूप, श्री .. दूधी-राबर्ट्सगंज।
३२०--रामस्वरूप गुप्त, श्री .. भोगनीपुर (पश्चिम)-डेरापुर (दक्षिण)।
३२१--रामस्वरूप भारतीय, श्री ... कुण्डा (दक्षिण)।
३२२--रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री .. महाराजगंज (पश्चिम)।
३२३ --रामहरख यादव, श्री .. बोकापुर (पश्चिम)।
३२४--रामहेतुसिंह, श्री .. छत्ता।
३२५--रामेश्वरप्रसाद, श्री .. महाराजगंज (पश्चिम)।
३२६--लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री ... नैनीताल (दक्षिण)।
३२७--लक्ष्मणराव कदम, श्री ... मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)।
३२८--लक्ष्मीदेवी, श्रीमती ... संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)।
३२९--लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री ... माठ-सादाबाद (पश्चिम)।
३३०--लक्ष्मीशंकर यादव, श्री .. शाहगंज (पूर्व)।
३३१--लताफत हुसैन, श्री .. हसनपुर (उत्तर)।
३३२--लालबहादुर सिंह, श्री .. केराकत-जौनपुर (दक्षिण)।
३३३--लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री .. बनारस (उत्तर)।
३३४--शीलाधर अव्ठाना, श्री .. उन्नाव (दक्षिण)।
३३५--लुत्फ अली खां, श्री .. हापुड़ (दक्षिण)।
३३६--लेखराज सिंह, श्री .. सम्भल (पूर्व)।
३३७--वंशनारायण सिंह, श्री .. ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)।
३३८--वंशीदास धनगर, श्री .. करहल (पश्चिम)-शिकोहाबाद (पूर्व)।
३३९--वंशीधर मिश्र, श्री .. लखीमपुर (दक्षिण)।
३४०--वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री .. गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)।
३४१--वसी नकवी, श्री .. महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)।
३४२--वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री .. कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)।
३४३--विचित्र नारायण शर्मा, श्री .. गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)।
३४४--विजयशंकर प्रसाद, श्री .. मुहम्मदाबाद (दक्षिण)।
३४५--विद्यावती राठौर, श्रीमती .. एटा (पूर्व)-अलीगढ़ (पश्चिम)-कासगंज (दक्षिण)।
३४६--विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री .. गाजीपुर (पश्चिम)।
३४७--विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, श्री .. इलाहाबाद नगर (मध्य)।
३४८--विष्णुदयाल वर्मा, श्री . जसराना।
३४९--विष्णुशरण दुब्लिश, श्री ... मवाना।
३५०--वीरसेन, श्री .. हापुड़ (दक्षिण)।
३५१--वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री .. बिलग्राम (पश्चिम)।
३५२--वीरेन्द्र पति यादव, श्री .. मैनपुरी (दक्षिण)।
३५३--वीरेन्द्र वर्मा, श्री .. कैराना (दक्षिण)।
३५४--वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री .. नानपारा (पूर्व)।
३५५--वीरेन्द्र शाह, राजा .. कालपी-जालौन (उत्तर)।
३५६--व्रजभूषण मिश्र, श्री .. दूधी-राबर्ट्सगंज।
३५७--व्रजरानी मिश्र, श्रीमती .. बिल्हौर-अकबरपुर।

३५८--व्रजवासी लाल, श्री .. बीकापुर (मध्य)।
३५९--व्रजविहारी मिश्र, श्री .. फूलपुर (उत्तर)।
३६०--व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री .. घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)।
३६१--शंकरलाल, श्री .. कादीपुर (मध्य)।
३६२--शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री .. बाह।
३६३--शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री .. चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)।
३६४--शिवकुमार पाण्डेय, श्री .. सिराथू-मंझनपुर।
३६५--शिवकुमार मिश्र, श्री .. तिलहर (उत्तर)।
३६६--शिवकुमार शर्मा, श्री .. बिजनौर (दक्षिण)-धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
३६७--शिवदानसिंह, श्री .. इगलास।
३६८--शिवनायकाटजू, श्री .. फूलपुर (मध्य)।
३६९--शिवनारायण, श्री .. हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)।
३७०--शिवपूजन राय, श्री . मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)।
३७१--शिवप्रसाद, श्री .. हाटा (मध्य)।
३७२--शिवमंगल सिंह, श्री .. बांसडीह (पश्चिम)।
३७३--शिवमंगलसिंह कपूर, श्री .. डुमरियागंज (पश्चिम)।
३७४--शिवराजबली सिंह, श्री .. खजुहा (पूर्व)-फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
३७५--शिवराज सिंह यादव, श्री .. बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)।
३७६--शिवराम पाण्डेय, श्री .. डोरापुर (उत्तर)।
३७७--शिवराम राय, श्री .. सदर (आजमगढ़) उत्तर।
३७८--शिववक्ष सिंह राठौर, श्री ... करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)।
३७९--शिववचन राव, श्री .. सलीमपुर (उत्तर)।
३८०--शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री .. बहराइच (पूर्व)।
३८१--शिवस्वरूप सिंह, श्री .. ठाकुरद्वारा।
३८२--शुकदेव प्रसाद, श्री .. महाराजगंज (दक्षिण)।
३८३--शुगनचन्द, श्री .. रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)।
३८४--श्याममनोहर मिश्र, श्री .. मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)।
३८५--श्यामलाल, श्री .. उतरौला (उत्तर)।
३८६--श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री .. नरैनी।
३८७--श्रीचन्द, श्री .. बुढ़ाना (पश्चिम)।
३८८--श्रीनाथ भार्गव, श्री .. मथुरा (उत्तर)।
३८९--श्रीनाथ राम, श्री .. मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)।
३९०--श्रीनिवास, श्री .. उतरौली (उत्तर)।
३९१--श्रीपति सहाय, श्री .. राठ।
३९२--सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती .. कासगंज (पूर्व)-अलीगंज (उत्तर)।
३९३--संग्राम सिंह, श्री .. सोरों (उत्तर)-फूलपुर (पश्चिम)।
३९४--सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री .. सलीमपुर (पूर्व)।
३९५--सज्जन देवी महनोत, श्रीमती .. गोंडा (पूर्व)।
३९६--सत्यनारायण दत्त, श्री .. औरय्या-भरथना (दक्षिण)।
३९७--सत्य सिंह राणा, श्री .. देवप्रयाग।
३९८--सत्यानन्द, श्री .. सगरी (पूर्व)।
३९९--सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती .. बरेली (पूर्व)।
४००--सम्पूर्णानन्द, डाक्टर .. बनारस नगर (दक्षिण)।
४०१--सावित्रीदेवी, श्रीमती .. मुसाफिर खाना (मध्य)।
४०२--सियाराम गंगवार, श्री .. फर्रुखाबाद (मध्य)-कायमगंज (पूर्व)।
४०३--सियाराम चौधरी, श्री .. कैसरगंज (मध्य)।

४०४—सीताराम, डाक्टर .. देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)।
४०५—सीताराम शुक्ल, श्री .. हरैया (दक्षिण-पश्चिम)।
४०६—सुखाराम भारतीय, श्री .. सिराथू-मंझनपुर।
४०७—सुन्दरलाल, श्री .. आंवला (पूर्व)-फरीदपुर।
४०८—सुरजू राम, श्री .. सदर (आजमगढ़) (उत्तर)।
४०९—सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री .. हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)।
४१०—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री .. बिसवाँ-सिधौली (पूर्व)।
४११—सुल्तान आलम खां, श्री .. क़ायमगंज (पश्चिम)।
४१२—सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री . कानपुर नगर (उत्तर)।
४१३—सूर्यबली पांडेय, श्री .. हाटा (मध्य)।
४१४—सेवाराम, श्री .. पुरवा (उत्तर)-हसनगंज।
४१५—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री .. सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)।
४१६—हबीबुर्रहमानआजमी, श्री .. मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)।
४१७—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री .. शाहजहांपुर (मध्य)।
४१८—हमीद खां, श्री .. कानपुर नगर (मध्य पूर्व)।
४१९—हरखयाल सिंह, श्री . बगपत (पूर्व)।
४२०—हरगोविंद पन्त, श्री .. रानीखेत (दक्षिण)।
४२१—हरगोविंद सिंह, श्री .. जौनपुर (पूर्व)।
४२२—हरदयाल सिंह, पिपल, श्री .. हाथरस।
४२३—हरदेवसिंह, श्री .. देवबन्द।
४२४—हरसहाय गुप्त, श्री .. बिलारी।
४२५—हरिप्रसाद, श्री .. बीसलपुर (मध्य)।
४२६—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री . सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)।
४२७—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री .. लखनऊ (मध्य)।
४२८—हरिसिंह, श्री .. हापुड़ (उत्तर)।
४२९—हुकुमसिंह, श्री .. कैसरगंज (दक्षिण)।
४३०—हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री .. करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)।
४३१—होतीलाल दास, श्री .. एटा (दक्षिण)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०।

सचिव

श्री कैलास चन्द्र भटनागर, एम० ए०।

सहायक सचिव

श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए०।

अधीक्षक

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी०
श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी०।
श्री देवकी नन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

R.A.
181

उत्तर प्रदेश विधान सभा

123335

सोमवार, ६ अक्तूबर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३१)

अक्षयबर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाँडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफाहुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री

गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल सागर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रम्हदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती

रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप गुप्ता, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
बीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बस्ती कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कामरेड प्रकाशचन्द्र का सरकार को स्मृति-पत्र

*१--श्री झारखन्डे राय (जिला आजमगढ़)--क्या बस्ती कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, का० प्रकाशचन्द्र पांडे ने ३-६-५२ को आगरा सेंट्रल जेल में बन्द कुछ कम्युनिस्ट बंदियों की तकलीफों की बाबत कोई स्मृति-पत्र सरकार की सेवा में भेजा था? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--श्री प्रकाश चन्द्र पाँडे ने २ जून, १९५२ को एक स्मृति-पत्र सरकार के पास भेजा था। उस पर इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स से रिपोर्ट मंगवाई गई थी।

श्री झारखन्डे राय--क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट आई० जी० से मंगाई गई थी वह आ गई? और अगर आ गई है, तो उससे क्या मालूम होता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, रिपोर्ट आ गई और उससे मालूम यह होता है कि श्री प्रकाश चन्द्र पांडेय ने जो शिकायतें की थीं वह सब की सब गलत हैं।

*२--श्री झारखन्डे राय--क्या पुनः उन्हीं सज्जन ने गत १८-८-५२ को एक दरख्वास्त उन्हीं आगरा जेल के बन्दियों की तकलीफों के बारे में भेजा था? अगर हां, तो उस पर सरकार की ओर से क्या कदम उठाया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उन सज्जन की और कोई दरख्वास्त सरकार के पास नहीं आई।

*३--श्री झारखन्डे राय--क्या उन बंदियों को सरकार पूर्वी यू० पी० के किसी जेल में उनके घरों के करीब ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित।)--[देखिए आगे पृष्ठ २० पर]

*३--श्री वीरेन्द्र वर्मा--[१३ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले में सिंचाई से संबंधित पक्के कुएं बनाने के लिए सहायता

*४--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५०-५१ में गोरखपुर की सिंचाई से संबंधित पक्के कुओं की योजना में, जिसमें कि आधी रकम सरकार स्वयं देती थी कितनी धनराशि दी गयी थी और उसमें कितने कुएं बने और कहां-कहां बने?

कृषि उपमन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--पक्के कुओं की योजना के अन्तर्गत सन् १९५०-५१ में ३६,७८६ रु० ९ आ० ३ पा० की सबसिडी बांटी गयी और ५६ कुएं बन कर तैयार हुए। इन ५६ कुओं में से तहसील सदर में २८, फरेन्दा में ४, महाराजगंज में १ तथा बांसगांव में २३ कुएं बने थे।

श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में बांटी गयी सबसिडी ३६,७८६ रुपये ९ आना ३ पाई द्वारा केवल ५६ कुएं बने जो ५० रुपये फी कुएं के हिसाब से २,८०० रुपये होते हैं, अब शेष रुपया, ३३,९८६ ९ आना ३ पाई का क्या हुआ और किसको दिया गया?

श्री जगन प्रसाद रावत--इस साल जो ३६,७८६ रुपया ९ आना ३ पाई की सबसिडी है वह ८२ कुओं के लिये है उसमें से ५६ पिछले साल बनने थे और बाकी इस साल बनेंगे।

श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उसमें से फरेंदा तहसील में ४ और महाराजगंज में केवल एक बना, तो यह योजना सरकार की कहां तक सफल रही?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह जरूर हो रहा है कि जितने कुएं बनने चाहिये उतने नहीं बने हैं, लेकिन उसके लिये यह प्रयत्न हो रहा है कि जो कठिनाई उनको कुआं बनाने में थी उनको दूर किया जाय और ज्यादा से ज्यादा कुएं बनाये जायं।

फर्रुखाबाद जिले में जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये हरिजन

*५--**श्री पुत्तूलाल** (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के संबंध में कुल कितना नया स्टाफ जिला फर्रुखाबाद में लिया गया? इसमें हरिजन वर्ग के लोगों की संख्या क्या है?

माल मन्त्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--फर्रुखाबाद जिले में जमींदारी उन्मूलन के संबंध में अभी तक निम्नलिखित नया स्टाफ रखा गया:--

४ नायब तहसीलदार।
८ डिपार्टमेंटल क्लर्क।
४२ मुहर्रिर।
४ चपरासी।
१३ इंफिरियर कर्मचारी।

उपर्युक्त लिखे हुए स्टाफ में ४ चपरासियों के अलावा हरिजन वर्ग का और कोई व्यक्ति नहीं है।

*६--**श्री पुत्तूलाल**--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद की कलेक्टरी तथा दीवानी कचहरियों में कुल कितने चपरासी, अहलमद तथा पेशकार लोग काम कर रहे हैं? इनमें से हरिजन वर्ग के कुल कितने व्यक्ति हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मांगी हुई सूचना नत्थी की हुई सूची में प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६७ पर)

*७-८--**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)--[२७ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गए।]

प्रतापगढ़ जिले को सरकारी सहायता प्राप्त दुग्धशाला

*९--**श्री राजाराम किसान** (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में सरकार किसी दुग्धशाला को आर्थिक सहायता प्रदान करती है?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां, बैन्ती पशु फार्म को।

*१०--**श्री राजाराम किसान**--यदि हां, तो उस दुग्धशाला का दूध किन-किन शहरों में जाता है और उसमें कितने गाय व भैंस आदि जानवर हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस दुग्धशाला का दूध इलाहाबाद शहर में सहकारी दुग्ध संघ, प्रयाग द्वारा वितरित किया जाता है। इस फार्म पर शुद्ध वंशीय साहीवाल जाति की गायें ८० हैं। भैंस नहीं हैं। इसके अतिरिक्त १९ ओसरें, २५ बछड़े और ९ बछियां हैं।

भूमिहीन किसानों तथा मजदूरों को परती भूमि देने के सम्बंध में गांव सभाओं को आदेश

*११---श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के बाद जो परती जमीन कृषि के लायक है, उन्हें भूमिहीन किसानों तथा मजदूरों को देने के लिये कोई आदेश सरकार की तरफ से गांव सभाओं को दिया गया?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जी नहीं।

*१२---श्री राम सुन्दर राम---क्या सरकार ने हर गांव सभा से पूछा है कि उसके क्षेत्र में कितने भूमिहीन किसान तथा मजदूर हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जी नहीं।

आगरा जिले में परती भूमि का वितरण

*१३---श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)---क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में परती भूमि कितनी है और वह किसान को जोत के नीचे कब तक आ जावेगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---आगरा जिले में ४१,२२० एकड़ कृषि योग्य परती भूमि है। इस जिले के ज्यादातर इलाके में आबपाशी का जरिया नहीं है और राजपूताने के रेगिस्तान का खतरा रोकने के लिये इस जिले में जंगलात के लिये बहुत कुछ जमीन की जरूरत होगी। इन बातों को देखते हुए अभी यह अन्दाजा नहीं किया जा सकता कि कृषि योग्य परती भूमि कब तक किसानों की जोत में आयेगी।

श्री रमेश वर्मा---इस ४१,२२० एकड़ भूमि में से कितनी भूमि ऐसी है जो केवल जंगलात के लिये रखी गयी है?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी जमीन केवल जंगलात के लिये सुरक्षित की जायगी। जंगलात विभाग को लिखा गया है कि वह जितनी जमीन इस लायक समझे उतनी वह अपने पास रखे और बाकी गांव सभाओं को दी जायगी।

श्री रमेश वर्मा---आगरे में जंगलात लगाने का यह काम कब से शुरू हो जायगा?

श्री चरण सिंह---वहां पर पहाड़ों के से जंगलात तो लग नहीं सकते हैं, बाकी वहां ट्री प्लान्टेशन किया जायगा और मथुरा और आगरा की पश्चिमी सीमा पर जहां राजस्थान की सीमा है वहां कार्यवाही पिछले साल से आरम्भ हुई है और इस साल और तेजी से दरख्त लगाये जायेंगे।

*१४---श्री रमेश वर्मा---क्या इस भूमि को देने में उन लोगों का पहले ख़याल किया जायगा, जिनके पास बिलकुल ही भूमि नहीं है या जिनके पास अलाभकर भूमि है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---बहुत जल्द इस जमीन का कुछ हिस्सा वन विभाग को दे दिया जायगा और बाकी गांव सभाओं के सुपुर्द कर दिया जायगा। गांव सभायें इस जमीन को धारा १९८ जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम के मातहत उठायेंगी।

श्री रमेश वर्मा---गांव सभाओं को परती भूमि उठाने के अधिकार कब से अमल में लाने लगेंगे?

श्री चरण सिंह—गांव सभाओं को ऐसी परती भूमि देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और बहुत जल्द इस सिलसिले में आदेश जारी होने वाले हैं और मैं समझता हूं कि अक्तूबर के महीने में ही उन्हें ऐसे अधिकार हासिल हो जायेंगे।

श्री व्रज बिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बतलावेगी कि नदी के किनारे पड़ने वाली नौतोड़ जमीन के लिये सरकार क्या इंतजाम कर रही है, अब बोने का समय आ रहा है तो उसके उठाने का क्या इंतजाम किया जा रहा है?

श्री चरण सिंह—ऐसी भूमि जो कि दरिया के पेटे में आ जाती है और फिर गायब हो जाती है और फिर कभी निकल आती है तो उसकी मालिक गांवसभा होती है और उसी को उसे उठाने का अधिकार होगा।

*१५—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)—[१३ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले की बांसी तहसील में अकाल

*१६—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला बस्ती की बांसी तहसील के रैना, चकई, बगहा और मगहा तालों के क्षेत्र में प्रायः २० हजार खेतिहर मजदूर और गरीब किसान प्रायः तीन मास से भंसीड़ और उसकी रोटी खाकर किसी तरह अकाल का सामना कर रहे हैं और वहां अभी तक सरकार की ओर से कोई अन्न व्यवस्था नहीं की गयी है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह सत्य नहीं है कि प्रश्न में कहे हुए क्षेत्र के प्रायः २०,००० कृषि श्रमिक एवं निर्धन कृषक केवल भंसीड़ की रोटी खाकर किसी प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं। भंसीड़ का शाक के रूप में प्रयोग अवश्य होता है, परन्तु ऐसा साधारण काल में ही होता है। वस्तुतः भंसीड़ एक स्वादिष्ट शाक है, जिसकी निकटवर्ती नगर उपनगरों में भी मांग है और इस रूप में यह उस क्षेत्र के निवासियों के लिये आय का साधन है।

यह भी सत्य नहीं है कि इस क्षेत्र में कोई अन्न व्यवस्था नहीं की गयी है। इस समय इस क्षेत्र में २० ए० पी० दूकानें चल रही हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय इस क्षेत्र में २० ए० पी० दूकानें चल रही हैं, इसका क्या अर्थ है? इस समय अक्तूबर से या उस समय जब मैंने सवाल किया था, यानी जुलाई से मतलब है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मेरे पास १७ सितम्बर सन् १९५२ ई० का यह फीगर है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय माल मंत्री जी कृपा करके भंसीड़ की रोटी की डाक्टरी जांच कराने को तैयार हैं और यह पता लगाने को तैयार हैं कि इसमें कितना पौष्टिक पदार्थ होता है। मैं इसको पेश कर सकता हूं आपके सामने?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—भंसीड़ तो हमने भी देखा है। वह कमल की जड़ है और बड़ा ही स्वादिष्ट पदार्थ है।

*१७—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार यह बतायेगी कि उस क्षेत्र, उस्का कोटिया में कोई टेस्ट वर्क खोलकर उन गरीबों की सहायता करने की योजना पर वह विचार कर रही है?

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—उस्का कोटिया के आसपास तीन टेस्ट वर्क खोले गये, परन्तु श्रमिकों के अभाव से बंद कर दिये गये। इस समय एक कार्य सरौली बांध,

चल रहा है परन्तु श्रमिकों की संख्या नितान्त अपर्याप्त है। वर्षाकाल के पूर्व इस क्षेत्र में निम्नलिखित तीन टेस्ट वर्क्स पूर किये गये थे:--

(१) खसरहा में एक जलाशय का नव-निर्माण।

(२) बांसी-मेंहदावल सड़क में सुधार तथा पुनर्निर्माण।

(३) धरम-सिंहवा बनकटा-कलनाखोर सड़क को ऊंची करना तथा उसमें सुधार।

*१८--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार इस सिलसिले में उस्का स्टेशन से कोटिया और उसके आगे मेहदावल तक सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ करके उत भुखमरों की सहायता का विचार रखती है? अगर हां, तो कब से?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जी नहीं, उस्का स्टेशन से कोटिया होती हुई मेंहदावल तक किसी नई सड़क के बनाने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि मार्ग में दो नदियों क आ जाने से प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है।

*१९-२०--श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २० व २१ पर]

*२१--श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--[१६ अक्तूबर, १९५२ ई० क लिये स्थानान्तरित किये गये।]

तहसीलदार, पुवायां (शाहजहांपुर) का पाकिस्तान को पलायन

*२२--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसीलदार, पुवायां (शाहजहांपुर) कितना रुपया गबन करके पाकिस्तान चले गए?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--श्री मुमताज अली हैदरी, भूतपूर्व तहसीलदार, पुवायां पाकिस्तान चले गये पर उन्होंने कोई रुपया गबन नहीं किया। उनके समय में कुछ कर्मचारियों ने ३,९०० रुपये का गबन अवश्य किया जिसके संबंध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस गबन की सब से पहले इत्तिला उनको कब हुई?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--२३ जून, सन् १९५२ ई० को।

*२३--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एस० डी० ओ० पुवायां ने इस वर्ष कितनी बार नहर व रेवेन्यू के हिसाब की जांच की और कब-कब?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--इस वर्ष एस० डी० ओ० पुवायां ने नहर व रेवेन्यू के हिसाब की जांच दो बार की, एक तो अप्रैल, १९५२ में और दूसरे जून सन् १९५२ में।

श्री भगवान सहाय--क्या यह बात सही है कि जब एस० डी० ओ० साहब ने जांच की तो उस समय उनको कोई गबन का पता नहीं चला?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--गबन का पता तो चला।

श्री भगवान सहाय--एस० डी० ओ० ने गबन का मुआयना किया लेकिन मुआयने में उनको गबन का कोई पता नहीं चला, क्या यह बात सही है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जब शिकायतें हुईं तो उसके बाद एस० डी० ओ० साहब ने मुआयना किया।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन लोग उस गबन के जिम्मेदार हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अभी तो उसकी जांच हो रही है।

*२४--श्री दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)-- [देखिए आगे पृष्ठ २१ पर]

*२५-२६--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--[२७ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*२७-२९--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--[१३ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*३०--श्री चिरञ्जीलाल जाटव (जिला एटा)--[३ नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

सदर तहसील (आजमगढ़) में श्री बच्चा कृष्णदास की जमींदारी

*३१--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माल मंत्री को यह ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में श्री बच्चा कृष्णदास की जमींदारी कोर्ट आफ वार्ड्स में है? क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि उनके पास कितना सीर और खुदकाश्त तथा काश्तकारी है एवं उनके इन खेतों पर कितने शिकमीदार हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जी हां, उनके पास की जमीन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

			एकड़
सीर जिम्न १	..	..	२४६.१७९
खुदकाश्त जिम्न	..	..	११४.३८५
जमीन जिसके कि श्री कृष्णदास दखीलकार काश्तकार (और अब भूमिधर) हैं ..	..	..	२८.७८९

उपरोक्त भूमि में से सीर की २२२.३५१ एकड़ और दखील काश्तकारी की भूमि (Occupancy tenancy) की १९.४८२ एकड़ क्रमशः ३४१ और ७ शिकमी काश्तकारों की काश्त में है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--माननीय माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३४८ शिकमी किसान कब से इन जमीनों पर काबिज हैं?

श्री चरण सिंह--इसकी तो नोटिस की जरूरत है कि कब से काबिज हैं। लेकिन ३४१ किसान सीर और खुदकाश्त की जमीन पर काश्तकार दर्ज हैं।

*३२-३३--श्री राम अधार तिवारी (जिला प्रताप गढ़)--(अनुपस्थित)-- [देखिए आगे पृष्ठ २१ व २२ पर।]

बाढ़ नियन्त्रण की जांच करने के लिये समिति की नियुक्ति

*३४--श्री राम स्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--क्या सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के संबंध में जांच और सिफारिशें करने के लिये एक कमेटी नियुक्त हुई थी? क्या उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है?

*३५--यदि हां, तो उसकी प्रति सरकार मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, बाढ़ तथा बाढ़ से होने वाली विपत्ति को दूर करने के उपायों पर विचार करने के लिये सरकार ने एक बाढ़ समिति (फ्लड कमेटी) बनाई है। समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है, परन्तु समस्या के जटिल तथा विस्तृत होने के कारण समिति अपना कार्य अभी समाप्त नहीं कर सकी है और उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है।

श्री राम स्वरूप गुप्त--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस समिति की नियुक्ति कब हुई थी?

श्री चरण सिंह--सितम्बर, १९४८ ई० में।

श्री रामस्वरूप गुप्त--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस बीच में कोई इंटरिम रिपोर्ट इस कमेटी ने दी है?

श्री चरण सिंह--इस कमेटी की कई सब-कमेटियां बनीं। उनमें से एक कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है और जो टेक्निकल सब-कमेटी है उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आयी है।

श्री राम स्वरूप गुप्त--जिस कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है उस पर कार्यवाही सरकार ने क्या की है?

श्री चरण सिंह--४९ से उस पर कार्यवाही हो रही है? उसकी रिपोर्ट यह थी कि जिलों में जब बाढ़ आने की आशंका हो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसकी इत्तिला देने का प्रबन्ध करें और ऐसी साइट्स पहले से चुनकर तैयार रखें कि अगर लोगों को हटाना पड़े तो उन पर बसाये जा सकें। जो नावें वगैरह उस इलाके में हों उनको रिक्वीजीशन करने के लिये पहले से इंतजाम रखें। तो बाद में बाढ़ के आने से लोगों को जो पीड़ा पहुंचती है उससे बचाने के सिलसिले में जो कमेटी बैठी थी उसकी जितनी सिफारिशें हैं उन पर करीब-करीब सभी पर १९४९ से काम हो रहा है और टेक्निकल सब-कमेटी इसलिये थी कि बाढ़ किस प्रकार न आये, वह काम बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है। उसकी रिपोर्ट अभी तक आयी नहीं।

*३६-३७--श्री चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २२ पर]

गन्ना व अन्न की फसलों को कीड़ों से हानि

* ३८--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या कृषि मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि गत वर्ष से गन्ना व गल्ले की फसलों में कीड़ा लगा हुआ है जिससे फसल में हानि हुई है?

श्री जगनप्रसाद रावत--गत वर्ष से तो कीड़ा नहीं लगा है परन्तु इस वर्ष अप्रैल के महीने से अवश्य गन्ने की फसल पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, खेरी, सीतापुर, गोंडा और कुछ अन्य जिलों में पायरिला (Pyrilla) का आक्रमण हुआ है २५ से अधिक जिलों में गन्धी बग (Gandhi bug) का गत १/२ महीने से धान की फसल पर और पतिंगों (Gross-hoppers) का इसी समय में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और अन्य फसलों पर आक्रमण हुआ है।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मथुरा जिले में कीड़ा लगने की कोई खबर प्राप्त नहीं हुई?

श्री जगनप्रसाद रावत--ऐसी कोई सूचना अभी तो मेरे पास नहीं है।

श्री रामहेत सिंह--माननीय मंत्री जी कृपा करके अब तो मथुरा जिले को इस कीड़े की योजना में शामिल कर लेंगे जहां कि कीड़े से नुकसान हो रहा है?

श्री जगनप्रसाद रावत--मैं अवश्य इसकी जांच करूंगा और जो कुछ हो सकेगा प्रबन्ध करूंगा।

*३९--श्री रामहेत सिंह--यदि हां, तो इस विषय में अभी तक कीड़ा मारने की कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां। जो कार्यवाही की गयी वह अभी तक जारी है। पायरिला के मारने को लिये लगभग ८०,००० रु० की दवाइयां खरीदकर खेतों में छिड़की गयी हैं। लगभग ९,३३० एकड़ गन्ने की फसल पर दवाइयां छिड़क कर और ५४,३१० एकड़ पर अन्य उपायों से पायरिला नष्ट किया गया।

इसके अतिरिक्त किसानों ने भी सरकारी सहयोग और परामर्श से अपने खेतों में पायरिला मारने का प्रबंध किया।

२--धान के कीड़े "गंधी बग" को मारने के लिये कृषि रक्षा सेवा ने १९ जिलों में ४७५ एकड़ पर दवाइयाँ छिड़कने की कार्यवाही की है और यह कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है और कुछ ही दिनों से यह कार्य पूर्वी जिलों के कमी के क्षेत्रों (Scarcity areas) में भी हो रहा है।

३--पतिंगों (grass-hoppers) के प्रतिकूल अब तक ६ जिलों में ५७ एकड़ पर दवाइयाँ छिड़की गई हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ८० हजार रुपयेकी दवायें जो पायरिला मारने के लिये सरकार ने मंगाई हैं तो क्या यह किसानों में फ्री बाँटी गयी हैं या किसानों से उनकी कीमत चार्ज की गयी है?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह फ्री नहीं बाँटी गयी हैं, कीमत पर लोगों को दी गयी हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बतलायेगी कि ८० हजार रुपये की ये दवायें सरकार ने किस की मारफत खरीदी है और किस साल खरीदी है?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी।

*४०--**श्री राजाराम किसान**--[१३ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१-४३--**श्री मुहम्मद नसीर** (जिला फैजाबाद)--[२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गए।]

*४४--**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २२ पर]

राज्य में भैंसों की संख्या

*४५--**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उपलब्ध पशु-गणना के अनुसार भैंसों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है?

श्री जगनप्रसाद रावत--सन् १९५१ की अंतिम पशु-गणना के अनुसार संख्या ४९,८७,८९९ है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन भैंसों की वृद्धि में पशु-पालन विभाग का क्या हाथ है?

श्री चरण सिंह--जानवरों की जो संख्या बढ़ रही है उसमें इस विभाग का कितना हाथ है इस लम्बाई को नापना मुमकिन नहीं होगा कि कितना हाथ है और कितना नहीं है लेकिन पशु-पालन विभाग की पालिसी यह है कि पशुओं की नसल अच्छी हो बजाय इसके कि संख्या बढ़े। हम तो चाहते हैं कि संख्या घटे।

*४६--**श्री गंगाप्रसाद सिंह**--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सन्निकट भूत की पशु-गणना और दस वर्ष पूर्व की पशु-गणना के अनुसार भैंसों की संख्या बढ़ी या घटी है?

श्री जगनप्रसाद रावत--बढ़ी है।

*४७-४९--**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढवाल)--[१३ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गए।]

*५०--श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फर नगर) (अनुपस्थित)--[३ नवम्बर, १९५२ के लिए स्थगित किया गया।]

*५१-५२--श्री श्रीचन्द (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २३ पर।]

नलकूपों के लगाने की योजना

*५३--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी योजना के अनुसार जो नलकूप इस वर्ष लगाने की व्यवस्था है उसे कितने मासों में पूरा किया जा सकेगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत--सहकारी नलकूपों की योजना के अन्तर्गत नलकूपों को जून १९५३ तक पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री धर्मदत्त वैद्य--क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि सन् १९५३ तक लगाये जाने वाले नलकूपों की संख्या कितनी है और कितने कितने जिलों में लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--सन् १९५२-५३ के अन्त तक जो नलकूप बनेंगे उनकी संख्या ४६५ है। इसके अलावा जो पिछले सन् १९५१-५२ में संख्या थी उनमें से जो बाकी रह गये हैं वे इसके अतिरिक्त हैं।

श्री धर्मदत्त वैद्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने नलकूप ऐसे होंगे जो बिजली द्वारा नहीं चलाये जा सकेंगे?

श्री चरण सिंह--६५ ऐसे होंगे।

*५४--श्री धर्मदत्त वैद्य--अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में नलकूपों के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस योजना का शीघ्र प्रारंभ करने का विचार रखती है और इस योजना को जिला सहकारी संघों द्वारा कार्यान्वित करने का इरादा रखती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हाँ, इस संबंध में जहां तक संभव है जिला सहकारी संघ एवं उत्तर प्रदेश सहकारी डेवलपमेंट और मारकेटिंग फेडरेशन के द्वारा काम किया जायेगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य--अब तक जो नलकूप लगाये गये हैं उनमें से कितने के बारे में जिला सहकारी संघ और मार्केटिंग फेडरेशन से बात की गयी है और उनके द्वारा लगाये गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--नोटिस की जरूरत है।

श्री धर्मदत्त वैद्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन नलकूपों को लगाने के लिये सहकारी संघों से कोई बातचीत चल रही है और कितने जिला के सहकारी संघों से परामर्श किया जा रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जिले-जिले में जहाँ भी सहकारी संघ हैं वहाँ के जिला अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे उनसे बातचीत करें और जहाँ-जहाँ के सहकारी संघ इस काम को लेने के लिये तैयार होंगे उनसे अवश्य सहायता ली जायगी।

बागपत (मेरठ) से तहसील हटाकर बड़ौत को तहसील बनाने का निश्चय

*५५--श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि बागपत, जिला मेरठ से तहसील उठाकर बड़ौत भेजने का उसने निश्चय किया है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मैथ--जी हाँ।

श्री रघुवीर सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बागपत से तहसील हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कारण यह है कि बागपत ऐसा स्थान है जहाँ न काफी आबादी है और न रेलवे स्टेशन है। वहाँ के रहने वाले दूसरी जगहों को हट-हट कर जा रहे हैं। अब तहसील जहाँ हटाई जा रही है वहाँ इंटरमिडियेट स्कूल वगैरह हैं, रेलवे स्टेशन है और आबादी भी बहुत है। इन सुविधाओं के कारण यह तहसील हटाई जा रही है।

श्री रघुवीर सिंह--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि तहसील को यहाँ से हटाने में क्या आर्थिक लाभ होगा ?

श्री चरण सिंह--लोगों को सुविधा ज्यादा होगी और वहाँ के काँग्रेस वालों ने भी कहा था कि इस तहसील को यहाँ से हटा दिया जाय।

श्री रघुवीर सिंह--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि तहसील हटाने से बागपत कस्बा बिलकुल बर्बाद हो जायगा ?

श्री चरण सिंह--यह तो बिना इसके ही उजड़ता चला जा रहा है। जो उसकी आबादी ५० साल पहले थी उससे अब बहुत कम आबादी रह गयी है। वहाँ एक अग्रवाल मंडी है जहाँ लोग आकर बस गये हैं। अगर तहसील हटायी जायगी तो मुमकिन है कि वह लाचिराग हो जाय।

श्री विष्णुशरण दुब्लिश (जिला मेरठ)--क्या इस तहसील में काम की ज्यादती को देखते हुए सरकार यह विचार कर रही है कि गाजियाबाद और सरधना तहसील में कुछ हिस्सों को शामिल करके इस तहसील के दो टुकड़े कर दिये जायं ?

श्री चरण सिंह--फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जौनपुर जिले में अकाल पीड़ितों को सहायता

*५६--**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में अकाल पीड़ितों को तकावी इत्यादि देकर सहायता पहुंचायी जा रही है कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जौनपुर जिले में सूखे के कारण पीड़ित क्षेत्रों में तकावी, लगान तथा मालगुजारी में छूट और अनुदान के रूप में सहायता दी जा रही है। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार को यह पता है कि आजमगढ़-जौनपुर की सीमा पर ६ मील की चौड़ाई में जौनपुर जिले का यह हिस्सा जो शाहगंज जौनपुर, किरकी तहसीलों में पड़ता है, जहाँ धान अधिक पैदा होता है, वहाँ धान की फसल मारी गयी है और अकाल की सूरत है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--कोई अकाल की सूरत तो नहीं है। मड़ियाहू तहसील में ५-६ मील लम्बे और ४-५ मील चौड़े इलाके में धान की फसल मारी गयी है। और वैसे जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, वहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जो अकाल की संभावना हो।

श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार को पता है कि इन क्षेत्रों में धान की फसल कई सालों से मारी जा रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--पिछले दो वर्षों में पानी कम गिरा था इसलिये धान की फसल को नुकसान हुआ।

श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में सिंचाई का क्या प्रबन्ध सरकार करने जा रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--वैसे अकाल पीड़ित क्षेत्र तो जौनपुर में हैं नहीं। सिंचाई का प्रबन्ध करने वाली योजनायें हैं, शारदा नहर वगैरह से या ट्यूबवेल से, ये सब प्रबन्ध तो आगे आने वाली स्कीम के अन्तर्गत है।

ग्राम पंचायतों द्वारा फसलों का परताल और इंदराज

*५७--श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--क्या मालमंत्री यह बतायेंगे कि सरकार ग्राम पंचायतों द्वारा फसलों के परताल और इंदराज कराने का इरादा रखती है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जी नहीं।

*५८--श्री अब्दुल मुईज खां--यदि हाँ, तो कब से ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुल मुईज खां--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन नियमों के अधीन पटवारी पड़ताल करते हैं उनमें सरकार का कोई संशोधन करने का विचार है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--पड़ताल के संबंध में पटवारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे अपनी पड़ताल जिला प्रधान के पास दे दें और जो नई पड़ताल हो। उनको इंदराजात की जब सुपरवाइजर कानूगो वगैरह जाँच करें तो गाँव के प्रधान से उसकी तसदीक कर लें और यह आदेश लागू है।

श्री अब्दुल मुईज खां--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लैंड रेकर्ड मैनुअल में उचित संशोधन किये जाने का प्रबंध किया गया है ?

श्री चरण सिंह--लैन्ड रिकर्ड मैनुअल के कई भाग हैं, जो पड़ताल से वास्ता रखता है उसका संशोधन हो चुका है और अब जल्दी ही उसके सिलसिले में जिलाधीशों के पास आदेश जाने वाले हैं। जहाँ तक पटवारियों के अधिकारों का संबंध है, यह तब्दीली की जा रही है और पहले ही कर दी गयी थी और जी० ओ० भी जारी हो चुका है और लैंड रिकर्ड मैनुअल में शामिल कर दिया गया है। अगर वह कोई इंदराज बदलता है तो उसकी सूचना वह तीन जगह देगा। एक तो गाँव सभा को दूसरे जिसका इंदराज काटा जा रहा है और तीसरे सुपरवाइजर कानूनगो को सूचना देगा। इस तरह से पटवारी के अधिकार नियंत्रित कर दिये गये हैं।

जमींदारी विनाश के फलस्वरूप बेरोजगारी में बढ़ती

*५९--श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार को विदित है कि जमींदारों के कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गये हैं जिनके रोजी का अब कोई ठिकाना नहीं है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जी हां, जमींदारों के कर्मचारियों की काफी संख्या में छटनी हुई है। १० हजार रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वाली जमींदारियों के जिन कर्मचारियों की छंटनी हुई उनमें से एक तिहाई कर्मचारियों के पास पर्याप्त जमीन है।

*६०--श्री उम्मेद सिंह--क्या यह भी विदित है कि रियासत बलरामपुर के लगभग ४ हजार कर्मचारी जमींदारी विनाश के फलस्वरूप बेकार हो गये हैं तथा घोर विपद् में हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--बलरामपुर रियासत के केवल ७३४ कर्मचारियों की छटनी हुई है तथा जिनकी छटनी हुई है उन सब के पास जमीन है।

*६१---श्री उम्मेद सिंह--क्या सरकार जमींदारी विनाश के फलस्वरूप जमींदारों के बेकारी ग्रस्त कर्मचारियों को नौकरी प्राप्त करने की सुविधा देगी तथा और कोई उचित सहायता प्रदान करेगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--लगान वसूली योजना के संबंध में जब भर्तियाँ होंगी तो उस समय सुव्यवस्थित रियासतों के सुचरित्र कर्मचारियों का अधिक खयाल किया जायगा। उनके लिये उच्चतम उम्र भी चालीस साल कर दी गयी है।

*६२---श्री रामलखन (जिला बनारस) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २३ पर।]

आगरा तहसील में रोहता ग्राम की भूमि को डूबने से बचाने के उपाय

*६३---श्री रमेश वर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आगरा तहसील के रोहता गाँव के आस पास की भूमि को वर्षा के पानी में डूबने से बचाने के लिये जो नाला तैयार किया गया वह नाला कब बन कर तैयार हुआ और नाले के तैयार कराने में सरकार का कितना व्यय हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत--सन् १९४९ में रोहता ग्राम के कृषकों की तात्कालिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक अस्थायी नाला बनवाया गया था। जिस पर सरकार का १,६१२ रुपया व्यय हुआ था।

श्री रमेश वर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नाला किस विभाग की देखरेख में बनवाया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत--नहर विभाग की देख रेख में।

*६४--श्री रमेश वर्मा--क्या सरकार को पता है कि उक्त नाला तैयार हो जाने पर भी खेती की भूमि पानी में डूबी रही ? यदि हाँ तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह सही नहीं है कि उक्त नाला तैयार होने पर भी भूमि पानी में डूबी रही। वह नाला तात्कालिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये था और उस समय उससे पानी निकाल भी दिया गया था। इस वर्ष अधिक वर्षा के कारण फिर रोहता के आसपास पानी भर गया जिसके निकालने के लिये यह अस्थायी नाला काफी नहीं था। चूंकि रोहता तथा आसपास के गाँवों के पास पानी अकसर जमा हो जाता है अतः सरकार एक लम्बा नाला बनाने का विचार कर रही है।

श्री रमेश वर्मा--क्या सरकार को यह विदित है कि स्थानीय सरकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट में सन् १९४९ ई० से १९५२ तक पानी में डुबी हुई फसल का नुकसान बाहर आने और सोलह आने तक बतलाया गया है नाला बन जाने के बाद ?

श्री जगनप्रसाद रावत--पानी जब भर जाता है तब फसल तो करीब करीब खत्म हो जाती है। पानी निकाल दिया जाता है तब भी पानी की जो नमी रहती है उससे फसल बरबाद हो जाती है और बचाई नहीं जा सकती है। इसलिये सन् १९४९ ई० में पानी निकालने के बाद भी फसल नहीं बचाई जा सकी।

*६५-६६--श्री गुप्तार सिंह (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ २३ व २४ पर।]

बुलन्दशहर जिले में कृषि उन्नति के लिये सरकारी सहायता

*६७---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में सन् ४८ से ५२ तक कृषि की उन्नति के लिए सरकार ने तकावी व ऋण कितना कितना दिया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बुलन्दशहर जिले में वित्तीय वर्ष १९४७-४८ से लेकर १९५१-५२ तक कृषि कार्यों के लिये कुल ६,८९,२५३ रु० ३ आना तकावी के रूप में दिया गया। इसके अतिरिक्त अग्निकाँड से पीड़ितों की सहायतार्थ ८,७४३ रु० और बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायतार्थ ४५,००० रु० दिये गये।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह धनराशि अधिकाँश उन ही लोगों को दी गई जो स्वयं धनवान हैं ?

श्री चरण सिंह--यह धनराशि उन लोगों को ही दी गयी है जो नियम के अन्दर आते थे। चाहे वह धनवान रहे हों या निर्धन हों।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह धनराशि जो दी गयी उसमें से सरकार कुछ वसूल भी कर सकी है ?

श्री चरण सिंह--अगर वह वाजिब रकम हुई होगी तो वसूल हो गई होगी। उसके इस वक्त आँकड़े मौजूद नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो आँकड़े इकट्ठे किये जा सकते हैं।

*६८-७०--**श्री कमाल अहमद रिजवी** (जिला खीरी)--[१३ अक्तूबर, १९५२, के लिए स्थगित किये गए।]

*७१-७२--**श्री राम रतन प्रसाद** (जिला बलिया)--[२७ अक्तूबर, १९५२, के लिए स्थगित किये गए।]

*७३-७४--**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २४ पर।]

गोरखपुर जिले में कम्पोस्ट खाद में लगी हुई ट्रकें

*७५--**श्री इस्तफा हुसैन** (जिला गोरखपुर)--क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि गोरखपुर जिले में १९५१-५२ ई० में कुल कितनी कम्पोस्ट खाद सरकार के कम्पोस्ट और फर्टिलाईजर्स विभाग द्वारा बनायी गयी और कितने काश्तकारों को यह कम्पोस्ट की खाद सप्लाई की गयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--गोरखपुर जिले में १९५१-५२ में कुल ३,२९,०५० घन फुट कम्पोस्ट खाद बनाई गई। कुल काश्तकारों की संख्या जिनको कम्पोस्ट खाद दी गई संग्रह करने पर मालूम हो सकता है जिसमें समय लगेगा।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह जो ३१ लाख टन कम्पोस्ट बताई गई है उसमें वह कम्पोस्ट खाद भी शामिल है जो ग्राम पंचायतों द्वारा बनाई बताई जाती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--ग्राम पंचायतों के द्वारा कम्पोस्ट खाद बनाई गई, यह सही है।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह कम्पोस्ट खाद किन-किन लोगों को सप्लाई किया जाता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह तो जिन लोगों को आवश्यकता होती है सप्लाई कर दिया जाता है, किसी के लिये विशेष रूप से सुरक्षित नहीं रखा जाता है।

*७६--**श्री इस्तफा हुसैन**--क्या यह सत्य है कि जिला गोरखपुर में जो ट्रकें कम्पोस्ट के काम में लगी हैं वह पिछले वर्ष में कई महीनों तक बेकार रहीं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां, गोरखपुर में पहले दो ट्रकें थीं जिसमें एक १९५१-५२ वर्ष के शुरू में ही एक दुर्घटना में बिल्कुल टूट गई थी और दूसरी तीन महीने तक मरम्मत के सिलसिले में बेकार पड़ी रही।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोरखपुर जिले में कोई वर्कशाप है जिसमें दुर्घटना होने पर ट्रकों की मरम्मत अच्छी तरह से हो सकती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

*७७--**श्री इस्तफा हुसैन**--क्या कृषि मन्त्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश के जिलों में इस समय कम्पोस्ट के काम में कुल कितनी ट्रकें लगी हुई हैं और उनसे कितना मन कम्पोस्ट खाद सप्लाई हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत--शासन ने नगर कम्पोस्ट के कार्य के लिये १२ ट्रकें दे रखी हैं। इनमें से ३ ट्रकें काम के लायक नहीं हैं। इस प्रकार इस समय केवल ९ ट्रकें कार्य कर रही हैं। १९५१-५२ के वर्ष में जब १० ट्रकें काम कर रही थीं, ट्रकों द्वारा कुल २,५७,७१२ मन खाद सप्लाई हुई।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हमारे प्रान्त में मेन्योर डेवलपमेंट स्कीम इस वक्त चालू है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--पहले रूरल कम्पोस्ट की स्कीम थी वह इस साल बन्द कर दी गई।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मेन्योर डेवलपमेंट की जो अच्छी योजना थी उसको क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह खाद की जो स्कीम थी इसके बारे में काफी प्रचार हुआ और लोगों ने इसको अपनाया। उसके बाद सरकार ने यह आवश्यक समझा कि उस योजना को चालू न रखें जबकि स्वयं काश्तकार उस योजना को चलाने की कोशिश कर रहे हैं।

*७८-७९--**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)--[२७ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*८०-८२--**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)--[१३ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गए।]

*८३-८५--**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २४ व २५ पर।]

*८६--**श्री रमाशंकर द्विवेदी** (जिला रायबरेली)--[२७ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गए।]

*८७-८८--**श्री मन्नीलाल गुरुदेव** (जिला हमीरपुर)--[२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*८९--**श्री मन्नीलाल गुरुदेव**--[३ नवम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

*९०--**श्री सुन्दरलाल** (जिला बरेली)--[९ अक्तूबर, १९५२, के लिये संख्या ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

तहसील मुरादाबाद में गांव बिकनपुर का रामगंगा के कटाव में आना

*९१--**श्री महीलाल**--क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बिकनपुर तहसील मुरादाबाद की आबादी व भूमि रामगंगा नदी से कट रही है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक वहां के निवासियों की क्या सहायता की है और भविष्य में उनकी आबादी और आजीविका के साधन के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--रामगंगा नदी में बाढ़ आने के कारण ग्राम बिकनपुर, तहसील मुरादाबाद की कुछ आबादी और भूमि कटी थी, किन्तु जिला अधिकारियों के पहले ही से सतर्क रहने के कारण कोई चिन्ताजनक स्थिति पैदा नहीं होने पाई। कुछ कच्चे घरों पर असर हुआ था इसके अतिरिक्त कोई भी जान माल का खतरा नहीं था। क्षति-

ग्रस्त लोगों के लिये सुरक्षित स्थान पर अस्थायी रूप से इन्तजाम कर दिया गया था। इन निवासियों को अस्थायी रूप से बसाने के लिये उचित भूमि का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री महीलाल--क्या माननीय मन्त्री महोदय कृपा करके बतलायेंगे कि क्षति-ग्रस्त लोगों को कुछ भूमि और घर रामगंगा से कटने से शेष रह गये हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कितनी भूमि शेष रह गयी है और कितनी कट गई है इसकी सूचना नहीं है।

श्री महीलाल--मैंने यह प्रश्न किया कि कुछ भूमि या आबादी अभी शेष रह गई?

श्री चरण सिंह--जैसी रिपोर्ट सरकार के पास आई है उससे मालूम होता है कि शेष रह गई है, लेकिन कितना रकबा शेष है यह नहीं मालूम।

श्री महीलाल--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस ग्राम में अधिक-तर खेतिहर मजदूर आबाद थे?

श्री चरण सिंह--जी नहीं, किस अनुपात से कौन सा वर्ग आबाद था यह नहीं मालूम।

*९२-९३--**श्री बाबू नन्दन**--[३ नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*९४-९५--**श्री चन्द्र पाल वाजपेयी** (जिला रायबरेली)--[१३ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

आगरा जिले में उन्नत ढंग की खेती के लिये सहायता

*९६--**श्री रमेश वर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नत ढंग की खेती करने के लिये आगरा जिले में कितने व्यक्तियों को किस रूप में सहायता दी गई और वे व्यक्ति कितनी मालगुजारी या वार्षिक लगान देने वाले हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत--सूचना अभी तक एकत्रित नहीं हो पाई है। सूचना के संग्रह होने में लगभग एक महीने का समय लगेगा।

*९७-९९--**श्री खुशी राम** (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २५ २६ पर]।

रामपुर जिले में सिविल तथा सैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि

*१००--**श्री कृष्ण शरण आर्य** (जिला रामपुर)--क्या कृषि मन्त्री बताने कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में कितनी कृषि योग्य भूमि किन-किन सिविल अथवा सैनिक सरकारी अफसरों के नामों में इस समय है?

*१०१--क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त भूमि प्राप्त अधिकारियों का वेतन कितना-कितना है तथा उक्त भूमि में से कितनी-कितनी स्वयं उनके अपने द्वारा खेती के प्रयोग में लाई जा रही है, कितनी-कितनी उन्होंने अन्यों को दे दी है अथवा बटाई पर उठा दी है और कितनी-कितनी अभी भी रिक्त पड़ी है?

श्री जगन प्रसाद रावत--इन प्रश्नों के उत्तर के लिये सामग्री एकत्रित करने में जो धन, परिश्रम तथा समय लगेगा वह प्राप्त सूचना के लाभ की अपेक्षा बहुत होगा।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या यह सही है कि कई सिविल और फौजी अधिकारियों के नाम, उनके अपने और उनके रिश्तेदारों के नाम अब भी १,००० एकड़ से ज्यादा जमीन मौजूद है?

श्री चरण सिंह--ठीक है, एक आध कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास उनके रिश्तेदारों की जमीन मिलाकर १,००० एकड़ से ज्यादा जमीन बैठती है।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या सरकार ने गत वर्ष कोई ऐसा आदेश दिया था कि किसी भी हल से खेती करने वाले के नाम १०० एकड़ और मेकेनाइज्ड फार्मिंग करने वाले के पास २५० एकड़ से ज्यादा जमीन न रहे?

श्री चरण सिंह—फिलहाल इसका जवाब देना मुश्किल है, सूचना की आवश्यकता है।

* * * *

कृषि को हानि पहुंचाने वाली जंगली गायों और सांडों की व्यवस्था

*१—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा खोले जाने वाले दो सेन्टरों पर बूढ़े, बेकार, अपाहिज पशुओं के साथ-साथ समस्त प्रदेश की ऐसी जंगली गायें व खराब नस्ल के सांड भी, जो कृषि को बर्बाद करते हैं, पकड़वा कर रक्खे जायेंगे ? यदि नहीं, तो कृषि व किसानों को हानि से बचाने के लिए सरकार क्या मुनासिब कदम उठाना चाहती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इस साल दो सेवा सदन (Cocentration Camps) खोले गये हैं, उनमें बूढ़े, बेकार व अपाहिज पशुओं को रखने का प्रस्ताव है, लेकिन यदि जंगली गायें व खराब नस्ल के सांड जो जनता इन कैम्प्स में भेज देगी उनको रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यह ज्यादा अच्छा होगा कि जनता जंगली गायों को पकड़ कर उन्हें पालतू बना ले ताकि उनसे दूध निकाला जा सके। खराब नस्ल के साडों को भी बधिया करके हल व गाड़ी इत्यादि के काम में लाया जा सकता है।

*२—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह कैसे स्थानों पर और किन शर्तों के साथ नये (artificial insemination) केन्द्र खोल सकेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—सरकार उन जगहों पर नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (Artificial mumination centres) खोलना चाहती है जहां की जनता ऐसे केन्द्रों के लिये उत्साहित हो, क्योंकि ऐसे केन्द्र जनता की सहानुभूति से ही सफल हो सकते हैं। इस प्रकार के केन्द्र खोलने की शर्त यह है कि जहां केन्द्र खोलने हों वहां का जिला बोर्ड अथवा कोई और संस्था विजारों के रखने, कृत्रिम गर्भाधान लेबोरेटरी तथा कर्मचारियों के रहने का उचित प्रबन्ध तथा विजारों के खिलाने व दीगर सालाना खर्च को उठाने की जिम्मेदारी ले। बाकी उचित प्रबन्ध और खर्चा सरकार स्वयं करेगी। जहां ऊपर लिखी हुई सुविधायें नहीं हैं और खर्च का भार लेने के लिये कोई संस्था प्रस्तुत नहीं है वहां सरकार ऐसे केन्द्र अपनी शक्ति अनुसार समय-समय पर खोलने का प्रबन्ध करेगी।

* * * *

आचार्य विनोबा भावे को भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि

*१९—श्री रणंजय सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आचार्य विनोबा भावे जी को भूदान यज्ञ में ३० जून, १९५२ तक उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कितनी भूमि मिली है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सूचना सम्बद्ध सूची में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६८ पर)

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है कि विनोबा जी को दान में प्राप्त हुई भूमि को बहुत जगह किसान जबरदस्ती जोत रहे हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो दान की भूमि है उनके लिये पटवारियों वगैरह को आदेश दे दिया गया है। वे मौके पर कागजात में नाम लिख लेते हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ है कि कुछ लोग जबरदस्ती जोत रहे हैं तो उनके लिये कानूनी कार्यवाही की जायगी।

श्री शिव कुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह विनोबा जी को दान में जो भूमि प्राप्त हुई है, केवल उनके रजिस्ट्रेशन के संबंध में कोई विधेयक ला रही है या उनके वितरण के संबंध में भी ?

नोट—तारांकित प्रश्न १९—२० श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा ने पूछे।

श्री चरण सिंह—दान में जो जमीन दी गयी है वह आज के कानून को देखते हुए इल्लीगल ट्रांजेक्शन है। तो विधेयक का मुख्यतया उद्देश्य जो है वह उसे कानूनी रूप देना ही है और बाक़ी जो ऐसे उद्देश्य ह जिनसे कोई अन्तर आ सकता है, जब तक बिल न आजाय तब तक नहीं बतलाया जा सकता है।

*२०—श्री रणञ्जय सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने उक्त भूदान-यज्ञ में प्राप्त हुई भूमि की रक्षा का प्रबन्ध कर दिया है जिससे कि उस पर कोई अवैध अधिकार न कर सके ?

श्री चरण सिंह—प्रश्न साफ नहीं है। वैसे इस विषय में सरकार एक विधेयक तैयार कर रही है।

* * * *

रायबरेली जिले के कानूनगो

*२४—श्री दलबहादुर सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले के वर्तमान कानूनगोयान उक्त जिले में कितनी-कितनी अवधि से हैं ?

श्री चरण सिंह—रायबरेली जिले में हाल में ही तीन कानूनगोयान का तबादला गैर जिलों में कर दिया गया है। वर्तमान कानूनगोयान के उक्त जिले में रहने की अवधि निम्न प्रकार है :—

नाम कानूनगोयान			रहने की अवधि १ सितम्बर, १९५२ को		
			वर्ष	माह	दिन
१—श्री अली अब्बास	..	..	१०	०	३
२—श्री द्वारका प्रसाद	..	..	२५	४	०
३—श्री रघुराज सिंह	..	..	२६	११	०
४—श्री विशम्भर दयाल	..	..	१५	४	०
५—श्री अयोध्या प्रसाद	..	..	१६	५	०
६—श्री शिव सेवक	..	..	१३	९	९
७—श्री मुमताज अली	..	..	१२	७	२३
८—श्री जगदम्बा प्रसाद	..	..	११	१	२४
९—श्री जगदीश नारायण	..	..	१	८	७
१०—श्री राजेन्द्र सिंह	.	..	३	१०	५
११—श्री किशन सिंह बोरा	..	..	४	२	२४
१२—श्री सिद्धपाल	..	..	१	१०	९
१३—श्री गुरनारायण लाल	..	..	०	९	०

* * * *

प्रतापगढ़, जौनपुर तथा इलाहाबाद जिलों के क्षेत्रों में परिवर्तन के लिये पत्र-व्यवहार

*३२—श्री राम अधार (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार और प्रतापगढ़, जौनपुर व इलाहाबाद के जिलाधीशों के मध्य प्रतापगढ़ जिले का वह अंश जो जौनपुर व इलाहाबाद में पड़ता है, जौनपुर व इलाहाबाद में मिलाने तथा जौनपुर व इलाहाबाद का वह अंश जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, प्रतापगढ़ में मिलाने के सम्बन्ध में कोई पत्र-व्यवहार चल रहा है ?

श्री चरण सिंह--जी हां। सरकार ने जिलाधीश प्रतापगढ से, उनके जिले में दूसरे निकटवर्ती जिलों के जो अंश पड़ते हैं तथा उन जिलों में प्रतापगढ़ के जो अंश हैं, उनके बारे में पूरी-पूरी सूचना मांगी है।

*३३--श्री राम अधार (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

श्री चरण सिंह--जिलाधीश प्रतापगढ की रिपोर्ट आ जाने पर सरकार निर्णय करेगी।

* * * *

रहट के कुओं के लिये सहायता

*३६--श्री चुन्नीलाल सगर (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष सिंचाई के लिए रहट के कुओं के निर्माण के लिए कितना रुपया रखा गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इस वर्ष बजट में सिंचाई के लिये पक्के कुयें बनाने के लिए ३० लाख रुपये की सबसिडी तथा १६ लाख रुपये की तकावी की व्यवस्था की गई है। बोरिंग तथा रहट के लिये भी १५० लाख रुपये की तकावी की व्यवस्था है।

*३७--श्री चुन्नी लाल सगर (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सहायता देने में हरिजनों की गिरी हुई आर्थिक दशा का ध्यान रखा जा रहा है और इनको क्या-क्या विशेष सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उपरोक्त सहायता देने में हरिजन तथा अन्य जातियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रक्खा जाता है। किसी भी जरूरतमन्द किसान व सहकारी समिति को यह सहायता दी जा सकती है।

* * * *

मड़ियाहूं तहसील में अकाल पीड़ितों को सहायता

*४४--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)--क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं तहसील के उस क्षेत्र में जहां कई साल से सूखा पड़ने के कारण दयनीय दशा होती जा रही है, क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री चरण सिंह--सूखा के कारण मड़ियाहूं तहसील के हानि-ग्रस्त क्षेत्र में निम्नलिखित सहायता की व्यवस्था की गई :--

१--लगान तथा मालगुजारी में छूट--

फसल	लगान में छूट			मालगुजारी की छूट		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
खरीफ १३५९ फ० (सूखा के कारण) ..	१८,९६२	११	०	७,१७६	८	०
रबी १३५९ फ० (सूखा तथा ओला पड़ने के कारण)	३७,९६७	९	०	१९,७३०	०	०

२--धान के बीज के रूप में १९,००० रु० की तकावी दी गई।

३--मितव्ययिता योजना (ए० पी० स्कीम) की दूकानों से गल्ला दिया जा रहा है।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी की मड़ियाहूं तहसील के उस क्षेत्र में जो छूट दी गयी है वह कितने परसेंट छूट दी गयी है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ४४ श्री नागेश्वर द्विवेदी ने पूछा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---परसेंट का तो हिसाब नहीं है। जिसको जितना नुकसान हुआ था उसका हिसाब लगा कर उसे छूट दी गयी।

श्री शिव नारायण---क्या सरकार को पता है कि उस तहसील से कुल कितनी मालगुजारी उसे मिलती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

* * * *

राजकीय कृषि फार्म

*५१---श्री श्रीचन्द (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कृषि फ़ार्म कितने, कहां-कहां हैं और प्रत्येक का क्या क्षेत्रफल है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---प्रश्न में जो सूचना मांगी गई है वह संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७० पर)

राजकीय डेरी फार्म

*५२---श्री श्रीचन्द (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डेयरी फार्म कहां-कहां हैं और पशुओं की रक्षा के लिए क्या उन सब फार्मों में शेड बने हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---राजकीय डेरी फार्म संलग्न सूची में दिये हुये हैं। इनमें से नम्बर १ से ९ वास्तव में डेरी फार्म हैं, यहां पर पशुओं की रक्षा के लिये शेड बने हैं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७४ पर)

* * * *

जमींदारी उन्मूलन योजना को कार्यान्वित करने में हरिजनों की नियुक्ति

*६०---श्री राम लखन (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन स्कीम के अन्दर अब तक कितने नायब तहसीलदार कलेक्शन आफिसर एवं कम्पेन्सेशन आफिसर नियुक्त किये गये हैं और उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

श्री चरण सिंह---जमींदारी उन्मूलन स्कीम के अन्तर्गत अभी तक केवल प्रतिकर के निर्णय के लिये कम्पेन्सेशन आफिसर तथा नायब तहसीलदार नियुक्त किये गये हैं। इन पदों पर कोई बाहरी आदमी नहीं रक्खा गया है, इसलिये हरिजनों के सुरक्षित स्थान का प्रश्न नहीं उठता। इन अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है :---

	कुल संख्या	हरिजनों की संख्या
नायब तहसीलदार	१९५	२
कम्पेनसेशन आफिसर	१९५	१७

मालगुजारी की वसूली के सिलसिले में अभी कोई भी कलेक्शन आफिसर तथा नायब तहसीलदार नहीं नियुक्त किया गया है। इनका चुनाव हो रहा है और यह आदेश जारी कर दिया गया है कि हरिजनों के सुरक्षित स्थानों तथा पिछड़ी हुई जातियों का खयाल चुनाव में रखा जाय।

* * * *

रायबरेली जिले के किसानों को आर्थिक सहायता

*६५---श्री गुप्तार सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में गत वर्ष कितना धन, कितने किसानों को, बैल-तकावी के सिलसिले में दिया गया ?

श्री चरण सिंह--रायबरेली जिले में गतवर्ष १५८ व्यक्तियों को बैल खरीदने के लिये ६३,१२५ रु० की तकावी दी गई।

*६६--श्री गुप्तार सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ ऐसे किसानों को भी बैल तकावी का धन दिया गया जिनके नाम आज तक भी जिन्सवार नहीं है और न उन्होंने बैल ही खरीदा है ?

श्री चरण सिंह--जी हां, १५८ किसानों में से चार ऐसे भी हैं जिनके नाम जिन्सवार नहीं है और न उन्होंने बैल ही खरीदे हैं।

* * * *

शिल्पकार समाज मन्दिर निर्माण के लिये खाम सुपरिन्टेंडेन्ट तराई-भावर को प्रार्थना-पत्र

*७३-श्री खुशी राम (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खाम सुपरिन्टेन्डेन्ट, तराई भावर को ४८ व ४९ ई० से कितनी दरख्वास्तें कुमायूं शिल्पकार सुधारदारी सभा के प्रधान मन्त्री ने तहसील हल्दवानी के कतघरिया स्थान पर शिल्पकार समाज मन्दिर की जगह चाहने के बाबत दी और उन पर अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई ?

श्री चरण सिंह--सन् १९४८ व ४९ ई० में खाम सुपरिन्टेन्डेन्ट तराई और भावर ने श्री खुशीराम एम० एल० ए० प्रेसीडेन्ट और श्री इन्द्रपाल सेक्रेटरी, शिल्पकार सुधारनी सभा से पांच पत्र पाये थे। शिल्पकार समाज मन्दिर के लिये गांव लोहरियासाल मल्ला में एक प्लाट जिसकी नाप १५ फीट १० फीट है और जोकि बिल्कुल कटघरिया गांव के सामने है, दे दिया गया है।

*७४--श्री खुशी राम (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील हल्द्वानी की जनता की कितनी दरख्वास्तें खाम साहब के पास अपने निजी दूकानों की जगह चाहने को आयी और इनमें से किन-किन व्यक्तियों को दूकानों के लिये कितनी-कितनी जमीन, खाम ने मन्जूर की ?

श्री चरण सिंह--निजी दूकानों को बनावाने के लिये जगह चाहने के लिये ११ प्रार्थना-पत्र खाम सुपरिन्टेन्डेन्ट तराई और भावर को मिले थे। इनमें से निम्नलिखित ५ व्यक्तियों को उनके सामने दिखलाई हुई जमीन दी गई है :--

१--श्री इन्द्रलाल	..	१५ फीट × १० फीट
२--श्री हरी सिंह राना ..	..	१५ फीट × १० फीट
३--श्री गोवरधन वल्द श्री उमापति	..	१५ फीट × १० फीट
४--श्री जगदीश चन्द्र ..	..	१५ फीट × १० फीट
५--श्री जयदत्त वल्द श्री मुरलीधर	..	१५ फीट × १० फीट

* * * *

आगरा जिले में घोर वर्षा से क्षति

*८३--श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)--क्या कृषि मन्त्री व माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस महीने के तृतीय सप्ताह में आगरा जिला में जो ७५ घंटे निरन्तर वर्षा हुई उससे अन्दाजन जान, माल फसल तथा मकानों को कितनी क्षति हुई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अति वर्षा के कारण ४ मनुष्य और ६ मवेशियों के बच्चे मरे हैं। ८,७२५ मकानों को क्षति पहुंची और १५,००० एकड़ फसलों के नुकसान होने का अनुमान है।

*८४--श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को सरकार ने कितनी और किस रूप में सहायता देने का निश्चय किया है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ८३-८५ श्री बाबूलाल मीत्तल ने पूछे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार ने क्षति ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिये अब तक २,८०,०००रु० के ऋण तकावी के रूप में फसल और मकानों को क्षति के लिये बांटने की मन्जूरी दी है, इसके अतिरिक्त १०,००० की मन्जूरी gratuitons relief के रूप में दी है जो मकानों की मरम्मत और मुफ्त अनाज के बांटने इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने में लाया गया है। क्षति ग्रस्त ग्रामों में आवश्यक औषधियों के बांटने, हैजे के टीके लगवाने और बीमारियों को रोकने के लिये उचित प्रबन्ध किया गया है तथा कन्ट्रोल भाव पर अनाज बेचने के लिये ९ दूकानें खोलने का भी प्रबन्ध किया गया है। मवेशियों के इलाज का तथा बीज का भी प्रबन्ध किया गया है।

*८५--श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने गांवों में अब भी पानी भरा है और उसको निकलवाने का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिलाधीश की सूचना के अनुसार अब करीब ३२ गांवों में और करीब ३० गांवों में खेतों में पानी भरा है जोकि बहुत ही नीचे हैं और जिससे किसी विशेष क्षति के होने की संभावना नहीं है। पानी के निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है और आशा है कि स्थिति जल्द ही ठीक हो जायगी।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे व्यक्ति जिनके पास काश्त नहीं है और जिनको क्षति पहुंची है उनको भी कोई सहायता दी गई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, अगर उनका कोई मकान वगैरह गिर गया है या वे दुःख की अवस्था में हैं तो उनको भी ग्रेचूइस रिलीफ दी गई है।

श्री बाबूलाल मोतन (जिला आगरा)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मकान गिरने की संख्या बतलाई गई है उनमें वे मकान भी शामिल हैं जो शहर में गिरे है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--ऐसे सभी मकान जो वर्षा से गिरे हैं चाहे वे शहर के हों या देहात के सब इसमें शामिल हैं।

श्री रमेश वर्मा--क्या सरकार की सहायता में बीज की सहायता भी शामिल है और वह बीज कन्ट्रोल रेट से दिया जा रहा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बीज खरीदने के लिये भी तकावी दी गई है।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार ने जो तकावी दुःखी जनों के लिये दी है उस पर सूद भी लिया जायगा ?

श्री चरण सिंह--जिन दुखी जनों का माननीय मित्र का ख्याल है उनको ग्रेचूइस रिलीफ दी गई है उनसे कुछ भी नहीं वसूल किया जायगा, न असल न सूद।

* * * *

हलद्वानी (जिला नैनीताल) के किसानों को हक हकूक की लकड़ी का बटवारा

*९७--श्री खुशीराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक २८ जुलाई, १९५२ को पूछे गये प्रश्न नम्बर ४१ के सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय का आदेश किस माह और किस तारीख को हुआ ?

श्री चरण सिंह--२८ नवंबर, १९५१ ई० को।

*९८--श्री खुशीराम (अनुपस्थित)--इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिये सुपरिन्टेन्डेन्ट, तराई-भावर ने क्या कार्यवाही की और उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री चरण सिंह--चूंकि श्री इन्द्रलाल इत्यादि और प्रधान के बीच एक समझौता हो गया था और जिलाधीश ने लकड़ी दिये जाने का आदेश भी दे दिया था, अतः उस समय किसी और कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई। परन्तु अबफिर से जांच की जा रही है।

*९९--**श्री खुशीराम (अनुपस्थित)**--क्या यह सही है कि इस जांच के दौरान में उसी प्रधान ने कोई ऐसा रजिस्टर पेश किया जिसमें इन्द्रलाल नाम के बनावटी हस्ताक्षर थे?

श्री चरण सिंह--जी हां, लेकिन उस रजिस्टर में प्रधान ने एक व्यक्ति श्री हरी सिंह के हस्ताक्षर तो ले लिये थे मगर उसको लकड़ी नहीं दी थी।

सभा के अनुमोदन के बिना करों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष--मेरे पास एक सूचना है जो श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने दी है कि वे एक काम रोको प्रस्ताव लाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने गजट के द्वारा कुछ टैक्सों में इजाफा किया है। इस संबन्ध में अभी वित्तीय वर्ष के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य वाद-विवाद होने वाला है जिसमें मैं समझता हूं माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को इस तरह की चीजों के कहने का काफी मौका होगा। दूसरे यह बात निश्चित सी भी नहीं है। इसलिये क्योंकि उनको मौका है कि वे इस पर बहस कर सकें, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

उत्तर प्रदेश जमीन्दारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--आपकी इजाजत से मैं उत्तर प्रदेश जमीन्दारों के ऋण कम करने के विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७५ पर)।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं इन्फारमेशन के लिये कुछ जानना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय पिछले दिन एसेम्बली स्थगित हुई थी तो माननीय वित्त मन्त्री जी ने जब ५ बजने में आधा मिनट रह गया था यह अनुपूरक अनुदान सदन के सामने रखे थे। विधि तथा परम्परा के अनुसार भी यह आवश्यक था कि वित्त मन्त्री जी कोई स्टेटमेंट देते। पहले जब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सप्लीमेंटरी बजट प्रस्तुत किया था तब अपनी स्पीच दी थी। मैं चाहता था कि माननीय मन्त्री जी उसके बारे में कुछ कहते।

अध्यक्ष--मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता, परन्तु मैं आपकी प्रार्थना उन तक अवश्य पहुंचा देना चाहता हूं। मन्त्री जी उस पर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जैसा कि हुजूरवाला ने इरशाद फरमाया है मैं बोलता तो जरूर लेकिन पुराने जमाने से इस वक्त तक जो तरीका कायम हो चुका है मैं उसको तोड़ना नहीं चाहता और वह तरीका यही रहा है कि सप्लीमेन्ट्री बजट हाउस के सामने पेश कर दिया जाता है और उस पर जनरल डिस्कशन शुरू हो जाता है और सरकार की तरफ से उसके मुताल्लिक किसी तरह की कोई स्पीच नहीं होती।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--आज चूंकि बजट पर डिस्कशन है, इसके लिये कुछ समय निर्धारित कर दिया जाय तो अच्छा है।

मैं चाहता हूं कि माननीय विरोधी दल के नेता को १५ या २० मिनट दे दिये जायं, जैसा वह चाहें, और दस दस मिनट बाकी आदमियों को दे दिये जायं।

अध्यक्ष--इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय विरोधी दल के नेता को आध घंटा दिया जाय और बाकी स्पीकर्स को २०, २० मिनट दिये जायं।

अध्यक्ष--बहुत से सदस्य बोलने वाले होंगे इसका भी हमें ध्यान रखना है। मेरे सामने दो प्रस्ताव हैं मैं उन पर राय ले लेता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--आप अपनी तरफ से....

अध्यक्ष--तो माननीय विरोधी दल के नेता को जैसा कि और प्रस्तावों में २५ मिनट दिये जाते हैं, वैसे ही इसमें भी २५ मिनट वह ले लें, बाकी मैं समझता हूं कि एक स्वल्प से अनुपूरक अनुदान के बारे में विवाद है, इसलिये १० मिनट और लोगों के लिये काफी होंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं यह अनुपूरक बजट देखता हूं तो दो विचारधाराएं मेरे मस्तिष्क में पैदा होती हैं। एक तो "रस्सी आवत जात ते सिल पर होत निशान।" दूसरी सूरदास की एक पंक्ति है "पाहन पतित बान नहीं भेदत रीतो करत निषंग"।

बराबर सोच रहा था कि शायद बार बार की आलोचना से वित्त मन्त्री जी का मस्तिष्क कुछ खुलेगा और जो अनुपूरक बजट आने वाला है, उसमें कुछ ऐसी धारा हमें दिखायी देगी जिससे हम समझेंगे कि उन्होंने कुछ बुनयादी तौर से अपने दिमाग को बदला है और सूबे की हालत और आम गरीब जनता की हालत सुधारने की कोशिश की है। मगर मैं समझता हूं कि हमने जो पहले सोचा था वह गलत साबित हुआ और जो सूरदास की पंक्ति है वित्त मन्त्री जी उसी पर चल रहे हैं।

अब जब मैं इसको गहराई से देखता हूं तो जैसा कि पहले जब बजट उपस्थित हुआ था उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि सरकार अपने सामने कोई प्लानिंग नहीं रखती और बिलकुल अव्यवस्थित ढंग से, बिना किसी प्लान के चलती चली जाती है, वह उस समय की हमारी बात आज भी अगर वित्त मन्त्री जी देखें तो अक्षरशः सत्य मालूम होगी। जिन जिन अनुदानों के लिये यहां पर रकम की मांग की गई है अगर उन्हें देखा जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे अनुदान हैं जो कि उसी बजट में इन्क्लूड (शामिल) किये जा सकते थे। यह जो अनुपूरक बजट आया है अगर कोई अनकारसान (अस्वाभाविक) घटना घट जाती है और उसकी मीट (सामना) करने के लिये आवश्यकता मालूम होती तो मैं समझता कि ठीक है। मगर सप्लीमेंट्री बजट को लाने की एक परिपाटी चली आई है, उसी पर यह सरकार चल रही है और इसी में कहा गया है कि यह पहला सप्लीमेंट्री है। इसके बाद न मालूम कितने विभाग और खंड आयेंगे। पता नहीं चलते चलते इसका क्या रूप होगा। जो बजट होता है आखिर उसी में तो हम समाज और देश का जैसा निर्माण करना चाहते हैं उसकी झलक मिलती है, समाज निर्माण चित्र जब मैं देखता हूं तो वह चीज मुझे दिखायी नहीं देती है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिये मैं आपके जरिये कुछ अनुदानों का जिक्र कर देना चाहता हूं। अब हम अनुदान संख्या २ देखें। इसमें कौन सी बात थी जिसकी कल्पना या जानकारी माननीय वित्त मन्त्री जी को उस समय नहीं थी जबकि साधारण बजट पेश हुआ था, या उस समय नहीं हुई थी जबकि मुख्य मन्त्री जी ने उसके पहले मार्च में बजट रखा था।

और आगे देखिए अनुदान संख्या (११) सामान्य प्रशासन के कारण व्यय। दारुलसफा कौंसिल रेजीडेन्स में हमें सहूलियत दी गई है कि एक टेलीफोन एक्सचेन्ज वहां खोल दिया गया है। अगर उसकी आवश्यकता थी तो उसका प्रबन्ध पहले भी किया जा सकता था और इस रकम को साधारण बजट में रखा जा सकता था। यह इतनी कोई बड़ी बारीक चीज नहीं थी जिसकी कल्पना माननीय मन्त्री जी नहीं कर सकते थे। जहां तक टेलीफोन एक्सचेन्ज का सवाल है उससे साधारण सदस्यों को कितनी सहूलियत हुई है या नहीं हुई है वह तो अलग सवाल है। मैं यहां पर दिखलाना चाहता हूं कि किस अनियंत्रित तरीके से किसी नियम या उपनियम की सरकार परवाह न रख करके जो कुछ सरकार के दिल में इच्छा होती है उसको लाकर उपस्थित कर दिया करती है।

इसी सामान्य प्रशासन के व्यय के अन्तर्गत ही स्थानीय निकायों के चुनावों की बात है। मैं आपके जरिये बताना चाहता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के सम्बन्ध में ६ बार हमने

[श्री रामनारायण]

देखा कि घोषणा हुई और यहां तक हुई कि फलां तारीख को म्युनिसिपल बोर्ड के निर्वाचन होंगे, मगर वह स्थगित हुए और आज भी मुझे इस बात के कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि शायद आगे भी, जो सरकार इस समय अखबारों के जरिये इच्छा प्रगट कर कर रही है चुनावों के लिये, उसको भी टालेगी। इस प्रकार बार बार एक काम के लिये लिस्टें बनाई जांय, खर्चे किये जायं, तिथि निश्चित की जायं और फिर उसको टाल दिया जाय यह जनता के साथ अन्याय है और जो बजट का हिस्सा इस तरह से खर्चा किया जाता है वह सामाजिक कोष का दुरुपयोग है। कम से कम सरकार उस सम्बन्ध में अपना दिमाग तो साफ करले और हमको स्पष्ट ढंग पर यह बता दे कि क्या वह आगे आने वाले फरवरी या दिसम्बर के महीने में चुनाव करने जा रही है या नहीं करने जा रही है। हमारी शंका है और डर है कि सरकार का दिमाग साफ नहीं है। कहीं यह रुपया बेकार हो न चला जाय इसके लिये स्पष्टीकरण माननीय वित्त मन्त्री जी को करना चाहिए था। जब कि मन्त्री जी अनुपूरक में यह रकम मांगना चाहते हैं और जहां वह चुनाव की चर्चा करते हैं तो चुनाव के बारे में क्या नीति है, इसकी भी घोषणा होनी चाहिए थी कि सरकार चुनाव करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो क्यों यह रकम रखी जाती है। इसलिये आज यह सफाई होनी चाहिए ताकि आम जनता को भी जानकारी हो जाय कि किस प्रकार पहले ६ बार चुनाव की घोषणा करके चुनाव टाल दिये गये अब आगे नहीं टाले जायेंगे।

इस तरह से अनुदान संख्या १२ देखिए (कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय)। मैं कई बार संकेत कर चुका हूं समाचार पत्रों द्वारा और निवेदन भी कर चुका हूं और आज भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अनुदान संख्या १२ के अनुसार रकम मांगी जा रही है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती यदि सरकार अपनी गतिविधि को सुरक्षित और मर्यादित नहीं करेगी। कहते हैं कि जमीन्दारी स्बालिशन होने से जो परिस्थिति पैदा हुई उसमें बहुत से अफसरान उसके हिसाब किताब और कागजों के बनाने में लगे हुए हैं, इसलिये ४७ जिलों में अफसरों की कुछ नई नियुक्तियां करनी होंगी जिसकी कल्पना पहले नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार आखिर किस दिमाग को रखती है? यह जमीन्दारी स्बालिशन आज नहीं हुआ। जमीन्दारी स्बालिशन बहुत पहले हो चुका है। जिस तरह से यह अफसर काम कर रहे हैं, मुझे इधर पूर्वी जिलों की जानकारी विशेष हुई है। इसके पहले जब यह सेशन स्थगित था, बनारस में तो बाढ़ आगई थी, मन्त्रियों की, डिप्टी मन्त्रियों की और पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरियों की। जिला के जो बेचारे कर्मचारी थे उनको जो हुजूरी में रहना जरूरी था। अगर किसी डिप्टी मिनिस्टर के आने पर कोई कर्मचारी नहीं पहुंचता है तो वह रुष्ट होते हैं। अगर किसी पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी के आने पर कोई कर्मचारी नहीं पहुंचता है तो वह कहते हैं कि जिला के अधिकारी हमारी उपेक्षा करते हैं। यह बिलकुल सही बात है चाहे सरकार इसको माने या न माने। चाहे सरकार यह कहे कि यह बात गलत है लेकिन जिले का कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो इस बात को लेकर रोता न हो कि सरकारी काम कैसे हो। अभी इसके पहले एक सरकारी कर्मचारी के पास कम से कम सौ किसान कई घंटे तक खड़े थे, क्योंकि तारीख लगी हुई थी और वे मुकद्दमे में आये हुए थे मगर उनकी ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी गई थी। माननीय गवर्नर साहब की सवारी जाने वाली थी उसका प्रबन्ध करना था। कलेक्टर को मैंने फोन किया। जिन आफिसर के इजलास में तारीख लगी हुई थी, वे बेचारे फोन करने पर मिले ही नहीं। कलेक्टर ने कहा कि हमारी लाचारी है, आखिर यह प्रबन्ध भी तो हमको ही करना ही है। सरकार इसके लिये कोई योजना सोचे। मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी संख्या की कोई लिमिट ही नहीं है। अगर हर हफ्ते में वे जिले में पहुंचते रहेंगे तो दो आफिसर उनकी जी हुजूरी और सेवा सुश्रूषा में लगे रह जायेंगे। उनके लिये अगर इस अनुदान में सरकार थोड़ी रकम और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा ले, क्योंकि सरकार के उद्देश्य की पूर्ति इससे नहीं हो पायेगी। यह सरकार जिस तरीके से चल रही है उसको किस शब्दों में

व्यक्त किया जाय मैं यही कह सकता हूं कि यह उद्देश्य विहीन और नीति विहीन सरकार है। अगर सरकार कोई गलत ही काम करना चाहती है तो गलत काम ही करे, गलत काम करने का भी एक कायदा होता है, लेकिन सरकार गलत काम भी नहीं कर पाती है। सरकार चलती चली जाती है। एक ढांचा है जो चलता चला जाता है और जितने दिन तक चला जाय चला जाय। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी जरा इन बातों की सफाई देंगे ताकि आगे जो हर अनुदान पर बहस होने वाली है उसमें कुछ आसानी हो जाय।

आगे अनुदान संख्या ३५ देखिए। दुर्भिक्ष सहायता पढ़ करके बड़ी खुशी हुई। अब दुर्भिक्ष के माने क्या अकाल होते हैं या नहीं। यह तो जो शब्द और भाषा विशेषज्ञ हों उनको बताना चाहिये। कम से कम इस अनुपूरक बजट में एक शब्द आया कि दुर्भिक्ष है और दुर्भिक्ष सहायता के लिये ५० लाख रुपये की जरूरत है। इसके पहले जब बजट उपस्थित हुआ था उस समय क्या दुर्भिक्ष की कल्पना माननीय मंत्री जी नहीं कर सकते थे। बार बार कहा गया, उसके पहले प्रस्ताव यहां पर उपस्थित किया गया था, उसके पहले सारी जनता पूर्वी जिलों की एकदम रो पड़ी थी, बहुत से लोगों के बयानात निकल चुके थे, मगर सरकार तो जिस तरह से चलती है उसी तरह से चल रही है। यह तो अपने मन में समझ बैठी है कि हाथी चले जाते हैं और कुत्ते भूंकते रहते हैं। जब तक इस मनोवृत्ति से सरकार काम करेगी तब तक हम सदन में बैठकर वादविवाद भले ही कर लें, अनुपूरक बजट में और साधारण बजट में सुझाव भले ही दे दें, परन्तु उससे जन कल्याण नहीं हो सकता है। इस बात को माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से समझ लें। म फिर कहता हूं कि मेरी दृष्टि में यह रकम कम है। अगर दुर्भिक्ष को इस सरकार को मिटाना है, तो उसकी तो योजना बड़ी सीधी साधी है।

अध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी से मैं कहूंगा कि ये शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किये चूंकि अपने लिये किए हैं, इसलिये आपत्ति मैंने उठाई नहीं, लेकिन अगर आप इस तरह के शब्द 'कुत्ते' वगैरा के इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शब्दों का उपयोग अपने लिये भी न करें, वरना दूसरे भी उपयोग करना शुरू कर देंगे।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक कहा। आपकी बात मानता हूं मगर यह एक कहावत है कि 'हाथी चला जाता है और कुत्ते भूंकते रहते हैं।' उसी को मैंने दोहरा दिया। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यह जो ३५ नम्बर की अनुदान संख्या है जिसमें दुर्भिक्ष की सहायता के लिये ५० लाख रुपये की रकम मांगी गयी है, अब तक सरकार ने दुर्भिक्ष सहायता के लिये क्या किया है। यहां पर तो बयानात लम्बे चौड़े किये जा सकते हैं और इसके पहले मंत्री, उपमंत्री और मुख्य मंत्री बयान निकाल भी चुके हैं, मगर मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस सरकार की गतिविधि दुर्भिक्ष पीड़ित को सहायता पहुंचाने की नहीं है। अभी मैं परसों बनारस जिले के चंदौली तहसील के हेडक्वार्टर पर मौजूद था। वहां की गरीब जनता प्रदर्शन में आयी हुई थी। वहां पर एक दाना है मकई, केवल मकई और ऐसी मकई कि अगर फूंक दिया जाय तो आधा सत्त उड़ जाता है। तो यह मकई उन लोगों को खाने के लिये दी जाती है। जब वहां के परगना हाकिम से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार की नीति यह है कि मकई ही दी जाय सब को चाहे उसकी रोटी बन पाये या न बन पाये। वह कहते हैं कि मकई जब जनता लेने लगेगी तब सरकार समझेगी कि हां, अब जनता भूख से पीड़ित है। सरकार जो कराना चाहती है वही वे करते हैं। जब आदमी भूख से मरेगा तो उस मकई को भी खाने की कोशिश करेगा। यही पहचान है। मगर उसकी तो रोटी बन ही नहीं सकती और न वह कोई सत्तू ही है जो घोलकर पी जायं। यह सरकार तो अपनी अनीति पर चलती है। कहीं-कहीं से कुछ सरकारी रिपोर्टें आ जाया करती हैं, उनके अनुसार लम्बी चौड़ी बातें कर दिया करते हैं। जिस तरह से हमारे देश की हालत है, उनके लम्बे बयानात तो अखबारों में निकल ही जाया करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भिक्ष की सहायता अगर सरकार करना चाहती है तो हमारे मुल्क में जो तमाम लेबर पावर पड़ी हुई है उसको संगठित करने के लिये कोई न कोई उपाय करना

[श्री राजनारायण]

होगा । कुमारप्पा को आप कह दीजिये कि वह तो पूर्वी जिलों की भाषा को ही नहीं जानते थे, सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को कह दीजिये कि वह तो अंड-बंड बका करते हैं, मगर सही बात तो यह है कि आज जो अकाल की परिस्थिति पैदा हो रही है उसको सरकार छिपा नहीं सकती । मैं इस अनुपूरक बजट पर बोलते हुये कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे १९५३ तक किसी तरह से अन्न का संकट रोकने में समर्थ हो सके, मगर १९५४ और १९५५ का समय बहुत ही संकटपूर्ण होगा और १९५४ के समय में अकाल हमारे प्रदेश में होकर रहेगा । आज भारत में अगर अकाल भयंकर रूप में नहीं है और जनता अपने-अपने स्थानों को छोड़ कर असेम्बली भवन के सामने आ कर नहीं पड़ती है तो केवल अमरीका की बदौलत । आप अमरीका का गल्ला पा रहे हैं, इसलिये जो दुर्दशा आज इस मुल्क की यह सरकार कर रही है उसको वह एक दूसरा रूप दे रही है । नहीं तो इतनी दुर्दशा इस सरकार ने कर रखी है कि उसकी कल्पना मैं करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं । जहां अमरीका ऐसी परिस्थिति में नहीं रहेगा कि गल्ले की सहायता कर सके उस समय हम किसका मुंह देखेंगे । और ऐसा समय जब साल भर के बाद आयेगा तो वह बड़ा ही संकटपूर्ण समय होगा और पता नहीं कि हमको कहां से कहां जाना पड़ेगा । इसलिये मैं फिर जोर देना चाहता हूं कि हमने जो बार-बार भूमि सेना और सिंचाई सेना की बात की उसकी ओर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता । आज इस अनुपूरक बजट को देख कर इस बात की हमें खुशी है कि सरकार ने अनुदान संख्या ४२ में कह दिया है कि २० लाख एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में परती पड़ी है । मगर मैं कहता हूं कि २० लाख एकड़ जमीन पूर्वी जिलों में परती है । उस २० लाख एकड़ जमीन को तोड़ने के लिये जो योजना यहां पर चलायी जा रही है उससे काम नहीं चलेगा । आज बख्शी तालाब की चर्चा आती है, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स की चर्चा आती है, अनुपूरक बजट में उसकी मांग की जाती है । पहली अप्रैल से बख्शी तालाब पर ट्रेनिंग का काम चल रहा है ।

पहली अप्रैल को मुख्य मंत्री जी का भाषण भी हुआ । पहली अप्रैल के बाद जो बजट पेश हुआ उस समय कल्पना नहीं की गई थी । इस बीच में कौन सी ऐसी बात आ गई जिसमें माननीय मंत्री जी को सप्लीमेंटरी बजट के जरिये से इस रकम को रखना पड़ा है । यह बुद्धि विभ्रम जन्य भ्रांति नहीं तो क्या है और इसके सिवाय दूसरा नतीजा नहीं हो सकता है । सरकार की ब्रूट मैजारिटी (विशाल बहुमत) सरकार सोचती है कि चाहे जो कुछ भी हो किसी न किसी तरह से कर ही लेंगे । अभी कुछ दिन पहले मैं दूसरे स्टेट बम्बई में था । माननीय मुख्य मंत्री जी विक्षिप्त हो उठे थे । अखबारों में खबरें आई थीं कि बड़ा विरोध हो रहा है जो यह ड्यूटी लगाने वाले हैं । हमसे भी राय मांगी गई और हमें तुलना करने का अवसर मिला । यह बात नहीं है कि यहां की सरकार की योजनाओं को जिस तरह से कि यहां की सरकार समझती है कि हम उनको विकृत करते हैं, हम खिल्ली उड़ावें । हो सकता है कि वहां की सरकार से यहां की सरकार किसी बात में कुछ आगे हो और वहां की सरकार भी यहां की सरकार से किसी माने में कुछ आगे हो । लेकिन जब टोटल देखा जाता है तो नतीजा यही निकलता है कि यहां की सरकार उद्देश्यहीन और नीतिविहीन है । जब योजनाओं में यह कहते हैं कि परती जमीन के तुड़वाने की कोशिश होगी कैसे टूटेगी, जरा माननीय मंत्री जी इसको बतलायेंगे । ट्रैक्टर से । सुनियोजित ट्रैक्टर के उपयोग करने से परती भूमि ठीक हो सकती है । यह ढंग क्या है जो नैनीताल वगैरा में देख चुके हैं । वहां ६७ कोआपरेटिव यूनियन बनीं और एक भी न रहीं । सबकी सब टूट गईं । कहने को भले ही यह कह दिया जाय कि नान पोलिटिकल एलीमेंटस को जमीनें मिल गई थीं इसलिये उनसे निकाली जा रही हैं । लेकिन वस्तुस्थिति तो यह है कि वहां पर एक भी कोआपरेटिव यूनियन नहीं है । यह सरकार की उद्देश्यहीन नीति का सब से बड़ा, प्रज्वलन्त उदाहरण है ।

डाक्टर अम्बेडकर नामक एक अर्थ शास्त्री की बात है उसको मैं थोड़े में पढ़ना चाहता हूं । उसको आप देखें कि--

"The natural problem of public finance is the complete and comprehensive utilisation of the available and material resources for the maximum production of wealth and for the realisation of the maximum social welfare. I have culculated that at the present level of efficiency India is losing something like 100 crores of rupees as a result of the unemployment of human resoures."

[उपलब्ध तथा भौतिक साधनों का सम्पत्ति के अधिकतम उत्पादन और अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए संपूर्ण तथा विस्तृत उपयोग सार्वजनिक वित्त की स्वाभाविक समस्या है। मैंने गणना की है कि कार्यक्षमता के वर्तमान स्तर पर भारतवर्ष मानवीय साधनों के अनियोजन के परिणामस्वरूप १०० करोड़ रुपये के लगभग की हानि उठा रहा है।]

आज हमारे देश में एक सौ करोड़ रुपया व्यर्थ हो रहा है। आज हम श्रम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यह तो एक माडरेट एस्टीमेट है अगर हम ठीक हिसाब लगायें तो यह रकम न जाने कितनी बढ़ जाय। हमारी श्रम शक्ति व्यर्थ जा रही है। कोई योजना सरकार के पास नहीं है। यदि अमेरिका की मुखापेक्षी रहकर देश की हालत को सुधारने की नीति को सरकार बरतेगी तो सरकार कुछ नहीं कर पायेगी।

इसलिये आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और दूसरे लोगों से कहना चाहता हूं कि चाहे वह अमेरिका हो, चाहे रूस हो, हम किसी के मुखापेक्षी नहीं होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ही देश में जो साधन हैं और जिनका हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं उनका इस्तेमाल करें। एक उदाहरण मैं आपके जरिये बता देना चाहता हूं। एक जिले में यद्यपि मैं यह महसूस करता हूं कि दस आना प्रति दिन मजदूरी देकर टेस्ट वर्क में काम लेना अनुचित है, क्योंकि आज की मंहगाई के जमाने में दस आने में खाने की गुंजायश नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हमने बतलाया कि हम दस आने में ही लेबर देने को तैयार हैं बशर्ते कि सरकार उस जगह काम करे जहां हम बतलायें। लेकिन वहां पर पार्टी पोलिटिक्स का सवाल आ गया कि सोशलिस्ट कह रहे हैं इसलिये इस जगह को इंक्लूड (शामिल) नहीं करना है और हम लेबर देने के लिये तैयार हैं यह हमने जिलाधीश से कहा और प्लानिंग आफिसर से कहा और आज भी लेबर देने के लिये तैयार हैं। लेकिन वह लेबर लेने के लिये तैयार नहीं हैं। एक तरफ तो लेबर पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उनको आवश्यकता भी है तो फिर उस लेबर का लाभ क्यों नहीं उठाया जाता। यह समझने की बात है। अगर वह हमारे बतलाये हुये लेबर को लेने के लिये तैयार नहीं हैं तो इसके साफ माने यह निकलते हैं कि चूंकि सोशलिस्ट पार्टी उस बात को कह रही है और वह एक ईमान्दारी की बात है इसलिये वह इस लेबर को लेना नहीं चाहते। मैं यह बात ईमान्दारी से कहता हूं कि सरकार चाहे इस बात को माने या न माने, लेकिन आज सोशलिस्ट पार्टी का गरीब जनता पर बहुत प्रभाव है और सोशलिस्ट पार्टी के संकेत पर हजारों की तादाद में लोग किसानों और मजदूरों में से लेबर करने के लिये निकल सकते हैं। सरकार हमारी इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है, क्योंकि वह यह समझती है कि अगर उनकी बात मान ली जायगी तो सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव और बहुत बढ़ जायगा। इसलिये यह जनहित कार्य को करने वाली नहीं है। आज जो साधन सरकार को मिले हुये हैं वह तो किसी तरह से भी हो अपनी गद्दी को सुरक्षित रखना चाहती है और किसी प्रकार भी जन-कल्याण का कार्य करना नहीं चाहती है। हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने एक बार यहाँ पर एक बिल पर बोलते हुये यह कहा था कि सैक्रीफाइस करनी चाहिये और सैक्रीफाइस की भावना से टैक्स जो लगाये जायं उनको अदा करना चाहिये। यह तो एक लम्बा चौड़ा विषय है कि किसको कितनी सैक्रीफाइस करनी चाहिये और किसको नहीं करनी चाहिये। आज के युग में जो प्रगतिशील विचारक हैं वह इस बात को मानते हैं कि सैक्रीफाइस करनी चाहिये। लेकिन देखने की बात यह है कि जो 'कर' के मैक्जीमम भार से दबते हैं उनको तो एक्जम्प्ट (बरी)

[श्री राजनारायण]

होना चाहिये। सबसे प्रगतिशील पालिसी टैक्स लगाने की यही है कि सैक्रीफाइस जरूर होना चाहिये, लेकिन उसका भार ग़रीब पर नहीं पड़ना चाहिये। किसी के पास एक करोड़ है और किसी के पास आठ आने हैं। अगर सरकार चार आना टैक्स लगाती है तो उससे एक करोड़ वाले के पास से भी ४ आना निकल जायगा और जिसके पास आठ आने हैं उसके पास से भी चार आना निकल जायगा। वह ग़रीब बेचारा तो मर जायगा यहाँ पर समान त्याग की बात गलत और अव्यावहारिक होती है। इस कारण इस अनुपूरक माँग पर बोलते हुये मैं माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि इससे काम नहीं चल सकता है। अगर आप इन योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते हैं और देश का कल्याण करना चाहते हैं तो सरकार सोशलिस्ट पार्टी के सुझावों पर ध्यान दे और सरकार उन सुझावों पर अमल करे जिससे देश का और जन-समाज का कल्याण बहुत जल्दी हो सके।

श्री भगवान सहाय--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन हमेशा से सरकार की माँग को पास करता रहा है और जब कभी सरकार की ओर से रुपये की जरूरत पड़ी तो सदन ने उसको हमेशा स्वीकार किया है। मेरा खयाल यह है कि इसमें अपनी जगह पर आइन्दा भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आइन्दा भी जब रुपये की जरूरत पड़ेगी चूंकि इस सदन का यह विश्वास है कि सरकार जिस रुपये को चाहती है वह एक वैल फैयर स्टेट बनाने के लिये चाहती है, इसलिये उस रुपये को आइन्दा हमेशा ही यह सदन पास करता रहेगा। परन्तु हमें देखना यह है कि जो रुपया हम देते हैं वह सही तरीक़े पर इस्तेमाल होता है या नहीं। यह बात हमको बहुत गौर के साथ देखनी है। हमें यह भी देखना है कि हमारे प्रदेश की जनता का उस रुपये से कितना लाभ हुआ। उस रुपये से जो वैल फैयर स्टेट बनाने का लक्ष्य है उसमें कहाँ तक पूर्ति हुई और हम उस लक्ष्य के कितने नजदीक पहुंचे। इन सब बातों को जानने के लिये यह जरूरी हो जाता है कि हम बजट को बहुत गौर के साथ पढ़ें और खासतौर पर इस निगाह से देखें कि वह वैल फैयर स्टेट का मन्शा हमारा कहाँ तक पूरा हो रहा है।

श्रीमान् मैंने इस बजट को इसी नुक्तेनजर से पढ़ने और समझने की कोशिश की और इस नतीजे पर पहुंचा कि भारतीय संविधान के आर्टिकिल २०४ और २०६ का इस बजट से उल्लंघन होता है। बजट क्या चीज है इसको जैसा मैं समझ पाया हूं वह यह है कि बजट सही तसवीर होता है इस बात की कि हमको क्या काम करने हैं और उसके लिये कितना-कितना धन चाहिये और कितना-कितना कैसे इस्तेमाल होगा। साल के खर्च और आमदनी की सच्ची तसवीर के माने बजट है। तरीक़ा यह है कि बजट सदन के सामने रखा जाता है और उस पर बहस करने के बाद हम उसे मंजूर करते हैं। एप्रोप्रियेशन बिल की मार्फत हम कंसालिडेटेड फंड्स से गवर्नमेंट को इजाजत देते हैं कि इतना-इतना रुपया जो हमने बजट में पास किया है उसमें से विदड्रा कर लो। अब सवाल यह है कि यह सही तरीक़े से होता है या नहीं। मैंने इस बजट को बहुत गौर से पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंचा कि आइटम्स सैंक्शन कराये जाते हैं ६ महीने बाद और खर्च हो जाते हैं ६ महीने पहले जिनकी मिसालें मैं श्रीमन् आपकी आज्ञा से सदन के सामने रखूंगा। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने जो बजट बनाया है वह इस तरीक़े से है कि उसका समझना एक मामूली आदमी के दिमाग़ के बाहर है। मिसालन् मैं यह अर्ज करूंगा कि पी० डब्ल्यू० डी० की जो ग्रान्ट्स हैं उनको देखिये।

"9. Irrigation Works met from revenue
10. Charges on Irrigation and Hydro-Electric Establishment
31. Expenditure on Public Works met from revenue
32. Improvement of Communications (Financed from the Central Road Fund Account).
33. Charges on Public Works Establishment
34. Grants-in aid of Civil Works.

RA 781

131335

43. Construction of Irrigation and Hydro-Electric Works outside the Revenue Account ...

46. Outlay of Civil Works outside the Revenue Account ..."

[९—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ।

१०—सिंचाई और जल-विद्युत् स्थापना पर व्यय ।

३१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ।

३२—यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क-निधि के लेखे से वित्त-पोषित)।

३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय ।

३४—नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान ।

४३—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई और जल-विद्युत निर्माण-कार्यों का सम्पादन ।

४६—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत ।]

अध्यक्ष—माननीय सदस्य कृपा करके हिन्दी में पढ़ें, क्योंकि और लोग समझेंगे नहीं ।

श्री भगवन सहाय—मेरे पास हिन्दी की कापी नहीं है ।

अध्यक्ष—और लोगों के पास होगी । अगर एक ही कापी होती तो मैं इजाजत दे देता । लेकिन हिन्दी की कापियाँ मौजूद हैं, इसलिये आप कृपा करके किसी माननीय सदस्य से लेकर हिन्दी में ही पढ़िये ।

श्री भगवान सहाय—तो इन मुख्तलिफ अनुदानों के अन्दर पी० डब्लू डी० की रकमें दिखाई गई हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि अगर आप देखना चाहें और जोड़ना चाहें तो पूरा पूरा छोटा-मोटा सेक्रेटेरियट चाहिये तभी मालूम हो सकता है कि कितनी ग्रान्ट चाहिये पी० डब्ल्यू० डी० के लिये और कलकुलेट करें तभी पता लग सकता है कि हमें पी० डब्ल्यू डी० में कितना खर्च चाहिये और कितना नहीं । मैं इससे एक ही नतीजे पर पहुंचता हूं कि बजट जो बनाया गया है उसको जानने के लिये कोई सीक्रेट साइफर है जिससे वह जाना जा सकता है और मामूली तरीके से एक आदमी उस बजट को समझ ले ऐसा मेरी समझ में सम्भव नहीं है और वह सीक्रेट साइफर भी मैं समझता हूं कि फाइनेंस सेक्रेटरी साहब की तिजोरियों तक ही महदूद है किसी मामूली आदमी को मिल जाय ऐसा मेरी समझ में नहीं आता । मैं मानता हूं और अपनी कमजोरी को तसलीम करता हूं कि मैं एकनामिक का स्टूडेंट नहीं रहा और शायद यही वजह हो कि मुझे बजट को समझने में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है । तो जहाँ पर मैं गलती में हूं उसके लिये मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा अगर मुझे सही रास्ते पर डाल दिया जायगा ।

सप्लीमेंट्री बजट को मैंने समझने की कोशिश की तो जैसा उसमें दिखलाया गया है कि १४ लाख ७२ हजार ९०० रुपया दिया जाय वह गलत है । कागज में तो यही रकम मांगी गई है लेकिन रकम मांगी ज्यादा गई है, इस बात को मैं आपके सामने साबित करना चाहता हूं । १,२०० रुपये की टोकिन ग्रान्ट दिखलाकर करीब दस लाख का खर्च और मांगा गया है और इसको जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हम यह नहीं समझ सकते कि वह रुपया कहां से बच गया । वह रुपया कहां से प्लान किया गया हमारे इस मांग में, यह हमारी समझ में नहीं आया कि वह किस ग्रान्ट में शामिल है । जब और ग्रान्ट्स में मांगा गया तो एस्टीमेट करके मांगा गया और वह मांग सही हो इसमें हमें शुबा है । इसके अलावा बहुत से एक्सपेन्डीचर हैं जैसे अनुदान संख्या २, १०, १८, २०, २१, २८, ३३, ४६ हैं इनमें १,२०० रुपये की टोकिन ग्रांट से ही दस लाख का खर्च बढ़ जाता है । यह चीज आपत्तिजनक है और इससे सदन के सदस्यों को इसके समझने में बहुत उलझन होती है और वह नहीं समझ पाते हैं । बहुत सी ऐसी ग्रान्ट्स हैं जो जुलाई में आ जानी चाहिए थीं और इस वक्त नहीं आना चाहिए थीं । मसलन मैं अर्ज करूं कि १८ हजार रुपया जो खोह दरिया के ऊपर बान्ध के लिये मांगा गया है और ग्रान्ट नम्बर २ में जिसका जिक्र है वह बरसात के पहले ही खर्च हो जाना चाहिए था । इसके मानी यह हैं कि यह रुपया जुलाई के महीने में ही आ जाना चाहिए था । लेकिन इसको अब रखा गया है । तो यह चीज संविधान के आर्टिकिल का क्लियर वायलेशन है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैंने इस अनुपूरक बजट को कुछ शास्त्रीय ढंग से या साइन्टिफिक ढंग से पढ़ने की कोशिश नहीं की है, अपने जिले का जहां अनुदान है उसको देखने का विचार किया और गौर भी किया है। दुर्भिक्ष सम्बन्धी अनुदान देखा जिसका जिक्र हमारे विरोधी दल के नेता ने किया है और खास तौर से अनुदान संख्या ४३ को देखने की कोशिश की है। सरकार ने बस्ती जिले में और खासतौर से उसके उत्तरी राप्ती क्षेत्र की सिंचाई के लिये एक बान गंगा नहर योजना निकाली है और उस पर जो खर्च होगा उसका अनुमान किया गया है कि लगभग २४ लाख रुपया खर्च होगा। उसको देखकर खास तौर से उत्तरी भाग के जो निवासी हैं और जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें काफी हर्ष हुआ है। अभी हाल में मैं बान गंगा प्रोजेक्ट को देखने के लिये गया था वहां मैंने उसके पड़ोस में और भी जो तरीके सिंचाई के हैं उनको भी मैंने देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन देहाती क्षेत्रों में पहले अंग्रेज ही राज्य करते रहे और अब भी बहुत से इलाके हिन्दुस्तानी जमींदारों ने उनसे खरीदे हैं। यह इलाका एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र समझा जाता था जहां धान की फसल होती थी और यहां के लोगों ने सिर्फ १०० या २०० साल पहले ही खेती करना सीखा था। जंगलों को कटवा कर उन्होंने बड़े बड़े तालाबों को रिजर्वायर की शक्ल दी। इन रिजर्वायरों पर छोटे छोटे पुलों का प्रबन्ध किया गया था। जब भी उनको अपने खेतों में पानी देना होता था तो उन्हीं पुलों के जरिये से आबपाशी की जाती थी। अब जमीन्दारी उन्मूलन के बाद इन रिजर्वायरों की हालत ऐसी नहीं है जैसी की पहले थी अब सारी जिम्मेदारी सरकार की है जिसकी पूर्ति के वास्ते सरकार ने बान गंगा नहर निकालने की कोशिश की और उसके ऊपर सरकार २४ लाख रुपया खर्च कर रही है। सरकार ने समझा कि यह क्षेत्र अन्न का भन्डार है। २-३ साल की अनावृष्टि के कारण वहां के निवासी अन्नाभाव में रहे। जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि सरकार ने उनके दुःख के निवारण का उचित प्रबन्ध नहीं किया तथा उनके मुतालिक तरह तरह की शिकायतें की मैं वैसा तो नहीं कहता परन्तु इतना तो कहूंगा कि उनका कहना तो कुछ अंश तक ठीक है लेकिन यह ठीक नहीं है कि ऐसे समय में सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। सरकार ने तकावी और नाज की दूकानों के जरिये उन लोगों पर लाखों रुपया खर्च किया है अगली जो फसल आने वाली है उसमें भी सरकार रुपया देने वाली है। यह जो अनुदान हमारे सामने है उससे यह मालूम होता है कि सरकार इसे अन्न का भन्डार समझती थी इसलिये उसमें एक सुन्दर नहर बनाना चाहती थी। क्योंकि वहां पर ट्यूबवेल्स की कोई योजना नहीं हो सकती थी इसलिये सरकार ने यही उचित समझा कि एक नहर कायम की जाय। उसके मुतालिक सरकार के सामने मैं एक सुझाव पेश करना चाहता हूं। सरकार ने जो नहर निकाली है वह दो फसली एरिया में से निकाली है और बहुत सा ऐसा एरिया बाकी रह जाता है जो एक फसली है। जहां से नहर निकाली जा रही है वह तो पहले से ही अच्छा एरिया है, लेकिन ऐसे बहुत से स्थान बाकी रह जाते हैं जो बान गंगा नहर से बिलकुल अछूते ही रह जाते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनका विभाग जो काम कर रहा है उसने सर्वसाधारण के सामने अपनी स्कीम का प्रकाशन नहीं किया है। मैंने उस क्षेत्र को स्वयं देखा है सरकार उसमें नहर का जाल बिछाना चाहती है लेकिन फिर भी बहुत से हिस्से बाकी रह जाते हैं, अतः मेरी प्रार्थना है कि उन हिस्सों को भी जोड़ देना चाहिए तथा इस नहर से इन रिजर्वायरों को जोड़ देना चाहिए ताकि जो कमी रह गयी है वह इन रिजर्वायरों के जरिये से पूरी हो जाय। इसके लिये मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि वह अपने विभाग की सिद्धहस्तों की कि एक कान्फ्रेन्स करें ताकि लोगों को ज्ञात हो सके कि सरकार वहां क्या करना चाहती है और सरकार की स्कीम क्या है? हम जानते हैं कि सरकार के सामने आंकड़े हैं और उसके द्वारा सरकार ७२ हजार एकड़ में सिंचाई करने जा रही है। यह तो सिद्धहस्तों का ही काम है कि वहां ७२ हजार एकड़ में सिंचाई हो भी सकती है या नहीं, लेकिन यह मैं जरूर जानता हूं कि जहां से नहर निकली है और जहां तक गयी है पानी की अभी तक कमी है। मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी और प्लानिंग डिपार्टमेंट के मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा और अरसे से उस क्षेत्र में कोई मन्त्री महोदय, तशरीफ

भी नहीं ले गये हैं। अगर आप सिद्धहस्तों को एक छोटी-मोटी कान्फ्रेंस करते और बाद में एक बड़ी कान्फ्रेंस करते तो लोगों को मालूम हो जाता कि किस अभिप्राय से यह नहर खोला जा रही है और नहर का कौन स्रोत उत्तम होगा, किस जगह से नहर गुजरे तो अच्छा होगा।

एक तो मेरा सुझाव बान गंगा नहर के सिलसिले में था और दूसरा अनुदान जो निर्माण के सिलसिले में है उस सम्बन्ध में है। मेंहदावल से बांसी तक जो सड़क जाती है मेरा खयाल है कि सरकार उस पर ५० हजार रुपया खर्च कर रही है। हमारे यहां दुर्भिक्ष का समय रहा, अकाल से लोग परेशान रहे, टेस्ट वर्क भी चला लेकिन यह नहीं मालूम हो सका कि वह ५० हजार रुपया कब खर्च होगा। उस सड़क पर थोड़ी बहुत मिट्टी बही पड़ी हुई है। मैंने सरकारी कर्मचारियों से तथा उनके इंजीनियरों से पता लगाया तो मालूम हुआ कि अभी कंकड़ नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर से उतरौला, बलरामपुर तक वह सड़क जाती है। लोगों को यह ख्याल है कि अगर रेलवे लाइन हो जाती तो बलरामपुर तक सड़क अच्छी जाती। यह बहुत ही इम्पार्टेन्ट सड़क है। इसलिये मैं सरकार से चाहूंगा कि वह जल्द से जल्द इस काम को पूरा करे तो ज्यादा अच्छा होगा। और वह मेंहदावल से बांसी तक की सड़क को इस ५० हजार रुपये से निर्माण कराना शुरू कर दे। इन चन्द शब्दों के साथ, जो मांग सरकार ने की है उसका मैं समर्थन करता हूं और खास तौर से सरकार ने इस बजट में पूर्वी जिलों की तरफ जो विशेष ध्यान दिया है उसके लिये मैं उसे धन्यवाद देता हूं और अपने आप को अनुगृहीत समझता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनुपूरक बजट को देखने के बाद मुझे यह आश्चर्य होता है कि माननीय वित्त मन्त्री जो कि बजट से सम्बन्धित सब कार्यों में निपुण हैं वे इस तरह की गलती करें और अदूरदर्शिता और अज्ञान का परिचय दें। अगर हमारे मन्त्री महोदय किसी दूसरे देश में यह करते होते तो आज उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना होता लेकिन यह उत्तर प्रदेश है जहां हम लोग खुद नहीं समझ पाते कि आलोचना करना कहां तक हम लोगों के लिये उचित होगा और कहां तक हम उसके लिये समर्थ होंगे। मैं तो यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि सरकार की यह मन्शा थी कि यह बाद को सदन के सामने रखा जाय। ऐसे अनुपूरक बजट के लाने का उद्देश्य यदि यह होता रहा तो यह सचमुच लज्जाजनक है। परन्तु मैं सरकार की किसी बात पर सन्देह नहीं करना चाहता हूं। और न उनकी नियत पर ही किसी तरह का आक्रमण करना चाहता जैसा कि सदन में प्रायः होता रहा है।

दूसरी चीज जिस पर मुझे कुछ परेशानी पैदा हुई है वह यह है कि कंटिन्जेन्सी फन्ड से रुपया खर्च करके, उसके बाद सदन के सामने हमारे एप्रूवल के लिये लाया जाता है। विरोधी दल के नेता माननीय राजनारायण जी अनुपूरक अनुदान संख्या ११ के विषय में जो यह कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव के बारे में ६ मर्तबा कहा जा चुका लेकिन आज तक कोई एलेक्शन नहीं हुआ। तो एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, जनता अकाल से पीड़ित है, लोग भूखों मर रहे हैं किसी के पास खाने को नहीं है पीने को नहीं और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि लोकल बाडीज का एलेक्शन होना आवश्यक है। अगर सचमुच आप यह समझते हैं तो आश्चर्य है। आप एलेक्शन को ताकत आजमाई का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर पेट का सवाल है वहां पर ऐसी चीजों को प्रायरिटी न दी जानी चाहिए। उन्हें स्थगित कर देना चाहिए। सरकार के पास जब धन हो, और जब जरूरी हो, वह समझे कि वह एलेक्शन कर सकते हैं, बगैर पेट और वस्त्र पर किसी प्रकार का आक्रमण किये हुए तभी उनको करना चाहिए।

आपने यह भी फरमाया कि अनुदान संख्या १२ में जब वह समझते थे कि जमीन्दारी टूट चुकी है, हां, तो जमीन्दारी टूटने वाली है यह तो सरकार को भलीभांति समझना चाहिए था। आप १९४६ से जमीन्दारी तोड़ने की तैयारी कर रहे थे तो कोई कारण नहीं था कि आप कोई उचित प्रबन्ध न करें और बाद में अनुपूरक अनुदान में जुडिशियल आफिसर्स की नियुक्ति के लिये मांग पेश करें। अगर आपके पास रुपया नहीं है तो आप कुछ दिनों के लिये आनरेरी

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

स्पेशल मैजिस्ट्रेट मुकर्रर करके काम चला लीजिए और रुपया न सर्फ कीजिए। पहले तो कंटिन्जेन्सी फन्ड से सर्फ किया फिर सदन के सामने आये कि अब इसको स्वीकार किया जाय।

कुछ पूर्वी जिलों का भी जिक्र हुआ। मैं भी फैजाबाद से आया हूं। कम से कम अपनी रियासत के बारे में मैं बतला सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि किसानों ने जो बोया है बीज वह तो गया ही। मैं अपनी रियासत नहीं बल्कि बीकापुर तहसील के बारे में भी कह सकता हूं कि उस क्षेत्र को अकालग्रस्त करार देना चाहिए। अगर मेरा विश्वास न हो तो श्री फूल सिंह जी को जो २ अक्टूबर को फैजाबाद गये थे उनसे दरियाफ्त कर लें। और बहुत से एम० एल० ए० जो बीकापुर तहसील के और आपही के दल के हैं उनसे दरियाफ्त कर लीजिए कि वहां की हालत नाजुक है या नहीं। तो जबकि परिस्थिति आपके काबू के बाहर हो जाय उस समय रुपया भी खर्च किया जाय तो कोई लाभ नहीं। मैं यह नहीं कहता कि सरकार रुपया नहीं खर्च कर रही है। लेकिन मुझे शिकायत यह है कि पूर्वी जिलों में जिस तरह से और जितना रुपया खर्च किया जाना चाहिए उस तरह से और उतना सर्फ नहीं किया जा रहा है। अगर इस प्रदेश में लोग भूखों मर रहे हैं, तो हमें दूसरे कामों को स्थगित कर देना चाहिए। एक तरफ लोग भूखों मरें, हड्डियां ही हड्डियां नजर आवें, दूसरी तरफ और योजनाएं, म्यूनिसिपल एलेक्शन वगैरह की बातें करें यह मेरी समझ में नहीं आता। रहा यह कि सोशलिस्ट पार्टी का कहना है कि खेतिहर सेना और वायुमंडल में क्या बनाना चाहते हैं, मेरी समझ में उनकी नीति नहीं आई।

विरोधी दल के डिप्टी लीडर फैजाबाद के हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं वह इस योग्य हैं कि सदन में आपका काम करें। उनको छोड़िये। केवल आलोचना करने से कुछ काम नहीं चलता। जाकर मौके पर कुछ काम करना चाहिए।

कुछ शिकायत कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में की गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका से पैसा लेना महात्मा गांधी के उसूलों के खिलाफ है। मैं कहता हूं कि अगर ऊंचे सर से रुपया लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। मैं इसके लिये पन्डित जवाहर लाल नेहरू को हर प्रकार से श्रेय दूंगा कि उन्होंने इस देश को अमेरिका के हाथ बेच नहीं डाला है। एंग्लो अमेरिकन ब्लाक की मजबूरियां हैं जिसके लिये वे विवश हैं। केवल हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि और भी बहुत से मुल्कों के लिये करना होगा। मैं आपके द्वारा अपनी सरकार को यह बताना चाहता हूं कि वह हंसने का साहस न करें। चायना में जब च्यांग काई शेक साहब मौजूद थे तो उनसे उच्च कोटि का कोई राजनीतिज्ञ नहीं माना जाता था और उस समय जब चायना में डिसइन्टेग्रेशन और बहुत सी खराबियां आईं तो उस सरकार के कानों तक नहीं पहुंच सकीं या वह समझ नहीं पाई। इसी प्रकार से आज जो हिन्दुस्तान में जो अकालग्रस्त और दुर्भिक्ष लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और शरणार्थियों के आने का तांता लगा रहता है, ऐसी अवस्था में मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि उनकी तरफ ध्यान देने की कृपा कीजिए। जिस तरह से चाइना में जब डिसइंटेग्रेशन हुआ और बहुत दिनों तक उनको नहीं मालूम हुआ, वेंडेल विल्की की किताब में आप देख सकते हैं कि पहले ही शोर मचा हुआ था लेकिन लोगों की समझ में बात नहीं आई, तो उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स की बाबत मैं कुछ नहीं कहूंगा महज सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो कुछ द्रव्य सर्फ किया जाता है वह समुचित रूप से खर्च किया जाय और हमारी तरक्की के लिये जो रुपया खर्च करना चाहती है उसको यह देखना चाहिए कि जिनके हाथों में रुपया जाता है वह उसको ठीक प्रकार से खर्च करें।

इन थोड़े शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि विरोधी पार्टी के नेता साहब इस वक्त मौजूद नहीं हैं। लेकिन उस पार्टी के और सदस्य बैठे हुए हैं इस बात की मुझे खुशी है। अभी जोरदार शब्दों में कई बार और कई तरफ से यह फरमाया गया कि ये चीजें जिस वक्त बजट पेश हुआ तब क्यों नहीं सूझीं, वहां अक्ल क्यों नहीं

गई, इस वक्त पूर्ति अनुदान लाने की क्यों जरूरत पड़ गयी । नम्बर एक, दूसरी बात यह कही गयी कि भूमि सेना बनाने की आवश्यकता है । बिना भूमि सेना के योजना बनाये हुए काम नहीं चल सकता । और भी बातें थीं जो बार-बार और कई तरफ से कही गयीं । मैं अर्ज करता हूं कि जरा भी अगर दिमाग पर जोर दिया जाता तो नेता साहब को मालूम हो जाता कि सप्लीमेन्ट्री बजट पूरक अनुदान तो हर सरकारें पेश किया करती हैं, हर साल पेश की जाती हैं । सिर्फ हिन्दुस्तान में और यू० पी० में ही नहीं पेश की जातीं, आवश्यकता होती है तो उसमें सुधारना, घटाना, बढ़ाना लगा रहता है और उसी के मुताबिक पेश की जाती हैं । यहां भी पेश की गयीं । इसको छोड़िए । मैं अर्ज करता हूं कि आपकी सोशलिस्ट पार्टी जो है उस पर आपने गौर नहीं किया । वह हर साल क्यों नए प्रस्ताव पेश करती है और पास करती है, एक ही बार पहले ही क्यों नहीं पास कर लेती है । वह भी समयानुसार घटाती बढ़ाती रहती है । तो हुजूर वाला आप घटाएं-बढ़ायें तो ठीक करें और दूसरे घटाते बढ़ाते हैं तो गलती करते हैं यह तर्क के विरुद्ध बात है । भूमि सेना की बात बार बार कही गयी । मैंने खूब गौर किया कि आया इसमें कुछ तत्व है या नहीं अगर यह चीज ठीक होगी तो कबूल कर ली जायगी । आपकी पार्टी से मुखालिफत हो सकती है लेकिन मुल्क के आर्थिक उत्थान से मुखालिफत नहीं हो सकती, सरकार बड़े शौक से मंजूर करेगी । लेकिन गौर कीजिये कि जिस वक्त फसल होती है तो हर जगह के किसान और मजदूर अपने काम में लगे रहा करते हैं और जब काम नहीं रहता है तब वह खाली होते हैं । उस वक्त उनसे कौन सा काम लिया जाय ? अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि इतने मजदूर इस जगह पर बेकार रहा करते हैं तो सरकार उस पर बड़े शौक से गौर करती । लेकिन यह कहना कि भूमि सेना नहीं बनाई जाती है यह समझ में नहीं आता । इसके साथ साथ विचार कीजिये कि वह काम जो ट्रैक्टर से होता है हल से तो नहीं हो सकता । जो गहरी जोताई ट्रैक्टर से होती है कम पैसे में जितना काम ट्रैक्टर से होता है वह फावड़े से तो नहीं हो सकता । इसी लिये और मुल्कों में ट्रैक्टर चलाया जाता है क्योंकि जो काम ट्रैक्टर से लिया जाता है वह आसानी से आदमी नहीं कर सकता आदमी के करने में ज्यादा वक्त लगता है और ज्यादा पैसा खर्च होता है । अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दें और फीगर्स बतला दें कि अगर आदमी लगते हैं तो कम खर्च होगा और अगर ट्रैक्टर से काम लेते हैं तो ज्यादा खर्च होगा तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार बड़ी खुशी से आप की बात को मान लेगी बशर्ते कि आप फैक्ट्स एंड फीगर्स दें ।

इसी सिलसिले में अध्यक्ष महोदय मैं अपने क्षेत्र की तरफ चलता हूं । अभी मैं वहाँ गया था हरैया के पश्चिम-दक्षिण में । आशा थी कि वहाँ फसल अच्छी होगी लेकिन बदकिस्मती से वहाँ धान की फसल अच्छी नहीं है । मुश्किल से रुपये में आठ आने फसल तैयार हुई है । जड़हन के खेत सूख रहे हैं । हम आशा करते हैं कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान देगी ताकि उन भाइयों को ठीक वक्त पर बीज मिले और वक्त पर अन्य मदद मिल जाय ।

इसी सिलसिले में हुजूरवाला मैं सरकार का ध्यान एक तरफ और आकृष्ट करता हूं और यह वह कि जितना सरकार काम करती है उतनी बातों को पब्लिक नहीं जानती है । अगर पब्लिक जान ले कि सरकार कितनी मेहनत से, कितना पैसा खर्च करके, कितना काम करती है तो विरोधी पार्टियों को प्रचार करने की हिम्मत नहीं पड़ सकती है । मैं मानता हूं कि सूचना विभाग की तरफ से किताबें छपती हैं लेकिन जरा गौर कीजिये कि कितने लोग पढ़े-लिखे हैं जो आप की चीजों को पढ़ते हैं और कितने कागजात आप के गाँव गाँव में जाते हैं । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अच्छे व्याख्यानों द्वारा सूचना दी जाय और जो काम किये जायं उनका फिल्म लेकर दिखलाया जाय । हमारे बस्ती जिले में गतवर्ष एक जमींदार ने एक बांध बंधवाया था और उसका फिल्म ले लिया गया था । इसी तरह जो सरकार काम करती है अगर उसका फिल्म ले लिया जाय तो विरोधियों को प्रचार

[श्री सीताराम शुक्ल]

करने का मौका नहीं रह जायगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि यह हमारे प्रचार की कमी का फल है कि इस वर्ष १५ अगस्त को जिस दिन मुल्क आजाद हुआ था, काले झंडे दिखलाये गये। इस कांग्रेस सरकार ने सब की खिदमत की है सब का उत्थान किया है और सब को आराम पहुंचाया है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ गुमराह करने वाले लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। आज भी वे गलत प्रोपेगेंडा करते चले जाते हैं और गलत बातें करते हैं यह कितने अफसोस की बात है। सेवा भी करें, हम खिदमत भी करें, हम ईमानदारी से उनकी भलाई भी करें, फिर भी सरकार के खिलाफ काले झंडे दिखलाये जायं। आपको मालूम होगा कि जितनी जल्दी अमृत पत्रिका के खिलाफ ऐक्शन लिया गया था, उतनी जल्दी कभी किसी पत्रिका के खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया गया। सरकार ऐक्शन भी ले ले, फिर भी काले झंडे दिखलाये जायं, इसलिये इस वक्त यह भी जरूरी है कि हम बतलायें पब्लिक को कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आप से अर्ज करता हूं कि जब जब गोष्ठी होती है, चाय पर, मुशायरों में और बातचीत में सरकार के विरुद्ध बिगरस प्रोपेगेंडा चलता रहता है और प्रचार बड़ी खतरनाक चीज होती है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि जितना काम सरकार करती है, जितना परिश्रम सरकार करती है उसका कुछ प्रचार में भी लगाये क्योंकि सब के वोट से सरकार आयी है। इसलिए यही जरूरी नहीं है कि आप खिदमत करें बल्कि यह भी जरूरी है कि पब्लिक जाने कि आप क्या-क्या काम करते हैं। अगर आप ने लोगों को सही बातें बतलायीं तो वह दिन दूर नहीं है जबकि विरोधियों का प्रचार आप से आप बुझ जायगा। लाल रोशनी हो गयी इसलिए शीघ्र समाप्त करता हूं यह कह कर कि अगर हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं तो जो लोग गलतफहमी के कारण विरोधी बन गये, वे मित्र बन जायंगे, फलस्वरूप लाल टोपी सुफेद हो जायगी।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तत्परता और लगन के साथ इस सरकार ने अकाल पीड़ितों की मदद पूर्वी जिलों में की है उसके लिये यह सरकार इस सदन की ओर से बधाई की पात्र है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि जो सप्लीमेंटरी बजट इस सदन में पेश किया गया है, उसके अन्दर जो अकाल पीड़ित जिलों के लिये खास कर ग्रांट रखी गयी है, उस हमदर्दी के लिये, उनकी मुसीबत और तकलीफों को महसूस करते हुये, जिस कदर इस सरकार ने उनको मदद करने का प्रयास किया है, उसके लिये एक बार फिर मैं इस सरकार को बधाई देता हूं और खास करके वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने यह कष्ट फरमाया है और यह प्रोविजन इस सप्लीमेंटरी बजट के अन्दर काफी तौर से उनकी मदद के लिये रखा है।

इस सदन में दूसरी ओर से यह बहस पेश की गयी है कि यह सप्लीमेंटरी बजट है, इसमें बहुत से ऐसे आइटम्स हैं, जिनको कि इस सदन के सामने जो पहले बजट पेश किया गया था, उसमें नहीं रखा गया। मैं उन माननीय सदस्य से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने सप्लीमेंटरी की डेफनीशन पढ़ी होती या सातवें, आठवें क्लास में जामेटरी पढ़ी होती तो समझने में कोई मुश्किल पैदा नहीं हुई होती। सप्लीमेंट वह है कि जो पहले न हुआ हो और उसको पूरा करने के लिये जो बाकी रह जाता है उसको सप्लीमेंट कहते हैं। सप्लीमेंट और कम्पलीमेंट कभी पूरे नहीं होते, वे पूरक होते हैं। इसीलिये इसको सप्लीमेंटरी बजट कहा गया है।

दुर्भिक्ष के ऊपर एक आपत्ति प्रकट की गयी। मैं समझता हूं यह आपत्ति जरूर है और मुझको भी है और बहुत जबर्दस्त तरीके से है क्योंकि दुर्भिक्ष हमारे राज्य के अन्दर कम से कम सात आठ साल से बराबर चला आता है और इसके लिये तो मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि एक दुर्भिक्ष डिपार्टमेंट इस राज्य के अन्दर जरूर खोल देना चाहिये क्योंकि यह कभी-कभी नहीं होता है, बल्कि बराबर चला ही आ रहा है। इसलिये मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि एक दुर्भिक्ष मंत्री महोदय की भी नियुक्ति होनी चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—आप ही को बना दिया जाय।

श्री चन्द्र सिंह रावत—अगर अपोजीशन वालों में से किसी को बना दिया जाय तो मैं समझता हूं कि उनकी मेहनत का एक फल उनको मिल जायगा। अब मैं बता देना चाहता हूं कि यह दुर्भिक्ष तो होता ही चला जायगा और जैसे कि जंगल में आग लग जाती है तो उसको बुझाने का प्रयास किया जाता है, मकानों में आग लग जाती है तो उसको बुझाने का प्रयास किया जाता है, तो इस प्रकार का प्रयास उतना काबिले तारीफ नहीं है जितना कि एक परमानेन्ट फंड इस सरकार की ओर से होना चाहिये कि जब कभी भी इस प्रकार का दुर्भिक्ष हो तो उसके जो कारण हों, उनको दूर करने की कोशिश की जाय ताकि दुर्भिक्षों को होने का मौका ही न मिले, तो मैं समझता हूं कि यह बुद्धिमानी का काम होगा।

अब आगे चल कर मैं यह बताना चाहता हूं कि इसका मुझे महान दुःख है और मैं इसको कहे बिना नहीं रह सकता कि मैंने पहले अपनी बजट स्पीच में इस सदन के सामने यह प्रकट किया था कि पहाड़ी क्षेत्र में जो भोटिया कम्युनिटी है उसकी समस्या पूर्वी जिलों से किसी भी माने में कम नहीं है और इसका मुझे महान दुःख है कि बावजूद मेरे अनुरोध के सरकार ने इस सप्लीमेंटरी बजट में उनके लिये कोई प्राविजन नहीं किया है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस बजट में उनके लिये जरूर कोई न कोई प्राविजन किया जाय ताकि उनका रिहैबिलिटेशन हो सके। इसका मुझे बड़ा दुःख है कि यह सरकार आज एजीटेशन को इनवाइट करना चाहती है, यह सरकार अखबारों में तूफान उठाने वालों की सुनती है मगर उन भोटियों की असली हालत को जानने की कोशिश नहीं करती। मैं नहीं समझता कि क्या जरूरत है कि अखबारों में धूल उड़ाई जाय। मैं समझता हूं कि सरकार को जनता के किसी भी सेक्शन को इस तरह से नहीं करने देना चाहिये कि अखबारों में तूफान उड़ाया जाय तभी सरकार अपने कान उस ओर लगाये। मैं समझता हूं कि परिस्थितियों को देखते हुये, असलियत को जानते हुये और एक्चुअल सिचुएशन को देखते हुए सरकार को आवश्यक कदम बढ़ाना चाहिये। फिर मैं एक बार अर्ज करूंगा कि उन परिस्थितियों को जोकि किसी कौम को खानाबदोश बना देती है, उनको ठीक करने के लिये सरकार को सबसे पहले अग्रसर होना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार की यह एक महान भूल है कि इस बजट में उनके लिये कोई प्राविजन नहीं किया गया है। मैं फिर एक बार माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जोकि उन्होंने पूर्वी जिलों के लिये इस बजट में प्राविजन रखा है और मैं यह कहूंगा कि आगे इस प्रकार की भूल सरकार से न हो और ऐसी पीड़ित जनता का अवश्य ख्याल रखा जाना चाहिये।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, आज साधारण बजट के तीन महीने के बाद ही यह दूसरा सप्लीमेंटरी बजट मौजूद है। उसमें बार-बार हमारी तरफ से यह कहा गया था कि सरकार नियोजित ढंग पर काम नहीं करती है। पहला चार्ज यह था कि ६१ करोड़ रुपये के बजट में २५ करोड़ रुपया तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में चला जाता है और सरकारी कर्मचारियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज हमारी बदकिस्मती से इस समय माननीय परिपूर्णानन्द जी नहीं हैं। उन्होंने ऐसे आंकड़े पेश किये थे, जो न तो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास हैं और न माननीय मुख्य मंत्री जी के पास हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी प्रादेशिक सरकार की फाइनेन्शियल पोजीशन बहुत ही साउंड है। लेकिन इसका खंडन करते हुये मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे ही देश का एक छोटा-सा सूबा उड़ीसा है, जहां का कैपिटल एक्सपेंडिचर बिसाइड्स रेवेन्यू लगभग ५५ करोड़ है और बजट कुल ११ करोड़ का है यानी पांच गुना बिसाइडस् रेवेन्यू कैपीटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। लेकिन हमारे यहां १६ करोड़ बिसाइड्स रेवेन्यू कैपिटल खर्च है और बजट ६५ करोड़ का है। हम चाहते हैं कि इस परिस्थिति की तरफ हमारी सरकार का मुख्य मंत्री जी का, वित्त मंत्री जी तथा परिपूर्णानन्द जी का ध्यान जाना चाहिये।

अब रहा सवाल इसका कि उस बजट में करीब १२ लाख १६ हजार रुपया फैमिन रिलीफ पर रखा गया था। उसमें अब ५० लाख रुपया रखा गया है। कुल रुपया इस तरह से ६२ लाख

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

१६ हजार अकाल के लिये लगाया गया है जब कि बिहार सरकार ने ५-६ जिलों की अकाल की समस्या के लिये ही १४ करोड़ रुपया लगाया है। ९ सितम्बर को डिप्टी मिनिस्टर श्री रावत जी ने एक प्रेस कांफ्रेन्स में यह कहा था कि गोरखपुर एक ऐसा जिला है कि जिसकी आबादी २० लाख ७० हजार है, इसमें १८ लाख ९० हजार व्यक्ति ए० पी० स्कीम के मातहत हैं। सरकार ने जो रुपया खर्च किया है उसके माने यह हैं कि डेढ़ रुपया पर हेड पर ईयर होता है और अगर महीने का हिसाब लगायें तो करीब दो आने पर हेड (प्रति व्यक्ति) पड़ता है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, उस समय मैंने यह बताया था कि आर्थिक सबसिडी के तौर पर जो सरकार गोरखपुर में खर्च करती है वह २ आना महीने एक आदमी पर गोरखपुर में पड़ता है। दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि सरकार ने ए० पी० स्कीम के मातहत १५ लाख रुपया खर्च किया है। अगर ५ आदमियों का भी एक परिवार माना जाय और ४ छटांक एक आदमी पर खर्चा मान लिया जाय तो एक महीने का खर्चा १० हजार मन होना चाहिये और साल भर का वह २ लाख ७० हजार मन खर्च होना चाहिये। यह सिर्फ एक जिले की बात मैं कर रहा हूं। सरकारी सहायता के एक्चुअल फीगर्स तो मेरे पास इस समय नहीं हैं। लेकिन इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं कि जो गल्ला ए० पी० स्कीम के मातहत गोरखपुर में भेजा गया वह इतना कम है कि जिससे वहां के लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं होती है।

दूसरी बात टैक्स की कही गयी है। एक बार पहले जब मैं बिजली के टैक्स पर बोल रहा था तो माननीय वित्त मंत्री की सेवा में यह निवेदन किया था कि प्रदेश में टैक्स पूंजी पर लगाना चाहिये न कि इस प्रकार से छोटे से आदमियों पर। एक टैक्स और है जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी बहुत गरमागरम बहस हो चुकी है। ५ रुपया फी एकड़ लैन्ड डेवलपमेंट लेवी लगाई जाने वाली है। मैं तो इस विषय में यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर दर्जनों आफिशियेटिंग आफिसर रक्खे गए हैं इनमें ७ जिलाधीश, २५ असिस्टेंट कलेक्टर हैं, १८ सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस हैं, ५५ डिप्टी सु० पु० हैं, जुडिशियल आफिसर्स हैं १७३ जिसमें ११३ आफिशियेटिंग तथा टेम्पोरेरी हैं। तो यह हालत है कि इतने आदमी वैसे ही काम करते रहते हैं। साथ ही इन आफिसर्स के संबंध में यह बात कही जाती है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट को न्यूटरल रहना चाहिये और उनको न्यूटरलिटी आब्जर्व करना चाहिये लेकिन ऐसे स्थानापन्न अधिकारी जिनकी किस्मत कच्चे तागे से सरकार के हाथ में लटकी रहती है और जिनकी तरक्की की और पक्की नौकरी की लालसा रहना स्वाभाविक है कैसे निष्पक्ष रह सकते हैं। यदि उनको न्यूटरल रखना है तो उनके पदों को स्थायी कर दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह कि एक तरफ तो जुडीशियरी तथा एग्जीक्यूटिव के पृथक्करण का नारा बुलन्द किया जाता है परन्तु जुडीशल अफसरों की तनख्वाह की अंतिम सीमा ५०० रुपया कर दी गयी। उनका वेतन ३०० रुपया प्रतिमाह से प्रारंभ हो कर हर दूसरे साल २५ रुपया की वृद्धि के साथ ५०० रुपया से आगे नहीं जा सकता। तो उनसे यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे हाकिम तहसील की जगह पर काम भी करें और ईमानदारी से। यदि उनमें भ्रष्टाचार फैले तो सरकार पर उसकी जिम्मेदारी होगी।

जहां तक चोरी का और डाके का प्रश्न है उसके सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के घर में चोरी हो गई थी,

उसके बाद हमारे एजूकेशन सेक्रेटरी मि० सब्रू के घर में भी जिनका घर इस विधान भवन के सड़क के पास है चोरी हो गयी थी और वह भी चोरी करीब २८ हजार रुपये के माल की हुई थी। पुलिस के डिप्टी इंसपेक्टर जेनरल श्री जेतली के यहां भी चोरी हो गई। दारुलशफा के अन्दर प्रायः रोजाना चोरी हुआ करती है। अभी हमारे पास देवरिया से सूचना मिली है कि वहां पर पिछले ४ महीने के अन्दर ८ हजार क्राइम्स हुए हैं। इससे आप पूर्वी जिलों की हालत का अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। सरकार वहां का प्राबलम को साल्व नहीं करती है तो फिर इसका क्या परिणाम होगा। मैं यह निवेदन करता हूं कि एक समय आगे आयेगा जब वहां की परिस्थिति बेकाबू हो जायगी और यह सारा कंट्रोल गैर-कानूनी काम करने वाले अपने हाथ में ले लेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पायेंगे।

आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में सरकार का आम तौर पर दावा है कि वह उस तरीके को प्रोत्साहन देना चाहती है यद्यपि इन दवाइयों पर प्रदेश का ऐक्ट लागू नहीं है लेकिन कुछ लोगों को जो इंजेक्शन्स के एम्पूल्स बनाते हैं मजबूर किया जा रहा है कि वे लाइसेंस लें। उनका लाखों रुपये का सामान जब्त कर लिया गया है। कई हजार के उन लोगों के एम्पूल्स वगैरह अधिकारियों द्वारा तोड़ डाले गये हैं।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में बड़ा सब्ज बाग २ अक्तूबर को दिखाया गया लेकिन हमारी तरफ से जो कहा जाता है कि आप जनबल को साथ लें तो कोई सुनवाई नहीं होती। हर कम्युनिटी प्रोजेक्ट में ६५ लाख रुपये का खर्च है और इस तरह से तमाम काम के लिये हमें उत्तर प्रदेश ही के लिये ९७५ करोड़ रुपये की जरूरत होगी। तो इस तरह से हमारे सब देहातों के लिये अगर किया जाय तो दो तीन सौ बरस लग जायेंगे और यह करना यू० पी० सरकार के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कर्जा लेकर भी अव्यावहारिक और असंभव है। भारत ऐसा देश है जहां इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिये, छोटे-छोटे काम पहिले किये जायं उसके बाद लांग टर्म में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लिये जा सकते हैं। एक तरफ तो आप के पास रुपया नहीं है और दूसरी तरफ राष्ट्रीयकरण का ढोंग दिखाया जाता है। पता नहीं कब आप के पास ९७५ करोड़ रुपया होगा और कब आपकी यह कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स कामयाब होंगी। ऐसी अव्यावहारिक स्कीमों से तो अच्छा है कि छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय। गुड़ की इंडस्ट्री के प्रति उपेक्षा दिखायी जाती है और जो टेकनिकल मदद दी जाती थी वह भी कम कर दी गयी। गन्ने के किसानों की हालत यह है कि ११ करोड़ रुपया अभी पिछले साल का बाकी है और उसमें से बहुत सा तो पूर्वी जिलों का है। मैं आपको फैजाबाद का वाकया बतलाऊंगा कि वहां टांडा-अकबरपुर सड़क को चौड़ा करने के लिये रुपया लगाया जा रहा है अगर यही डेढ़ लाख रुपया बालीपुर से जलालपुर रोड में लगा दिया जाय और वह सड़क जिला बोर्ड से लेकर जन-निर्माण विभाग को दे दी जाय तो बहुत ही उत्तम बन सकती है। टांडा-अकबरपुर की सड़क चौड़ी इसलिये की जाने वाली थी कि वहां की रेलवे लाइन नहीं बन रही थी अब वहां की रेलवे लाइन भी केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायी जाने वाली है। अगर हमारी सरकार ठीक तरह से काम करना चाहती है तो उसको ठीक से प्लानिंग करना होगा और देश के तमाम मैन पावर को मोबिलाइज करके ही तरक्की की जा सकती है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी समालोचना जो इस भवन में इस विषय पर हुई कि यह जो बजट पेश किया गया है वह दरअसिल सप्लीमेंटरी बजट नहीं है और उसके उदाहरण में कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया की २०५ धारा पढ़कर भी सुनाई गई। जहां तक संविधान की धारा २०५ का संबंध है उसमें साफ साफ यह कहा गया है कि सप्लीमेंटरी बजट की मंशा उन बातों के लिये होती है कि जो कोई ग्रान्ट्स किसी खास विषय के लिये

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)]

रखी जायं और जिनके लिये वह धन जो रखा गया है वह यथेष्ट न हो तो उसमें धन मांगा जा सकता है। एक तो यह और दूसरे यह कि कोई ऐसी कन्डिशनें तो पड़ जाय जिसके लिये धन मांगना जरूरी हो।

जहां तक अनुच्छेद २०५ का संबंध है, वह इस प्रकार है—

"If the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to ba expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year .."

[यदि अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण में अवेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपरव्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है .....।]

और इस आधार पर यह कहा गया है कि बहुत बड़ी बड़ी रकमें ऐसी हैं कि जो हमारा बजट पेश किया गया था, जो वास्तविक बजट था उसके पेश करने के समय भी सरकार को ये बातें मालूम थीं और यह कि यह खर्चा उनके सामने उस समय आना चाहिये था तथा उनके आधार पर ही सरकार को उन खर्चों को उस समय रख देना चाहिये था। खास तौर से एक एतराज इंडस्ट्री को एक ग्रांट के बारे में है जिसके जरिये से कुछ मशीनरी रुड़की कालेज के लिये खरीदी गयी। यह मामला ५०-५१ और ५१-५२ से ही चल रहा था। सरकार को इसका पूरा पता था इसलिये मशीनरी के मूल्य की मांग सरकार को बजट के समय ही लाना चाहिये थी। सप्लीमेंटरी बजट के समय उसकी मांग के रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त एक रकम ४ लाख ५४ हजार रुपये की है जोकि ग्रांट नम्बर ३१ के मातहत मांगी जा रही है। जो रेलवेज के ऊपर पुल बने हुए हैं और सड़कें जिन पर से जाती हैं उनके मेटलिंग आदि के बारे में है। उसके लिये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट बजट के समय भी इसको समझ सकती थी कि यह खर्चा किस वक्त होने वाला है। अतः गवर्नमेंट को उसी वक्त इसका प्राविजन करना चाहिये था।

एक और ग्रांट है जो परेला पेस्ट के बारे में है। उसके लिये ऐग्रीकल्चर ग्रांट के मातहत ३ लाख ४७ हजार रुपया मांगा जा रहा है। परेला एक किस्म का कीड़ा होता है जो कि गन्ना, अनाज या धान में लगता है। उसके लिये इतना एक दम रुपया मांगा गया है। यह एक इमारत बनाने के लिये रुपया है। यह इमारत बनाने की बात जरूर मेन बजट में आ जानी चाहिये थी। यह रुपया सप्लीमेंटरी बजट में लाने की बात समझ में नहीं आई। परेला कीड़ा एक ऐसा हानिकारक कीड़ा है कि उसके लिये ३४७ हजार रुपया ही नहीं और भी ज्यादा रुपया खर्च करना उचित हो सकता है लेकिन फिर भी जिस प्रकार से वह ग्रांट रखी गयी है उसमें कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। मैं ऐसे इलाके में रहता हूं जहां गन्ने की पैदावार एक विशेष पैदावार है। वहां परेला कीड़ा ने बड़ा आतंक मचा रखा है। कोआपरेटिव मार्केटिंग यूनियन की ओर से इस कीड़े को मारने के लिये गैमेक्सीन पाउडर छिड़का गया जिससे कीड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में नष्ट कर दिया गया। अब गैमेक्सीन का इतना ज्यादा प्रचार हो गया है कि किसानों में उसके लिये बहुत ज्यादा मांग है। सरकार उसके लिये बहुत ही नामीनल दाम यानी ३ रुपया प्रति एकड़ वसूल करती है जो सिर्फ सर्विसिंग के लिये ही यथेष्ट होता है। इसका नतीजा यह है कि गैमेक्सीन पाउडर की मांग धान के खेतों में

छिड़कने के लिये बहुत जोरों से हो रही है ताकि गन्धी नाम का कीड़ा नष्ट किया जा सके। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे और उनकी जो मांग है उसको पहले ही से सोच लिया जाय ताकि वह खर्चा जो आवे उसके लिये पहले से ही सोच कर प्राविजन कर दिया जाय तो हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा लाभ हो सकेगा न कि उसी वक्त पर जब कि काश्तकार आवे और उसकी मांग करे तब अधिकारी वर्ग जागें। उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। हम तो समझते हैं कि इसके लिये पहले से ही प्राविजन कर दिया जाय जब कि हम जानते हैं कि हमें डेवलपमेंट का काम करना है, कृषि की उन्नति करनी है। अगर कृषि उन्नति के साथ हम यह देखते हैं कि ऐसी औषधियों से लाभ हो रहा है तो उस लाभ को बढ़ाने के लिये और उसका प्रचार करने के लिये अगर उसको अधिकायत कर दें तो उससे प्रचार भी बढ़ेगा और हम समझते हैं कि प्रचार के साथ ज्यादा लाभ भी होगा। हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद काश्तकार गैमेक्सीन पाउडर की मशीन खरीद सकें, लेकिन अभी काश्तकारों के लिये उस मशीन के लिये इतना दाम लगाना बहुत मुश्किल है। जिन कोआपरेटिव डेवलपमेंट यूनियन्स के पास लाखों रुपये हैं। अगर इस तरह की डेवलपमेंट यूनियनों द्वारा इन मशीनों को खरीद कर गैमेक्सीन पाउडर खरीद कर परेला कीड़ा और गंधी कीड़ा नष्ट किया जाय तो काफी प्रचार होगा और काश्तकारों को भी बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट की बात हो रही है चाहे वह गन्ने के डेवलपमेंट की बात हो या गल्ले की डेवलपमेंट की बात हो, वह काम भी पूरी तरह से हो सकता है। लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि समय पर जाग जाना अच्छा होता है न कि देर से जागना। अगर समय पर परेला कीड़ा और गंधी कीड़ा नष्ट हो जाया करे तो इस तरह से जो लाखों मन गन्ने की फसल नष्ट हो जाती है वह बच जाया करे। तो हम समझते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देकर इस बात का संकेत कर दे कि बजाय इसके कि सप्लीमेंटरी ग्रांट के जरिये इसका सेंक्शन (स्वीकृति) लें पहले से कुल लाख रुपया इयरमार्क कर दिया जाय कि गन्ने की आने वाली फसल के सिलसिले में इतना रुपया खर्च होगा। लेकिन यहां पर तो यह होता है कि पहले रुपया खर्चा कर दिया जाता है और बाद में सदन की मंजूरी ली जाती है। बजाय इसके कि हम आयन्दा आने वाली फसल के लिये खर्च करने की मांग करें हम समझते हैं कि यह बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि हम आइन्दा आने वाली फसल को सुधारने के लिये खर्चे की मांग करें। इससे आइन्दा आने वाली फसल के लिये जो खतरा है वह दूर हो जायगा।

इसके अतिरिक्त इस वक्त जो खास तकलीफ देहात के काश्तकारों को है वह गन्ने का जो गुजिश्ता सीजन बीत गया है उसके दाम न मिलने के कारण है। उसके लिये गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी कार्यवाही की गयी या की जा रही है। इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। हम समझते हैं कि इसके लिये सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये थी। गन्ने का सीजन जो एक महीने बाद ही शुरू होने वाला है, जब पुराने गन्ने का दाम काश्तकारों को नहीं मिल सका है तो आइन्दा आने वाले गन्ने का दाम मिलों से किस तरह से वसूल किया जायगा। इससे काश्तकारों की कितनी हानि हो रही है तथा उनको कितनी तकलीफ है यह उन देहाती क्षेत्रों में जाने से ही मालूम हो सकता है जहां पर स्टेबिल क्राप गन्ना ही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर विशेष ध्यान दे कि जिन किसानों को गन्ने का दाम नहीं मिला है और जिनके कारण किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। वहां के किसान यह विचार कर रहे हैं कि आने वाली गन्ने की फसल का बहुत अंश आसानी से उन मिलों को दें या न दें जिन्होंने दाम नहीं दिया है। यह चीज जरूर विचार करने की है कि आने वाले सीजन से पूर्व यह तकलीफ जरूर दूर हो जाय। अन्यथा कोरे बयानात किसानों को समझाने में व्यर्थ सिद्ध होंगे।

श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत गौर के साथ इस सदन में जो तकरीरें हुईं उन्हें सुनता रहा। वे तकरीरें जो कि मेरे साथी कांग्रेसी मेम्बरों ने कीं और खुसूसियत के साथ जो विरोधी दल की जानिब से की गयीं मैंने ज्यादा तवज्जह इस तरफ रखी कि इस सप्लीमेंटरी बजट के मुतालिक विरोधी दल के नेता और विरोधी दल के मेम्बर किन ख्यालात का इजहार करते हैं। एक जम्हूरी निजाम में विरोधीदल की अहमियत और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। मैं निहायत गौर से उन तकरीरों को सुनता रहा और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं अपनी जेहन में जो ख्याल कायम किये हुए था वह पूरा नहीं हुआ और जिस लबो लिहजे में विरोधी दल की जानिब से तकरीरें की गईं वह किसी हद तक मुनासिब न थी। एक जम्हूरी निजाम में विरोधी पोजीशन निहायत ऊंची हुआ करती है और उसके क्रिटिसिज्म और एतराजात हुकूमत की डिमान्ड्स पर इस तरह से हुआ करती है कि अक्सर देखा गया है कि जब विरोधी दल की जानिब से जिम्मेदारी के साथ सुझाव दिये गये हैं और क्रिटिसिज्म किये गये हैं तो हुकूमत बाज वक्त मजबूर हो जाती है और वही दूसरे दिन उसको अपने प्रोपोजल की सूरत में पेश कर देती है। अगर इस नुक्तेनजर से देखा जाय कि इस जिम्मेदारी को हमारा विरोधी दल कहां तक अदा कर सकता है तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी वह इस लेविल पर नहीं पहुंचा है जहां उसकी जबान से निकले हुए अल्फाज हुकूमत फौरन कबूल करले और मान ले। इसी बिना पर मुझे अफसोस है। विरोधी दल के नेता ने अपनी तकरीर में कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि माननीय अध्यक्ष को उनकी तवज्जह दिलानी पड़ी। तो कोई वजह नहीं है कि अगर अपनी जिम्मेदारी को पेशेनजर रखते हुए विरोधी दल हुकूमत की डिमांड पर एतराज करेगा तो हुकूमत से उनसे कोई बैर नहीं है वह उनकी बात मानेगी। वह भी, जिस तरह से कांग्रेस के मेम्बरान इस सदन में आये हैं और हुकूमत उनकी बात को फौरन कबूल करेगी।

इस कदर अर्ज करने के बाद अब मैं यह अर्ज करूंगा कि यह सप्लीमेंटरी बजट इस एतबार से कि जो रकमें मांगी गई वह कुछ बेजा नहीं हैं बिलकुल सही है। ज्यादा से ज्यादा मैं या और कोई दूसरे साहब एतराज कर सकते हैं कि इसमें फलां चीज नहीं है और फलां है। और जो कुछ भी है वह भी इस एतबार से सही है कि पहले जो बजट पेश किया गया था उसमें सारी चीजों को हुकूमत ने फोरसी नहीं कर लिया था कि साल के दौरान में यह चीजें पेश आयेंगी और उनके लिये उनको रुपया मंजूर करना पड़ेगा। एक मामले में मुझको जरूर शिकायत है। ग्रान्ट नम्बर २५ के सिलसिले में यह कहा गया है कि जो रुपया मंजूर हुआ था साल के दौरान में ऐसा इंतिजाम नहीं हो सका कि वह पूरा खर्च हो जाय। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सड़कों के सिलसिले में जो ग्रांट दिया था उसमें से काफी रकम लैप्स हो गई। ६० लाख की रकम फिर दोबारा मिली और उसमें से भी १८ लाख रुपया हुकूमत वक्त पर सर्फ नहीं कर सकी और इसी बिना पर वह सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेन्डर हो गया। तो हुकूमत को एलर्ट रहना चाहिये कि जो रकमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिलती हैं उनको वक्त के अन्दर जरूर सर्फ कर लेना चाहिये और अगर वह हो गयी होती तो उनको दिक्कतें पेश न आतीं और सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर न करनी पड़तीं। फाइव इयर प्लान जो सड़कों और दूसरी बातों के मुतालिक बनाया गया है उसके फर्स्ट फेज में अभी काम हो रहा है और ४९ में वह पूरा नहीं हो पाया और उसके दो फेज अभी बाकी हैं। अब हुकूमत ने जो स्कीम दी है उसको फाइव ईयर प्लान के मातहत रहते हुए जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश गवर्नमेंट को करना है। इसलिये भी यह जरूरी है कि जो फर्स्ट फेज का काम बाकी रह गया है और जो बड़ी रकम सर्फ होगई है अगर उस रकम को मंजूर न किया जाय और फौरन उस काम को न लिया जाय तो उससे नुकसान और उस रकम के और जाया होने का अंदेशा है जो अब तक पूरी स्कीम पर सर्फ हो चुका है।

मैं जनाबवाला, आपके जरिये हुकूमत से यह अर्ज करूंगा कि वह इस बात को पेशे नजर रखे कि आज प्लानिंग के सिलसिले में और सड़कों के बनाने के सिलसिले में हमारे प्रदेश को बहुत सी सड़कों की जरूरत है और हुकूमत को सड़कों के बनाने के काम और एलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम को तेज कर देना चाहिये ताकि मुल्क के अन्दर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज कायम हो सकें और उससे जो बेकारी इस मुल्क में है वह दूर हो सके।

अब इस सिलसिले में मैं कुछ ज्यादा अर्ज करना नहीं चाहता। कल जब कि आइटम बाई आइटम सप्लीमेंटरी बजट सदन के सामने आयेगा तो मैं अपनी कांस्टीट्युएंसी और अपने जिले की खास जरूरियात को मंत्रिमंडल के सामने पेश करूंगा ताकि वह उन पर तवज्जह दें और उनको पूरा करने के लिये हमारे कांस्टिट्युएंसी और जिले को ममनून बनायें।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से अपने वित्तमंत्री जी की सेवा में कुछ बातें इसके मुताल्लिक कहना चाहता हूं। पूरक अनुदानों के लिये मांगें ५२-५३ के लिये जो दी गयी हैं उनमें से केवल एक मांग ऐसी है जो इस सदन के सामने आ सकती थी और वह है दुर्भिक्ष सहायता जिसके लिये ५० लाख रुपया रखा गया है और कोई मांग ऐसी नहीं है जिसके लिये यह सप्लीमेंटरी बजट पेश किया जाता। हमको तो दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि टैक्सों की भरमार हम करते चले जाते हैं, परन्तु अपने खर्चे को जिसको बहुत आसानी से हम कम कर सकते हैं कम नहीं करना चाहते हैं। ४-४ किताबें इस तरह से छाप करके बांट दी गयीं, इसलिये कि सप्लीमेंटरी बजट आया। इसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब की रिपोर्ट है उसमें यहभी लिखा हुआ है कि "इसलिये अनुदानों की स्थिति का पूर्णरूप से सिंहावलोकन वर्ष के आखिर में किया जायगा जब कि दोहराये तखमीने तैयार किये जाते हैं और अतिरिक्त आवश्यकता के लिये, यदि कोई हों, अतिरिक्त पूरक मांगें विधान मंडल के सामने बाद में प्रस्तुत की जायेंगी।" तो अभी एक तक इंस्टालमेंट इसकी बाकी है। तो आप देखिए कि पहली जुलाई से आपने जमींदारी उन्मूलन कर दिया प्राविंस में। ७ जुलाई को इस सदन के सामने बजट पेश किया गया। क्या आवश्यकता अब सप्लीमेंटरी बजट में इस चीज को लाने की है कि कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे में इतना और बढ़ाया जायगा और इतना और दीजिए? इसी तरह से आप इलेक्शन का खर्चा जानते थे। अब आप देखिए सार्वजनिक निर्माण कार्यों में जो व्यय है जिसका जिक्र अनुदान संख्या ३१ में है उसके लिये भी यह कहा जा सकता था कि यह खर्चा होगा।

खास तौर से हम अनुदान संख्या ३१ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे कि उसमें यह लिखा हुआ कि है "मूल निर्माण कार्य---यातायात के साधन--पूर्वी जिलों में सड़कों का निर्माण" अब यहां सदन में जितने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं पूर्वी जिले के वह जानते हैं कि इससे सड़कों के निर्माण में वह रुपया जो दुर्भिक्ष के नाम से मशहूर किया गया है उसमें व्यय होता है, तो वह ५० लाख रुपया है। अब यहां १३,५०,००० रुपया रख दिया गया। तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरीके से बेकार रुपया खर्च करना छपाई में, कागज में और उसके दाम देने में और इस सदन का समय लेने में, यह कहां तक मुनासिब है? मैं तो यह मुनासिब समझता हूं कि इस बात का सबसे पहले ख्याल रखा जाय कि हमारा खर्चा किस तरह से कम हो। तो यह है कि रख-रखाव के लिये जो अति आवश्यक चीज हो उस पर खर्च किया जाय। बात यह है कि हमारे माननीय सदस्य इस बात को सुन करके बहुत खफा हो गये हैं कि यह क्यों कहा गया कि छपाई में खर्चा किया जाता है। मेरी समझ में यही चीज आयी। अब अगर आपकी समझ में यह आता है कि इसी में मान-मर्यादा है कि हर दूसरे या तीसरे महीने सप्लीमेंटरी बजट आया करे, तो इसमें आप लोगों को अधिकार है, आप लोगों की सरकार है, जिस तरह से चाहें खर्च करें।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरक बजट को प्रस्तुत करने के लिये अपने वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। हमारे माननीय सदस्यों में से कुछ माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है। अभी माननीय श्री ज्वाला प्रसाद जी ने भी कहा कि इसमें सिर्फ एक आइटम को छोड़ कर जो दुर्भिक्ष वाला है, शेष की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय श्री ज्वाला प्रसाद जी से कहना चाहूंगा कि पूरक बजट का अर्थ यह है कि यदि कहीं खर्च करने की आवश्यकता हो तो उसके लिये जब तक सदन आज्ञा नहीं देगा तब तक वह खर्च नहीं किया जायगा और अगर खर्च कर दिया गया है तो उसके लिये भी सदन की स्वीकृति लेना आवश्यक है यह एक विधान का नियम है और इसी विधान के नियम के अनुसार यह आवश्यक था कि पूरक बजट सदन के समक्ष पेश किया जावे और इसी के लिये यह बजट पेश किया गया है। इसलिये बजट के पेश करने में किसी सदस्य को कोई आक्षेप नहीं करना चाहिये। जैसा मैंने अभी कहा मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को बधाई देते हुए और सरकार को भी बधाई देते हुए इसका स्वागत करता हूं। सरकार का ध्यान पूर्वी जिलों की समस्याओं की तरफ गया है और सरकार उन जिलों में कुछ न कुछ करने के लिये प्रयत्नशील है परन्तु इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विशेषकर बस्ती, मिर्जापुर, गोंडा, बहराइच आदि जिलों के लिये बहुत कुछ किया गया है। इसमें मिर्जापुर के लिये खास तौर पर किया गया है वह अच्छा ही है क्योंकि मिर्जापुर बहुत ही पिछड़े हुए जिलों में से हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि आप ने आजमगढ़ जिले को बिल्कुल छोड़ दिया है। मैंने इस बजट का अध्ययन किया तो देखा कि आजमगढ़ जिले के लिये केवल अनुदान संख्या ३१ में थोड़ी सी रकम रखी गयी है और कहीं पर आजमगढ़ जिले का नाम नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ पूर्वी जिलों में सबसे गरीब जिलों में से एक जिला है। आजमगढ़ की समस्या सब से भीषण समस्या है। उसका हल करना हर एक व्यक्ति का और विशेषकर सरकार का कर्त्तव्य है। आपके द्वारा मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि अनुदान संख्या ३१ में जहां छै लाख रुपया मिर्जापुर में व्यय किया जा रहा है और दो लाख रुपया बहराइच में व्यय किया जाने वाला है वहां आजमगढ़ जिले के लिये केवल २४ हजार रुपया रखा गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ एक बहुत बड़ा जिला है। वहां अतरौलिया एक स्थान है। जो इतिहास पढ़ने वाले हैं वे जानते हैं। सन् १८५७ में अतरौलिया का मुख्य स्थान रहा। अहरौला जो फूलपुर तहसील का एक प्रधान कसबा है उसका फासला अतरौलिया से करीब १२ मील है। लेकिन बरसात के दिनों में अतरौलिया से अहरौला जा नहीं सकते। नतीजा यह होता है कि पक्की सड़क से जाने में ११ मील के स्थान पर ६० मील का फासला तय करना पड़ता है। कोयलसा-अहरौला के उस ग्यारह मील में छः सात मील पक्की सड़क बनी है और पांच मील अब भी बाकी है। उस पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा वित्त मंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और उनसे इस बात की प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह आजमगढ़ को नेगलेक्ट न करें।

दूसरा सुझाव कुछ अन्य बातों के बारे में देना चाहता हूं, जिस पर मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री गौर करेंगे। अनुदान संख्या १२ के संबंध में मुझे एक सुझाव देना है, उसमें लिखा है—४७ नये जुडीशल आफिसर्स नियुक्त किये जायेंगे। उनके अहलमद और पेशकार वगैरह सब लेकर २ लाख ५१ हजार ४ सौ रुपये की मांग है।

इस संबंध में मैं प्रथमतः यह कहूंगा कि इन आफिसर्स की आवश्यकता ही नहीं है। उन्हीं अफसरों से काम लिया जा सकता है, जो इस समय हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की दृष्टि में यह आवश्यक है कि नये जुडीशियल आफिसर्स नियुक्त किये जायं, तो किये जावें। एक बात की ओर आपका ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं कि जिसके कारण जनता को

महान् कष्ट हो रहा है । मैं अभी अपने क्षेत्र में घूमने गया था। सदर कचेहरी भी देखा वहां अदालतों में यह हालत है कि एस० डी० ओज० के यहां फाइलें लगी हुई हैं। उनको जमींदारी मुआर्जा आदि का काम दे दिया गया है जिसमें उनका बहुत सा वक्त सर्फ हो जाता है। साथ ही साथ उनके जिम्मे बहुत से मुकदमात भी दे दिये गये हैं १०९ और १०७ आदि के। जिसका नतीजा यह है कि गवाहों को लेकर लोग जाते हैं और लौट जाते हैं जिसमें बिला वजह उनका समय तथा धन बरबाद होता है।

मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करना चहाता हूं कि कम से कम इसका प्रबन्ध कर दिया जाय। यदि नये अफसरों को नियुक्त करने की आवश्यकता हो तो नियुक्त कीजिए। लेकिन इसका ख्याल रखें कि हाकिम परगना को और काम तो दे दिये जायं लेकिन मुकदमे फैसल करने का काम उनसे ले लिया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुदान संख्या २४, जो कि पशुचिकित्सा के संबंध में है, दो-गो-सदन खोले जा रहे हैं, एक इटावा जिले में और दूसरा नैनीताल जिले में। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यदि यह आवश्यक था कि केवल दो ही स्थानों पर गोसदन खोले जायं तो एक इस तरफ कर दिया गया होता जहां पर अन्य जिलों का भी लाभ होता।

चूंकि लाल रोशनी आ गयी है, इसलिये इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि पूर्वी जिलों की जो समस्या है और विशेषकर आजमगढ़ की उसकी तरफ भी ध्यान दें और जो दुर्दशा वहां की जनता की हो रही है उसको दूर करने का प्रयत्न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि जब कि आज हम पूरक अनुदानों पर विचार कर रहे हैं हमारे मंत्रिमंडल का ध्यान इस ओर बहुत ही कम आकर्षित हुआ है और केवल दो ही मंत्री यहां पर उपस्थित हैं।

आशा तो यह थी कि जो यह अनुपूरक बजट था यह उन कमियों को पूरा करेगा जिसकी ओर इस माननीय सदन ने पिछले बजट के सिलसिले में अपने भाषणों द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन देखने में आता है कि बजाय इसके कि यह पूरक बजट उन कमियों को पूरा करे जो कि हमने वार्षिक बजट में देखी थीं हम यह देखते हैं कि इसमें और भी गलतियां वैधानिक और आर्थिक इस पूरक बजट में पाते हैं।

मैं तो यह कहूंगा कि जब कि उस पुराने वार्षिक बजट में कुछ गलतियाँ थीं इस थोड़े से छोटे बजट में इतनी गलतियाँ कर दी गयीं कि जिनको अगर माननीय सदस्य देखें तो उन्हें आश्चर्य होगा। सब से पहले तो इसमें विधान की अवहेलना की गयी है। हम यह देखते हैं कि धारा २६७ के अनुसार जो कांटिंजेंसी फंड बनाया गया है उसमें से स्टेट की ओर से केवल तभी एडवान्स लिया जा सकता है "For the purpose of meeting unforeseen expenditure pending the authorization of such expenditure by the Legislature ....."

[विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक अनुवेक्षित व्यय की पूर्ति के लिए .. .. ..]

यानी कांटिंजेंसी फंड से केवल वही रकम ली जा सकती है जिसको कि अनफोरसीन एक्सपेंडीचर माना जाय। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जहाँ पर कोई नया आइटम है या कहीं पर जरूरत से ज्यादा खर्च हो गया है या कोई सप्लीमेंटरी खर्च हो गया है। तीनों के मामले में कांटिंजेंसी फंड से रुपया लिया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि कोई नया अनुदान हो तो वह अनफोरसीन हो। दूसरे आइटम को ले लीजिये। बाढ़ वाले मामले को लीजिये। उसमें लिखा हुआ है कि गोह नदी में बरसात के पहले ही हमने दो बंध बना दिये थे। तो ये बना दिये गये उस समय में जब कि बजट हमारे सामने

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

आया था या उस से पहले इसमें महीना तो दिया नहीं गया शायद इसलिये कि कहीं गलती न पकड़ जाय। इसके अलावा जुडिशल आफिसर्स का जिक्र है। इसके बारे में सरकार को पहले ही से मालूम था कि इतना ज्यादा काम होगा, कम्पेन्सेशन का काम होगा और एस० डी० ओज० को इतना काम पड़ता है तो इस बात की तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि सरकार को पहले से यह मालूम नहीं था कि काम ज्यादा है। इसके साथ ही साथ अल्मोड़ा कालेज के अनुदान का इसमें जिक्र है। उस अल्मोड़ा कालेज में आग फरवरी मार्च के महीने में ही लग गयी थी। तो यह भी कोई अनफोरसीन खर्चा नहीं था क्योंकि आग लगी फरवरी मार्च के महीने में जब कि बजट पर विचार हुआ जून के महीने में। तो इसे न तो नया आइटम कहा जा सकता है न अनफोरसीन एक्सपेंडीचर कहा जा सकता है। यह तो फोरसीन एक्सपेंडीचर था तो इसके लिये कांटिजेंसी फंड से कोई एडवान्स लेना मैं समझता हूं कि यह अवैधानिक है। इसी तरह से फैमीन रिलीफ के मामले पर हम विचार करते हैं तो मेमोरेंडम के शुरू में कहा गया है कि जो मांगें सम्मिलित की गयी हैं वे मुख्यतया व्यय की नयी मदों के लिये हैं लेकिन जब हम नयी मदों को देखते हैं तो इसमें हमें कहीं नजर नहीं आता कि इनके लिये कांटिजेन्सी फंड से एडवान्स लेने की आवश्यकता क्या थी। आवश्यकता भी थी तो जहाँ लेना था वहाँ तो लिया नहीं और जहाँ नहीं लेना था वहाँ ले लिया। इसकी मिसाल आपको अनुदान नम्बर १८ में जो पब्लिक हेल्थ का अनुदान है उसमें मिलेगी। भीमताल में डी० डी० टी० सितम्बर और अप्रैल के महीने में छिड़की जा सकती है। सितम्बर बीत चुका और अप्रैल अगले फिनैन्शल ईयर में आयेगा। तो जहाँ कांटिजेंसी फंड से एडवान्स लेना था सितम्बर के महीने में वहाँ तो लिया नहीं गया लेकिन आगे चल कर अनुदान नम्बर ३१ में २८ लाख रुपये का एडवान्स ले लिया गया जब कि उस अनुदान में यह कहा गया कि यह बचत से पूरा हो जायगा। अनुदान संख्या ३१ को देखें तो यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है और बिल्कुल अनुदान की अवहेलना करता है। इसमें स्पष्ट रूप से २२वें पेज पर कहा गया है दूसरे पैराग्राफ में कि "यदि ३१ मार्च, १९५२ के बाद निर्माण कार्यों को जारी रखने के लिये तुरन्त प्रबन्ध न किये गये होते तो जो कार्य हो चुका था उसके बर्बाद हो जाने का और साथ ही साथ सामान को क्षति पहुंचने की आशंका थी।" तो निर्माण कार्य ३१ मार्च, १९५२ के बाद करवाया गया और उसके बाद बजट बना और आज हमारे सामने वह रखा जा रहा है। जो काम ३१ मार्च सन् १९५२ ई० को सरकार की आज्ञा से हुये और जो बजट में आ सकते थे और सरकार को मालूम था और सरकार वह काम करवा रही थी, मार्च, अप्रैल, मई के महीनों में लेकिन इनको बजट में नहीं रखा गया। उसके लिये कहा जा रहा है कि हमने कांटिजेन्सी से लिया।

इससे भी एक और आश्चर्यजनक बात माननीय सदस्यों को मालूम होगी कि बानगंगा के प्रोजेक्ट के लिये ४ लाख रुपया रखा गया है। यह सब माननीय सदस्यों को मालूम होगा ही क्योंकि इसका जिक्र हमें उन रिपोर्टों से मालूम हो चुका था जो कि हम लोगों को बाँटी गई थी। इस बजट में भी जिक्र था कि ४ लाख रुपया एडवांस में से ले लिये तो फिर इसको आज वहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी। इसको पुराने बजट में ही रखा जाना चाहिये था तब कहीं सप्लीमेंटरी बजट में आना चाहिये था। माननीय वित्त मंत्री जी बतलायें कि अगर आपको रखना ही था तो ५० हजार रुपये का यह आइटम इसमें क्यों नहीं रखा गया जो कि हम बजट के पृष्ठ २५६ पर देखते हैं जो कि सरकार ने फानी की नालियों के निर्माण में दिखाया है। "नीलगांव, मंझरा, अंदेशनगर और बाबूगढ़ इनके लिये विधान मंडल द्वारा किसी पूरक विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृति प्रदान करने तक के लिये आकस्मिक निधि से ५०,००० रुपये की एक धनराशि अग्रिम रूप से प्राप्त कर ली गई है।" इसको आपने पुराने बजट से

पहले ही ले लिया। इसमें भी जिक्र नहीं है कि साल भर सम्भावित आवश्यकतायें क्या होंगी और सप्लीमेंटरी में भी इसका कोई जिक्र नहीं है तो इस तरह से यह अधूरा और आर्थिक दृष्टिकोण से भरा हुआ बजट है। मैंने शुरू में ही कहा था कि माननीय वित्त मंत्री जी को आज भी इस संबंध में सदन में भाषण देना चाहिये था कि कौन-कौन से अनफोरसीन एक्सपेंडीचर हैं और क्यों आवश्यकता पड़ी। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी का कहना है कि इसका कोई कन्वेन्शन नहीं है। लेकिन हमारे विधान में स्पष्ट कहा गया है। इसके २०५ आर्टीकिल में कहा गया है कि १०२ आर्टीकिल के अनुसार वित्त मंत्री हाउस के सामने एनुअल फीगर्स स्टेटमेंट रखेंगे। इसके अनुसार वित्त मंत्री जी को बतलाना चाहिये था कि कौन कौन से अनफोरसीन एक्सपेंडीचर हैं। हम देखते हैं कि शुरू में ही यह कह दिया गया है कि इतने समय पहले यह बतलाना कठिन है कि वर्ष के शेष भाग के लिये क्या सम्भावित आवश्यकतायें होंगी। यह कितनी वेग चीज सरकार की ओर से लिखी गई है। अभी तक सरकार को मालूम नहीं है कि शेष साल में क्या होगा। बजट में तो अंदाजा लगाया जाता है। फिर सप्लीमेंटरी बजट रख रहे हैं। जिस सरकार को यह मालूम नहीं है कि हमारी सम्भावित आवश्यकतायें क्या हैं तो मुझे इससे दुख होता है कि उनको इस प्रकार के बजट के रखने का अधिकार नहीं है।

इसके साथ ही साथ जब हम इस पूरक बजट को देखते हैं तो मुझे तो यह आशा थी कि इसमें नये आइटम्स होंगे जैसे कि रिहन्द डैम जारी हो रहा है। एक ओर हम सरकार की टैक्स की नीति को देखते हैं। सरकार को इस साल दस करोड़ के करीब आमदनी टैक्सों से होने जा रही है। मोटर टैक्स, बिजली टैक्स, नये कर और एक लेवी लगने वाली है। अगर सबकी आमदनी मिलाई जाय तो कम से कम ८-९ करोड़ की आमदनी तो आवश्यक होगी और घाटा केवल ४ करोड़ का था। इसके अलावा आपकी रेवेन्यू भी अब करीब करीब १२ करोड़ रुपये के बढ़ने जा रही है।

तो सरकार की यह २२ करोड़ रुपया सालाना की आमदनी बढ़ रही है। उसके मुकाबले में जो घाटा है वह केवल साढ़े पाँच करोड़ का है। मुझे आशा थी कि शायद जनता के सामने इस सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा सरकार इस बात को लेकर आयेगी कि इस नये बजट में हमने इतने आइटम बढ़ा दिये हैं यानी रिहन्द डाम शुरू कर रहे हैं और दूसरी चीजें शुरू कर रहे हैं जिसके अनुसार बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहा है तो उस खर्चे के घाटे को पूरा करने के लिये यह टैक्स लगाया जा रहा है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस आर्थिक दृष्टि से इस बजट पर गौर करेंगे और जो सवाल मैंने पूछे हैं उनका उत्तर देने का कष्ट करेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा आज सदन के माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि आज हमारी स्टेट में क्या हो रहा है। आज यह सप्लीमेंटरी बजट हमारे सामने है। कहा गया है कि "आपत काल परखिये चारी--धीरज धर्म मित्र अरु नारी।" हमारे सामने की बेंचों पर जो भाई बैठे हुये हैं वह सरकार को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और कोई अपना सजेशन नहीं देते हैं। हमारे भाई तिवारी जी ने कहा कि ९७५ करोड़ रुपया यू० पी० का काम चलाने के वास्ते चाहिये। हम तो आपके सामने ६५ करोड़ रुपये से ही इस स्टेट को चला रहे हैं लेकिन ताहम आप हमारी गवर्नमेन्ट का साथ देने के लिये तैयार नहीं हैं। गवर्नमेन्ट ने करीब एक करोड़ रुपये के इस सप्लीमेंटलरी बजट में रखा है बल्कि उससे भी कम है लेकिन उस में भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सरकार वही ढंग से चला करती है जिसका अपोजिशन स्ट्रांग होता है। यहाँ पर जो अपोजिशन है वह वीक है। अगर हमारा अपोजिशन स्ट्रांग होता तो कोई हम लोगों को ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं थी।

आपकी ड्यूटी तो हमको यहाँ पर पूरी करनी पड़ती है और ट्रेजरी बेंचेज जो काम यहाँ पर कर रहे हैं वह पेपरों में भी देखने में आता है। यह खबर भी सुनी है कि यू० पी०

[श्री शिव नारायण]

में मालूम ही नहीं होता है कि कौन अपोजिशन में है और ट्रेजरी बेंचेज में है और कितने उसके मेम्बर हैं यह बाहर नहीं पता चलता है। हमारी सरकार के कार्य के रास्ते में रुकावट डाली जाती है उसको देखना चाहिये और चेक करना चाहिये।

एक बात यह कही गई कि २५ करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों पर खर्च किया जाता है। यह बात सही है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत से इन्सपेक्टर बनाये गये हैं। पंचायत राज में इंस्पेक्टर रखे गये हैं, अग्रीकल्चर में रखे गये हैं, सप्लाई में रखे गये हैं और यह सब सूबे भर में फैले हुये हैं। अगर अब डिकंट्रोल हो गया है तो इनकी तादाद कम होनी चाहिये और सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमारे जो आफिसर लोग हैं वह कुछ काम नहीं करते हैं। हम लोग २१ मील पैदल गाँव में घूम घूम कर आये हैं और हमने देखा है कि यह जो वर्तमान अफसर लोग हैं किसी तरह गाँव के लोगों के साथ को-आपरेट नहीं कर रहे हैं। पुलिस उनको १०७ में चालान करने की धमकी देती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह बजट हमारे इंडियन कांस्टीट्यूशन के मुताबिक नहीं है। इसके अन्दर सिर्फ एक आइटम पूर्वी जिलों के बारे में है जो काफी बड़ा है। यह सरकार ने अच्छा काम किया है और कर रही है जो उन जिलों की तरफ अपनी काफी तवज्जह कर रही है। लेकिन हम ईमानदारी के साथ सरकार से यह कहना चाहते हैं कि अगर आपने गरीब जनता मजदूर और किसानों के उदर की पूर्ति नहीं की तो नक्शा बदल जायगा। दौरे में अगर हमारे साथ प्रेस रिपोर्टर होते या सिनेमा फोटो खींचने वाले होते तो देखते कि सरकार के जरिये कानून बनने के बाद भी जंगल और नदियों के किनारे की जमीन तोड़ी जा रही है। अफसर लोग उन गरीबों की सुनते नहीं है और उनके कान पर जूं नहीं रेंगती है। उनके कानों में तेल डालने की जरूरत है। यह मैं आपके सामने सचाई से कहता हूं कि वहाँ पर यह लोग कुछ भी नहीं करते हैं। बेचारे परेशान हैं। तो सरकार का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें।

बजट में सिर्फ थोड़ी सी निर्माण की बात कही गई है। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें एक चीज दिखलाई गई है कि बिजनौर में १६ अप्रैल सन् १९५२ ई० से एक जिला प्रदर्शनी की गई। यह निश्चय किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस प्रदर्शनी में भाग लेना चाहिये और अपनी प्रदर्शनार्थ वस्तुओं को भेजना चाहिये जिन में इंजीनियरिंग के विभिन्न नमूने सम्मिलित थे। यह प्रदर्शनी बहुत सुन्दर है। इसमें सिंचाई शाखा पर ५,०००; जल-विद्युत शाखा पर ५,००० और भवन तथा सड़क शाखा पर १,००० रुपया दिखलाया गया है। यह बिलकुल अलग की एक चीज थी और इस को सप्लीमेंटरी बजट में लाने की जरूरत नहीं थी और यह भारतीय संविधान के खिलाफ है। इसलिये इसको इसमें नहीं लाना चाहिये था। मेडिकल विभाग के बारे में मैं कहूंगा कि बस्ती जिले में घेंघा और फीलपांव की बीमारी होती है। दो स्थानों में ट्रान्स राप्ती और बानगंगा की नहर की स्कीम ली जा रही है और कहा गया कि आजमगढ़ सबसे बड़ा जिला है। मैं बतलाना चाहता हूं कि बस्ती सब से बड़ा जिला है और जिस की तबियत हो नपवा कर देख ले। बहुत सी जरूरी चीजें हैं जो बान गंगा स्कीम से कम नहीं हैं। कलवारी की सड़क केवल १२ मील की है जिस का बनना बहुत जरूरी है और जो अगर बन जाय तो फैजाबाद, गोरखपुर और बस्ती तीनों जिले वालों को सुभीता हो जाय और बहुत आसानी यातायात की उससे हो सकती है। सिर्फ यह १२ मील की रिक्वेस्ट है। खेद है कि यहाँ पर पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर मौजूद नहीं हैं लेकिन जरूरत इस बात की है कि जिस वक्त यहाँ बजट चलता हो उस वक्त हर मिनिस्टर को हाउस में मौजूद होना चाहिये क्योंकि सिर्फ वित्त मंत्री ही कुल हाउस के जिम्मेदार नहीं हैं। इसको तसलीम किया गया है कि बस्ती जिला चावल का खजाना है, लेकिन उधर सरकार ध्यान नहीं देती है। अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ

और अच्छा चावल पैदा होगा और बहुत काफी आमदनी होगी और प्रान्त की जनता का लाभ होगा। आपने इसमें हरिजनों के लिये भी कुछ नहीं किया। एक आना फी लड़के पर आप के बजट से उन पर खर्च होता है अगर एक लाख रुपया और आप दे देते तो कुछ आँसू पुंछ जाते। सरकार कान खोलकर सुने। हमारे जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और मिनिस्टर जाते हैं वह कलक्टरों के बंगलों में जा कर रहते हैं और उनकी मुलाकात हम गरीबों से नहीं हो पाती है। इन चीजों के लिये सरकार को सतर्क रहना चाहिये वर्ना गरीबों की आवाज रायगाँ जाने वाली नहीं है।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पूरक आय-व्ययक इस भवन के सामने प्रस्तुत है मैं इसको आवश्यक मानता हूं। मैं इससे भी अधिक धनराशि सरकार को देने के लिये तैयार हूं लेकिन सरकार की ओर से इस का आश्वासन होना चाहिये कि इस पैसे का उचित रूप से सदुपयोग होगा। इसमें जो मुख्य-मुख्य माँगें सरकार की ओर से की गई हैं, उसमें अकाल के सम्बन्ध में, सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में और सिंचाई के सम्बन्ध में मुख्य मुख्य मांगें की गई हैं। आप देखेंगे कि अकाल के बारे में एक बड़ा धनराशि है और मेरा ऐसा अनुभव है कि यदि यह कार्य इस प्रान्त में समय से हुआ होता तो सरकार को इतना पैसा भी व्यय न करना पड़ता। सरकार ने इस बीच में जो मुख्यतः धान का बीज बटवाया है, उससे आप जानेंगे कि बड़ी हानि हुई है।

कहीं-कहीं ऐसा हुआ है कि जो अर्ली पैडी के नाम से दिया गया वह लेट पैडी निकला और जो लेट पैडी के नाम से दिया गया वह अर्ली पैडी निकला। इसका नतीजा यह निकला कि धान समय से पहिले आ गया। नतीजा यह हुआ कि मक्खियाँ इतनी आईं कि एक भी दाना न बचा। इस कारण पूर्वी जिलों में इस असावधानी के कारण खास कर गोरखपुर और देवरिया में एक बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गयी है और यह सब सरकारी अमले की असावधानी की वजह से हुआ है। ऐसे लोग अपराधी हैं और मैं चाहता हूं कि उनको समुचित दंड इसके लिये दिया जाय। वे शासन प्रबंध के कदापि योग्य नहीं हैं जो जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं।

दूसरी तरफ सरकार ने अन्न की रक्षा के लिये और सिंचाई के लिये गोरखपुर में गूलों के लिये ११ लाख रुपया दिया लेकिन वहाँ के जो प्रबंधक अधिकारी हैं उन्होंने उसमें से ९ लाख रुपया बचा दिया और सरेंडर कर दिया। जब कि वहाँ २ लाख रुपया ही केवल रचना में खर्च किया गया लेकिन उसकी व्यवस्था में ५ लाख रुपया खर्च कर दिया गया। संभवतः नियम यह है कि १२ १/२ प्रतिशत व्यवस्था में खर्च किया जाता है। आज हमारे सामने यह समस्या है। एक ओर तो माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि दीन और गरीब जनता के लिये अपने बजट के सब आइटम्स को भी लगा दूंगा लेकिन आज उनका यह भाव होते हुए भी वहां जो परिणाम निकला है, वह बड़ा करुणाजनक है।

सिंचाई के अतिरिक्त बाढ़ की भी एक बड़ी भारी समस्या है। बाढ़ के बारे में सरकार की अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखाई पड़ती। यह अभीतक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सका है कि बाँध बनाना जरूरी है या नहीं। बाँधों से बाढ़ को रोका जा सकता है या कि बाँधों के कारण से ही बाढ़ आती है। किसान बाँध बनाकर अपने खेतों को बचा लेता था, लेकिन सरकार की स्पष्ट नीति न होने के कारण वह कुछ कर नहीं पा रहा है। सरकार अपने इन अनुभवशील लोगों और किसानों के साथ मिलकर कोई रास्ता निकाले या स्पष्ट रूप से यह कह दे कि इन बाढ़ों को रोका ही नहीं जा सकता, यह तो ऐसे ही रहने वाली चीज हैं ताकि पैसे का दुरुपयोग बन्द हो सके।

सरकार ने निर्माण विभाग में काफी रुपया दिखाया है। इसको साढ़े बारह प्रतिशत विभाग कहा जाता है। यह सरकार की नपीतुली धनराशि लेता है। जो पैसा इस विभाग द्वारा खर्च किया जाता है वह बहुत अपव्यय के साथ होता है। अगर यह अपव्यय इसी प्रकार से चलता रहा तो कहाँ जाकर वह लगेगा और ऐसी परिस्थितियाँ सरकार के सामने अपने कर्मचारियों के कारण से आ रही हैं। सरकार को उनको शीघ्र ही रास्ते पर लाना चाहिये।

[श्री रामजी सहाय]

म इस समय विशेष रूप से उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता और न मैंने इसको ब्योरेवार देखा ही है। मैंने मुख्य-मुख्य तीन ग्रांटों के बारे में निवेदन किया है और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। जिन माननीय सदस्यों ने यहाँ पर अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त किया है केवल छिद्रान्वेषण के लिये नहीं वरन् रचनात्मक दृष्टि से जो आलोचना सरकार की की गयी है उस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिये। यदि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे और अपने ही ढंग से काम करते चले जायेंगे तो उसका अच्छा परिणाम निकलने वाला नहीं है। मैं इससे अधिक नहीं कहता हूं बस केवल यही निवेदन करना है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस बजट पर बोलने के लिये कुछ हिचकिचा सा रहा हूं। कारण यह है कि हमारे माननीय परिपूर्णानन्द जी, जिन्होंने पहली मर्तबा कहा था कि बजट मेरा विषय है, बजट पर मेरी ज्यादा जानकारी है, मुझे कुछ डर सा लगा कि कहीं कोई ऐसी बात न कह डालूं जिससे बजट के आँकड़े वगैरह में मुझे कुछ दिक्कत पड़े। लेकिन मुझे उस दिन की याद आ रही है जिस दिन मैंने इस सदन के सामने माननीय मुख्य मंत्री जी से सुना था कि अगर पूर्वी जिलों के लिये खाने की जरूरत होगी तो आप रुपया कहते हैं मैं तो इस प्रान्त के सारे रुपये को पूर्वी जिलों की तरफ दौड़ा दूंगा। जब मैंने सप्लीमेंटरी डिमांड को देखा तो मैंने समझा था कि अगर कम से कम ५० करोड़ रुपया न हो तो ५ करोड़ तो होगा, एक करोड़ तो होगा, लेकिन मैंने देखा कि केवल ५० लाख रु० उतने बड़े पूर्वी जिलों के लिये जो मैं समझता हूं हमारे प्रान्त की अगर आधी न हो तो कम से कम काफी बड़ी अबादी इस प्रान्त की उन जिलों के अन्दर रहती है। उनके लिये ५० लाख रु० दुर्भिक्ष के लिये सप्लीमेन्टरी डिमांड में रखा गया है मुझे यह जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ। जब पूर्वी जिलों के दुर्भिक्ष की याद आती है उस समय मुझे माननीय परिपूर्णानन्द जी का एक बयान, जो उन्होंने हाल ही में शाया किया था, उसकी भी याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्वी जिलों की हालत इतनी सुधर गयी है कि किसान तो परेशान हो गये हैं क्योंकि वहाँ पर एक रुपये का ५ सेर चावल मिलता है। मुझे भी उसे पढ़कर बड़ा ताज्जुब हुआ। उसे पढ़कर फौरन ही बनारस सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ने ५० हजार मन चावल की डिमांड माननीय परिपूर्णानन्द जी के पास भेज दी कि ये चावल हमें मद्रास भेजने हैं मेहरबानी करके हमको दिलवा दीजिये। उसके बाद उन्होंने फिर बयान निकाला कि मैंने तो ५ सेर का धान कहा था अगर हमको वे ५ सेर का धान भी दिला दें तो हम उनके बड़े शुक्रगुजार होंगे क्योंकि आज हमारे यहाँ पहाड़ी प्रदेश में चावल रुपये का १२ छटाँक मिलता है और हमारे यहाँ लोग ज्यादा चावल ही खाते हैं। इसलिये मैं आपसे कहता हूं और मैं तो माननीय वित्त मंत्रीजी से पहले भी कह चुका था कि कम से कम अगर उस समय आपने उनकी सलाह न ली तो आज तो माननीय परिपूर्णानन्द जी की सलाह लेते। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा था कि मद्रास में करीब १७ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स से वसूल किया जाता है। मद्रास की हालत आज जैसी हो रही है वह इधर की भी हो जाती। मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी कृपा करके अवश्य अपनी बजट की बातें इस सदन के सामने सुनावें ताकि हमलोग उससे फायदा उठावें और गवर्नमेन्ट को भी कुछ बतलावें। मैं इसलिये ऐसा कहता हूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी विद्वान हैं, वे काफी पढे हैं और पढते भी हैं लेकिन उनका जवाब देने के लिये हमें भी तो कुछ पढ़ना पड़ता है तो मैं चाहता हूं कि वे इस पर रोशनी अवश्य डालें कि पूर्वी जिलों के लिये ५० लाख रु० ही क्यों मिला? जो काम माननीय परिपूर्णानन्द जी को करना था वह मैं कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं सरकार से कहना चाहता हूं वह यह है कि सप्लीमेन्टरी डिमांड तो आयी है लेकिन जो रुपया हमलोगों ने बजट में पास किया था उसका एक पैसा भी अभी तक खर्च नहीं हुआ है। मार्च चला जायेगा लेकिन वह रुपया खर्च होने वाला नहीं है। न तो उस डिपार्टमेंट को सरकार रुपया लेने देती और न दूसरे ही डिपार्टमेंट को ही वह रुपया देती है। इस तरह से इस सरकार का काम चल रहा है।

में जिस प्रदेश से आया हूं, हमारे यहाँ सड़कों की बड़ी सख्त जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जिनके लिये रुपये दिये गये हैं लेकिन आज तक एक पैसे का काम भी शुरू नहीं किया गया है। हमारे यहां के गरीब लोग अब बाहर जाने लगे हैं और जब वह बाहर चले जायेंगे तब काम शुरू होगा। हमारे यहां बागेश्वर तक एक सड़क जाती है। वहां बागेश्वर में एक तिजारती मेला लगता है। हम उम्मीद करते हैं कि वह सड़क पूरी हो जायेगी लेकिन नहीं हुई। रामश्वर से गंगोलीहाट तक सड़क मंजूर हुई थी उस पर भी यह काम नहीं हुआ। जो पुलियां बनने वाली थीं वह भी नहीं बनीं, कोई भी काम नहीं हुआ है इसलिये मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जितना रुपया है उसको खर्च किया जाय। जो रुपया पास हो चुका है उसको काम में लाया जाय नहीं तो सिर्फ दिखाने के लिये लम्बे चौड़े काम लम्बी स्कीमें बनवा करके इतना रुपया खर्चा करके यह अस्पताल बनेगा, यह सड़क बनेगी, यह होगा और वह होगा यह सब बिलकुल कागज की चीज रह जायगी और उसके बाद मार्च के महीने में जो साढ़े चार करोड़ का डेफिसिट है वह सब रुपया जमा रहेगा। खर्च करने की आवश्यकता क्या है। सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह पहली तारीख को सही हो जायगी और उसके बाद निर्माण का कार्य सारा खत्म हो जायगा अगर यह सब रुपया लैप्स हो जायगा? क्या इसी तरह से प्रान्त की हुकूमत चलेगी? मैं जानता हूं कि निर्माण मंत्री जी ने हिदायतें दी हैं कि काम जल्द किया जाय और जो रुपया मंजूर हुआ है वह काम में लगाया जाय। मुझे मालूम है कि उन्होंने इतनी दिलचस्पी ली है लेकिन बावजूद उनकी दिलचस्पी के इस हुकूमत में काम क्यों नहीं हो रहा है? आप कब इस ब्यूरोक्रेसी की मशीन को रोकेंगे। कब वह काबू में आयेंगे? कब यह चीज रुकेगी? इस तरह से तो हमारे सदन की तौहीन की जाती है। सदन में जो चीज पास होती है उसका पूरा करना आवश्यक है, जो रुपया पास किया जाता है उसका ठीक ठीक खर्च होना आवश्यक है। मैं हुकूमत से प्रार्थना करूंगा कि जितना बजट जिस डिपार्टमेंट के लिये पास हुआ है, देखें कि वह रुपया खर्च हुआ है या नहीं और यह भी देखें कि ठीक तरह से खर्च हुआ है या नहीं और जब तक हुकूमत इस चीज को देखेगी नहीं, यह ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी बदलने वाले नहीं हैं, यह वैसे ही अपने पुराने ढर्रे पर चल रही है और तब तक चलती ही रहेगी कि अभी ओवरसियर की रिपोर्ट नहीं आई है, या फलां चीज नहीं हुई है, बहुत से बहाने निकाले जाते हैं और किसी किसी वक्त तो टेक्निकल्टीज की बातें की जाती हैं। मैं यह मानता हूं कि बजट बहुत देर में पास हुआ और उसकी वजह से कुछ काम रुक गया लेकिन फिर भी जितना रुपया जिस विभाग के लिये व जिस विकास कार्य के लिये पास हुआ है वह ३१ मार्च तक खत्म हो जाना चाहिये। क्या होता है कि मार्च में दौड़-धूप की जाती है कि ३१ मार्च तक सब दिखा दो। कागजी खानापूरी कर दो, नहीं तो रुपया लैप्स हो जायगा। यह ठीक नहीं है। वह सब रुपया अभी से ठीक प्रकार से खर्च होना चाहिये ताकि प्रदेश की तरक्की हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से विषय हैं जिन पर जब अलग-अलग डिमांड्स आयेंगी उसमें मैं कुछ कहूंगा लेकिन आज तो मुझे बड़ा दुख है कि जो सप्लीमेंटरी के माने बताये जाते हैं वह तो अंग्रेजी और हिन्दी के डिक्शनरी में लिखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त इसको फाइनेंस सेक्रटरी साहब ने समझाने की कोशिश की है:—

"Payments that are required to be made during the course of a particular financial year over and above the expenditure authorised for that year .. .."

[किसी वित्तीय वर्ष के दौरान में उस वर्ष के लिये अधिकृत व्यय से अधिक व्यय क संबंध में जो भुगतान करने पड़ते हैं....]

'ओवर ऐंड एबव' कैसा, अभी तो जो पास हुआ है वही खर्च नहीं हुआ। इसके आगे भी आप समझाते हैं:—

"Supplementary demands are necessary even when funds are available for the expenditure in question if the expenditure consists of new items"

[पूरक मांगों की उस समय भी आवश्यकता होती है जब संबंधित व्यय के लिये न उपलब्ध हो पर व्यय नई मदों के लिये हो।]

श्री सीताराम शुक्ल---सदन की जबान तो हिन्दी है और हिन्दी में बजट भी पेश किया जाता है फिर माननीय सदस्य अंग्रेजी में बोल रहे हैं ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय---बावजूद हमारी मातृभाषा हिन्दी के होते हुए भी मुझे अफसोस है कि यह अंग्रेजी में भी छपे हुए हैं। हमतो चाहते थे कि केवल हिन्दी में ही छपा करें और अगर केवल हिन्दी में छपते तो हमें मौका ही न मिलता कि हम अंग्रेजी बजट में से कुछ कहें। मेरी समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। वह क्या हमें समझाने की कोशिश करते हैं, यही मेरी समझ में नहीं आया। माननीय भगवान सहाय जी का भाषण सुनकर आज मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कम से कम हिम्मत तो की, वैसे तो जब हिवप लग जाता है तब कोई नहीं बोलता। अभी माननीय सदस्यों ने कुछ राय प्रकट की लेकिन उन्होंने ज्यादा समय बधाई देने मे ही लगाया। अब मैं समझता हूं कि हमारा फर्ज है कि हम सब एक हैं, हम भी इस हुकूमत के पार्ट ऐंड पार्सल हैं और चाहते हैं कि हमारे प्रान्त की बेकारी और गरीबी दूर हो। उसमें हम सब मिलकर काम करें तभी यह काम हो सकता है। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजनारायण जी वहां जाकर फौज क्यों नहीं इकट्ठा करते। यहां से फुरसत मिले समझाने से तभी तो फौज जाकर बना सकते हैं। अभी तक फुरसत ही नहीं मिली है समझाने से, जो हम वहां जाकर कुछ काम कर सकें।

मैं दशहरे की छुट्टियों में अपने इलाके गया और सभी माननीय सदस्य अपने अपने इलाकों में गये होंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे हृदय पर हाथ रख कर बतायें कि जितना रुपया इस सदन ने स्वीकार किया है उसमें से कितना और कैसे खर्च किया गया है। इस साल में कोई घाटा होने वाला नहीं है। छः करोड़ रुपया लैप्स हो जायगा। अखबारों में निकलता है, कि यू० पी० स्वर्ग बनने जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि अब हमें काम करना चाहिये। यह रेड टेपिज्म, डिप्टी मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स की बाढ़ लगाने से कोई फायदा नहीं।

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य क्या सप्लीमेंटरी बजट पर कुछ कह रहे हैं ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट की तरफ जा रहा था।

इस बजट में पूर्वी जिलों के दुर्भिक्ष के सिलसिले में ५० लाख रुपये की रकम रखी गयी है। इसलिये मैं उसका जिक्र करना आवश्यक समझता हूं। माननीय जगन प्रसाद रावत और माननीय कुमारप्पा के बयान निकले। मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा। केवल पूर्वी जिलों की ही नहीं, हमारे पहाड़ी प्रदेश की भी हालत खराब होने जा रही है। वहां पर बेकारी फैल रही है। वहां गाड़ी की सड़कें न होने की वजह से चीजें इतनी महंगी हैं कि अगर उसके लिये जल्द से जल्द कदम न उठायेंगे तो वह प्रदेश जो तिब्बत के बहुत करीब है वहां गड़बड़ होने का अन्देशा है। जैसा कि माननीय चंद्रसिंह रावत ने कहा वहां भोटिया लोग बसते हैं। उनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है। तिब्बत से तिजारत बन्द हो गयी है। चूंकि मोटर की सड़कें वहां नहीं हैं इसलिये जो सामान यहां से जाता है वह बहुत महंगा पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो सड़क वहां पांच साल में बनती हो वह दो साल में होनी चाहिये और अगर सरकार वहां सड़कें बनवायें तो लाखों की तादाद में लोग काम करने आयेंगे।

अंत में मैं यह कहूंगा कि जितना रुपया मंजूर हो चुका है, वह ३१ मार्च तक अवश्य खर्च हो जाना चाहिये और यह नहीं कि भत्ते वगैरह में खर्च हो जाय, ठीक तरह से खर्च होना चाहिये। जिस स्कीम के लिये मंजूर हुआ है उसमें खर्च होना चाहिये। यह कह कर मैं बैठता हूं।

श्री जगपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स का संबंध है उस सिलसिले में मुझे इतना ही कहना है कि यह सप्लीमेंटरी ग्रांट्स

हमारे सामने जो उपस्थित है उनमें जो बातें मैंने पहले बजट में कहीं थीं, मैं यह उम्मीद करता था कि कम से कम हम जनरल डिस्कशन के ऊपर जिन बातों को कह रहे हैं उनपर विचार किया जायगा और उनके लिये कुछ न कुछ सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स में लाया जायगा। लेकिन सप्लीमेंटरी बजट को देखने के बाद भी यह कहना मुश्किल है कि जिन बातों को मैंने पहले बजट में उठाया था उस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने विचार किया या नहीं लेकिन इतनी बात जरूर कह देना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स को मैंने देखा तो यही स्पष्ट होता है कि जैसा कि शिक्षा मंत्री ने अपनी स्पीच में हरिजन संबंधी डिमांड पर कहा था, वह इस वक्त यहां नहीं हैं, लेकिन उनके जो शब्द हैं जो छपे हैं, वह यही हैं, "हरिजन सदस्यों ने जिस मनोवृति का सबूत आज मुझे इस भवन में दिया, वह मैं कहता हूं कि उनके लिये कल्याणप्रद नहीं है। अगर वह अपनी इस मनोवृत्ति का ही संकेत करते रहेंगे, उसी के अनुसार कार्य करते रहेंगे, उसी के अनुसार अपना व्यवहार रखेंगे तो शायद उनका कल्याण नहीं होगा।" इसके अलावा उन्होंने एक सेंटेंस और कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सर्विसेज का काम हरिजनों का नहीं है। तो जहां तक डिमांड्स का संबंध है और सोचने-विचारने का संबंध है वह तो वायड हो गया है, टाल दिया गया है, साथ ही उस नीति का अनुसरण सप्लीमेंटरी डिमांड्स में भी किया गया है और उसको टाल दिया गया है। जिस वक्त मैंने सप्लीमेंटरी ग्रांट्स को देखा तो बैकवर्ड कम्युनिटी के संबंध में, उनकी आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक उन्नति के लिये जो कुछ करने की जरूरत थी और पैसा खर्च करने की जरूरत थी उस पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया गया। हम यह कहते हैं कि हम हरिजनों की शिक्षा के लिये खर्च कर रहे हैं, उनको मुफ्त तालीम देते हैं, स्कालरशिप देते हैं, लेकिन सहारनपुर में मैंने खुद देखा है कि इतनी ऐप्लीकेशंस स्कालरशिप्स के लिये आती हैं और उन पर हम विचार नहीं कर सकते। १० तो स्कालरशिप्स हैं और १६८ दरक्वास्तें हैं दसवीं क्लास के लिये और उनमें १५ ऐसी हैं जिनके बाप नहीं हैं। तो जो आरफंस हैं, यतीम हैं उनमें से हम कैसे छांट सकते हैं। कम से कम उन सबके लिये तो हम प्रबंध कर दें जो यतीम हैं और जिनका कोई गार्जियन नहीं है और मारे-मारे फिरते हैं। तो यह दशा तो हरिजन शिक्षा के संबंध में है। मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि जो इस वक्त हमारे सामने एक किताब बटी है उसमें मैंने देखा कि काफी अच्छी छपी है। मैं तो खुश हुआ कि उसमें बहुत सी बातें दोहरा दी गयी ह और मैं समझता था कि हमारी उन मांगों की पूर्ति कर दी गयी है, लेकिन जहां फ्री होस्टल्स की बात की गयी है वह बात यह है कि यहां पिछले दिनों दो होस्टल्स थे और वह चाहते थे कि दोनों को हटा करके एक हो जाता। बड़ी अच्छी बात थी और ऐसा प्रबन्ध हो जाता कि लड़के अच्छी तरह से वहां रह कर शिक्षा पा सकें तो कोई नुकसान नहीं था। लेकिन होता यह है कि पहले अगर किसी बिल्डिंग के बनाने के लिये जगह के लिये कहा गया और फिर किराये के लिये तो उसके लिये तो मंजूरी नहीं दी जाती लेकिन उसके बाद तीन-चार मील दूरी पर होस्टल के लिये ग्रांट देने की बात है और पहले से डेढ़ सौ रुपया ज्यादा माहवार पर। होना तो यह चाहिय था कि शिक्षा केन्द्र के पास ही, यूनिवर्सिटी के पास ही कोई जगह ली जाय या सरकार द्वारा बनाई जाय, पर हमेशा असुविधा पैदा करने की कोशिश की जाती है कि हरिजन शिक्षा न पा सकें। यह हमारे शिक्षा डिपार्टमेंट का तरीका है।

मैंने यह भी देखा कि माडल बस्तियां हरिजनों के लिये बनाने की बात कही गयी। मैं समझता हूं कि माननीय गंगा प्रसाद जी ने कोशिश करके गोंडा में एक बस्ती बनाई। कुछ जमीन किसी जमींदार से ली और उसमें बस्ती बसवा दी। लेकिन उसके अलावा और सारे सूबे में कहां माडल बस्तियां बनी हुई हैं ? सब जगह कोशिश की जा रही है और इस किताब में भी लिखा हुआ है:

"Model Harijan bastis have been constructed at several places and at others the sanitary condition of existing ones has been improved.

[श्री जय पाल सिंह]

Harijans whose houses are destroyed by such calamities as flood and fire, are also given subsidies to reconstruct their houses ....."

(आदर्श हरिजन बस्तियां विभिन्न स्थानों पर बनाई गई हैं और अन्य स्थानों में विद्यमान बस्तियों की स्वच्छता की दशायें सुधारी गई हैं। उन हरिजनों को अपने गृहों के पुनर्निर्माण के लिये राज-सहायता भी दी जाती है जिनके मकान बाढ़ तथा आग जैसे आपदाओं से नष्ट हो जाते हैं।....) तो इस तरीके से कह तो दिया गया और मैं भी खुश हुआ लेकिन ऐसा हो कहां रहा है ?

इस तरीके से जहां तक जमीन देने की बात है, हजारों बीघा जमीन अंडर कल्टीवेशन लायी गयी है परन्तु बड़े बड़े अफसरों ने अपने रिश्तेदारों को जमीन दे दी है और उन्हीं को प्रिफरेंस मिलता है। जहां हरिजनों को जमीन देने की बात आती है, ३६ सौ एकड़ जमीन गिनवाई गयी है कि यह दी गयी है । मैं समझता हूं कि सरकार का जो काम करने का तरीका है उसमें तब्दीली करने की जरूरत है अगर तब्दीली नहीं की गयी तो हो सकता है कि इससे ज्यादा मुश्किल हो। जहां तक शिक्षा मंत्री जी ने कहा, उन्होंने अपने तरीके से कहा। हमारे पुलिस मिनिस्टर साहब बैठे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि गरीबों को मदद करने के लिये पुलिस का इंवेस्टीगेशन जिस तरह से होना चाहिये, उस तरह से नहीं हो रहा है। मैं एक पुलिस की मिसाल देना चाहता हूं। तीन चार दिन पहले एक स्वीपर को थाने में इतनी बुरी तरह से मारा गया कि जब वह अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां उसकी डेथ हो गयी। अब कोशिश यह हो रही है कि उस केस को दबा दिया जाय, उसके पेरेंट्स के बयान बदलवा दिये जायं जिससे पुलिस के ऊपर आक्षेप न आ सके। इस तरीके से कई और मौतें हुई हैं लेकिन जब पुलिस खुद ऐसे ऐसे जुल्म पर उतारू है तो वह क्या ऐक्शन ले सकती है। पुलिस और आफिसर्स के इस तरीके पर सोचने की आवश्यकता है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि जितनी स्कीम हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज के बारे में चलती है उनमें काफी सोच समझ कर काम करने की जरूरत है। कागजी प्रोपेगंडा से काम नहीं चलेगा। क्रियात्मक कदम उठाने की जरूरत है। अगर क्रियात्मक कदम नहीं उठाया जायगा तो मैं समझता हूं कि हम पीछे रह जायेंगे। जैसा शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम अगर अपने लिये रोते हैं, मांग करते हैं तो मनोवृत्ति खराब होगी। यह अच्छी बात है कि हम अपने लिये रो भी न सकें और मांग भी न सकें। मैं समझता हूं कि यह पुराने तरीके न अख्तियार किये जायं बल्कि आजाद हिन्दोस्तान में नये तरीके अख्तियार किये जायं। अब हम एक नये नागरिक के नाते बराबर हैं और बराबरी के अधिकार होते हुए हमें गर्व के साथ सोचना चाहिये कि सब के साथ इंसाफ बरता जायगा और सबकी हालतें बराबर हो जायेंगी और आर्थिक, सामाजिक और भौतिक तरीके से सबका विकास हो सकेगा। मैं समझता हूं कि जहां तक हरिजनों के उत्थान की बात है उसमें काफी काम करने की गुन्जायश है और एक मुस्तकिल स्कीम लाने की जरूरत है।

श्री वजीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं कि कुछ अपने दिल की कहानी भी सदन के सामने रखूं। यह जो सप्लीमेंटरी बजट आज हाउस के सामने आया है इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसके ऊपर कोई एतराज किया जाय या जिसको गैर जरूरी करार दिया जाय। उसी के साथ-साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि जो कुछ गवर्नमेंट खर्च कर रही है उसे वह खर्च करना ही चाहिये बल्कि अगर माननीय वित्त मंत्री जी चाहते और उनके पास ज्यादा रुपया होता तो गालिबन इससे ज्यादा वह खर्च करने के लिये तैयार हो जाते। लेकिन एक ऐसी चीज कि जिसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान अब तक नहीं गया है और न इस सदन में पिछले बजट के जमाने में और न इस वक्त उस तरफ किसी का ध्यान गया और न किसी ने उस पर कुछ कहा है हालांकि

मैं जानता हूं कि इस सूबे की सबसे बड़ी जरूरतों में से दूसरे नम्बर की वह जरूरी चीज है और उस पर ध्यान करना चाहिये लेकिन अफसोस है कि उस पर अभी ध्यान नहीं गया। मैं आपको ज्यादा इंतजार की जहमत देना नहीं चाहता, आपको बता देना चाहता हूं कि वह है करघा सनअत। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जराअत के बाद सब से बड़ी चीज जो गरीबों को लाभदायक है वह करघा सनअत है और इस करघा सनअत पर अंग्रेजों ने जिस तरह से अत्याचार किया है उस पर सबसे पहले हमारी हुकूमत को तवज्जह देना चाहिये था, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हो रहा है। इस प्रदेश में करीब करीब ढाई लाख करघे हैं और ये गवर्नमेंट के आदादोशुमार हैं और इन ढाई लाख करघों से जिन लोगों को रोजी मिलती है वे करीब करीब ६ लाख की तादाद रखते हैं। मैं जानता हूं कि हुकूमत के पास अभी काफी जराये नहीं हैं लेकिन फिर भी मुझे यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जराये न होते हुए भी बाज ऐसी चीजों की तरफ हुकूमत तवज्जुह दे रही है कि जिनका दर्जा इसके बाद आता है। जरूरतों को दर्जेवार सामने रखना चाहिये। मैं जानता हूं कि इस प्रदेश में सबसे बड़ी जरूरत जो है वह कृषि विभाग की है और उस तरफ जितनी तवज्जह दी जाय वह कम होगी, लेकिन उसके बाद अगर कोई अहम जरूरत है तो यहां का करघा उद्योग है। उसकी तरफ तवज्जह देना चाहिये। पिछले बजट में इस तरफ कुछ थोड़ी सी तवज्जह रस्मी तौर पर जैसी कि हर साल की जाती थी की गयी। ख्याल यह था कि अब हमारे यहां नये मंत्री जो तशरीफ लाये हैं और उन्होंने हमारे एक जलसे में यह वादा भी किया था कि इस तरफ हमें ध्यान देना है तो इस सप्लीमेंटरी बजट में कोई नयी योजना करघा सनअत के लिये रक्खी जायगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उद्योग के लिये सिर्फ १०० रुपये रखे गये हैं। मैं बहुत आजिजाना तौर पर यह कहूंगा कि अगर इस वक्त हुकूमत के पास रुपया नहीं है तो आइंदा बजट में वह इसका जरूर ख्याल करे।

यह कहते हुए मैं अपनी उस चीज को जो कि मैं पहिले कह चुका हूं कि यह जो सप्लीमेंटरी बजट आपके सामने पेश है उसे तो मंजूर होना ही है, यह तो जरूरी ही है, मुझे उसका समर्थन करना चाहिये। मैं तो विरोधी दल से भी यही कहूंगा कि उन्हें भी इसका समर्थन करना चाहिये। यह तो जरूरी चीज है लेकिन उन चीजों की जिसकी आवश्यकता ज्यादा है उस पर भी ध्यान रखना है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे तो अफसोस होता है कि विरोधी दल वालों ने बढ़-बढ़ के बातें कहीं हैं और कहने के लिये भी बड़े-बड़े वादे किये। सोशलिस्ट पार्टी ने भी करघा वालों को अपने साथ मिलाने के लिये बड़ी-बड़ी उम्मीदें दिलाई। लेकिन इस सदन में उन्होंने एक आवाज भी नहीं उठाई, न तो पिछले बजट के जमाने में और न आज। मालूम होता है कि उनके दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वह उधर ध्यान दें और सरकार से तो मुझे कहना ही है इसलिये कि मैं उसकी पार्टी में हूं। मैंने बड़े सब्र और सुकून से यह जमाना गुजारा है लेकिन आज मैं मजबूर हुआ हूं और मैंने अब यह समझ लिया है कि हुकूमत बगैर रोये, चिल्लाये, और आंसू बहाये तवज्जुह नहीं करेगी। यकीनन अब करघे वालों को आंसू बहाना पड़ गया है।

आप देखिये कि ६-७ लाख की आबादी वाले इस तबके की तरफ सरकार का ध्यान कितना है और दो-दो डेढ़-डेढ़ लाख वाले तबके की तरफ किस कदर तवज्जुह हो रही है। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है कि उनकी तरफ इतनी तवज्जह कर रही है मुझे शिकायत है कि इस तबके की तरफ कोई तवज्जुह नहीं हो रही है। और न रहेगी जब तक कि हुकूमत कोई खास योजना इनके लिये नहीं बनाती है। आज उनकी क्या हालत है। उनके घरों में फाके पड़ रहे हैं। उनके घरों के जेवर और बर्तन कपड़े बिक गये हैं। इस तबके के लोग मलाया, मालीगांव और बम्बई भागे जा रहे हैं। ताज्जुब नहीं वह पाकिस्तान भी चले जाते, लेकिन मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में उनकी दुर्दशा और भी ज्यादा होगी।

[श्री बशीर अहमद हकीम]

इसलिये कि तबके में ज्यादा तादाद उन लोगों की है, जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालिफत की थी। अगर वह गये तो जाहिर है कि उनके साथ वहां क्या बर्ताव होगा। यह कहते हुए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उस तरफ पूरी तरह तवज्जुह दे।

श्री झारखन्डेराय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं भी माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इसलिये, कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस थूरक बजट को पेश करते हुए एक शीर्षक में "दुर्भिक्ष सहायता" शब्द लिखकर या लिखवाकर हम लोगों की बहुत बड़ी सेवा की है। इस विषय को लेकर इस हाउस में एक दिन दिन भर काफी बहस रही। इस विषय को लेकर हिन्दुस्तान के तमाम अखबारों में कालम के कालम रंग डाले गये हैं। इस विषय को लेकर श्री जे० सी० कुमारप्पा और पंडित सुन्दरलाल जैसे महारथियों को राजनीति के अखाड़े में उतरना पड़ा। इस विषय में आज मौजूदा सरकार ने पहली बार यह मान लिया कि दुर्भिक्ष हमारे प्रान्त में है। अगर नहीं था, तो सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर दुर्भिक्ष सूबे के किसी कोने में नहीं है तो सहायता का प्रश्न कहां उठता है। चाहे वह सहायता ५० करोड़ की हो, ५० लाख की हो, चाहे ५० पैसे की हो। इसलिये सरकारी बेंचेज की ओर से इस कठोर सत्य को बड़ी ईमानदारी से मान कर माननीय वित्त मंत्री ने हाउस के तमाम मेम्बरों को और इसके बाहर जो विशाल जनता बैठी है, उसकी बड़ी भारी सेवा की है। इसी के लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

बजट का दूसरा पहलू देखकर मुझे अत्यन्त दुख भी होता है। अब यह बात मानी गई कि दुर्भिक्ष है तो चाहे वह पूरे १० जिलों में हो चाहे पूरे ९ जिलों में हों और चाहे जिलों के थोड़े थोड़े हिस्सों में ही हो तो केवल ५० लाख रुपये की ग्रांट देकर, मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान नहीं पेश किया गया है बल्कि उसके साथ मजाक किया गया है। मैं हाउस में बैठा हुआ कभी कभी इस बात को सोचता रहता हूं कि आखिर विरोधी पक्ष का भी क्या कुछ आवश्यकता होती है? विरोधी पक्ष के लोग चाहे कोई आंकड़े पेश करें, चाहे कोई माकूल दलील दें, और चाहे अपने जोश भरे भाषण यहां पर दें, लेकिन मैं देखता हूं कि सरकारी बेंचों पर बैठने वालों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। पिछली बार जब बजट पेश हुआ था तो यह बात कही गयी थी कि मूलभूत समस्याओं का समाधान केवल ऊपर से नहीं होगा कभी नहीं होगा। केवल किसी समस्या के विचारमात्र से किसी भी समस्या का किसी देश में आजतक समाधान नहीं हुआ है, और न आप या हम कर सकते हैं। जब मैं फरेंदा तहसील के अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिये गया था जिसका जिकर मैंने पिछले बार के अपने भाषण में किया था तो मैंने वहां पर एक बात देखी कि ज्यादातर मरने वालों की संख्या हरिजन भाइयों की है। हरिजन शब्द से मुझे कोई प्रेम नहीं है। बल्कि मैं इस शब्द से नफरत करता हूं उतना ही जितना अछूत शब्द से। लेकिन और कोई शब्द हिन्दी में नहीं है जो भावको पूरा व्यक्त कर सके। अतः अन्य किसी शब्द के अभाव में विवशता है। मैंने यह देखा था कि अधिकतर हरिजन भाई ही मर रहे हैं, और उन जातियों के लोग मर रहे हैं जो खेतिहर मजदूर हैं, और जिनके पास खेत नहीं हैं, या अलाभकर जोत जिनके पास हैं, जिनसे उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है। जब मैंने "कृषि संबंधी विकास और खोज" शीर्षक के मातहत विषय को देखा तो मुझे हैरत हुई। जहां २० लाख एकड़ का जिकर है, वहां उसको उपजाऊ बनाकर और फिर से उस जमीन को बांटा जायगा, खेतिहर मजदूरों और गरीब किसानों को बांटी जायगी उसका कोई भी इसके अन्दर जिकर नहीं है। इसमें चरागाह या चरी जमीन को छोड़ कर जमीन के पुनर्विभाजन की कोई बात रक्खी ही नहीं गई है।

अभी हमारे भाई एक कांग्रेसी सदस्य ने बुनकरों की अत्यन्त दयनीय दशा का वर्णन किया है। उनकी दशा से मुझसे भी काफी जानकारी है।

में उनके सैकड़ों घरों में जाता हूं और उनकी औरतों को रोते और बिलखते देखता हूं। खुद अपने जिले का, जहां का मैं रहने वाला हूं, मुबारिकपुर, मऊ, बड़ेगांव, असना-सुल्तानपुर-बंजारी के क्षेत्रों में, जहां पर बुनकर बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, और वे ऐसी चीजें तैयार करते हैं कि आप देखकर हैरत में रह जायेंगे, उनकी हालत आज बड़ी दयनीय है। उद्योग विभाग की मांग को हमने देखा कि शायद उसमें उनकी हालत को ठीक करने के उपाय मिल जायें और उस विषय पर ध्यान दिया जायगा, लेकिन उस समस्या को हल नहीं किया गया है। बुनकरों की मांग है कि अगर मोटी धोतियां बनाने का अधिकार केवल उन्हीं को रहे, मिलें ऐसी धोतियां न बनाया करें तो वे मरने से बच जायेंगे। अगर सरकार कोई ऐसी योजना हमारे सामने रखती तो मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा इस सदन में अभागा आदमी नहीं होगा जो उसका विरोध करे। अतः हम देखते हैं कि इसमें न तो खेतिहर मजदूरों की समस्या को हल करने की कोशिश की गयी है और न बुनकरों के विकास के लिये और उनको जिन्दा रहने के लिये ही कोई व्यवस्था की गयी है। मद्रास में राजगोपालाचार्य जी ने एक सवाल उठाया है कि साड़ी और धोती अगर मिलों के द्वारा तैयार न कराई जायं तो बुनकरों की समस्या हल हो सकती है। अगर मिलों को धोती और साड़ी जो कि मोटी तैयार की जाती है उनसे प्रतिबंधित रखा जाय तो ये बुनकर जिन्दा रह सकते हैं। अगर कांग्रेस सरकार इतना करने के लिये तैयार हैं तो उनकी समस्या हल हो सकती है। लेकिन इस सप्लीमेंटरी बजट के अन्दर इसका कोई कहीं पर जिकर नहीं है।

आज कांग्रेसी सदस्य माननीय श्री सीताराम शुक्ल ने इसका भी जिकर कर ही डाला कि कुछ लोगों ने ब्लैक फ्लैग १५ अगस्त को दिखाया था, लेकिन उन्होंने तस्वीर का दूसरा पहलू यहां पर पेश नहीं किया। इसका एक दूसरा पहलू भी है और यहां पर बहुत से मेम्बर बैठे हुए हैं जो इन सब बातों को जानते हैं लेकिन किसी कारण से वह नहीं कहते। १५ अगस्त के प्रदर्शन के बारे में मेरी इत्तिला यह है कि सैकड़ों मुसलमानों को सच्चे और ईमानदार मुसलमानों को केवल इसलिये तंग किया गया कि वे मुसलमान हैं। शाहजहांपुर में एक मुसलमान श्री अशफ़ाक़ एम० ए०, एल०-एल० बी०, वकील को इस बेदर्दी के साथ पीटा गया और उसकी बेइज्जती की गई है कि जिसका बयान करना कठिन है। सिर्फ इसलिये उसको पीटा गया क्योंकि वह वहां की पुलिस की आंखों का कांटा था और उसने पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और यह मौक़ा पा कर उसको तंग किया गया। ऐसे सैकड़ों केस हुये हैं मुसलमानों के साथ। मैं समझता था कि माननीय शुक्ल जी ही इस को भी पेश करेंगे।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान और खास कर सरकार की तरफ बैठे माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है कम्युनिटी प्रोजेक्ट या अमरीकन मदद के बारे में। इस विषय पर यहां कहना अप्रासंगिक न होगा कि अमरीका वह मुल्क है जिसे आज सारी दुनिया को हड़पने की पड़ी है। वह साम्राज्यवादी है। वह अपना इनविजिबिल एम्पायर बनाना चाहता है। वह छोटे छोटे एम्पायर को भी क़ब्ज़े में कर के सुपर-एम्पायर बनाना चाहता है। वह अमरीका और एशिया के तमाम देशों को छोड़ना नहीं चाहता। एशिया में वह चीन से आशा करता था कि वहां वह अपनी समर्थक और कठपुतली गवर्नमेंट बना कर अपना क़ब्ज़ा वहां बनाये रख कर चीन को सोवियट-यूनियन और समस्त प्रगतिशील व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोग करेगा। लेकिन उसकी वह दुराशा और उसके वह स्वप्न चकनाचूर हो गये और वहां से उसका प्रभुत्व हमेशा के लिये उठ गया और चांगकाई शेक जो उसका दलाल था वह भी वहां से हमेशा के लिये खत्म हो गया। वही डालरशाहों का अमरीका एशियाई देशों को गुलाम बनाना चाहता है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं और माननीय मंत्रियों से प्रार्थना करता हूं कि वह अमरीका के इस षड्यंत्र को समझें कि अमरीका हमारे देश को गुलाम बनाना चाहता है। आज चाहे हमारा देश अनकचरे तौर पर या मोटे तौर पर जो कुछ भी थोड़ा-बहुत

[श्री झारखंडे राय]

आजाद हुआ है उसको वह फिर अपने जाल में फंसाना चाहता है। कोलम्बो-प्लान, प्वाइंट-फोर प्लान, फोर्ड फाउन्डेशन और कम्युनिटी प्रोजेक्ट आदि में इस तरह से तमाम देशों को करोड़ों और अरबों रुपया दे कर वह अपने आर्थिक साम्राज्यवाद में उपनिवेशिक देशों और हमारे देश को भी फंसाना चाहता है। वह हमारे सम्पूर्ण देश को इकनामी (अर्थतंत्र) को अपने वश में करना चाहता है और हमारे राष्ट्रीय जीवन को कुचल डालना चाहता है। इसलिये हमें इन चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है, देश और प्रदेश के मंत्रियों को और इस देश की विशाल जनता को भी। अमरीका ने चीन को गुलाम बनाने के लिये वहां १५ खरब डालर खर्च किया था परन्तु उसको वहां निराशा हुई और अब उसने हिन्दुस्तान को अपना केन्द्रबिन्दु बनाया है। इसलिये मैं मंत्रियों से अपील करूंगा कि वे अमरीका के इस भयानक एवं विनाशकारी जाल से देश को और इस प्रदेश को सावधानी से बचाने की कोशिश करें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--मान्यवर, इस सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में जो कुछ वादविवाद हुआ है, उसमें हमारे कुछ सम्मानित मित्रों ने मेरा भी उल्लेख करने की कृपा की है। मैं आपकी आज्ञा से उन सदस्यों की दो-तीन गलतफहमियां दूर करना चाहता हूं। माननीय त्रिपाठी जी ने फरमाया था कि मैंने जब यह कहा था कि उत्तर प्रदेश की माली हालत बहुत अच्छी है और यहां का बजट बहुत ठोस है तो शायद उड़ीसा जैसे प्रदेश से भी वे उसकी तुलना नहीं कर सकते। मैंने उस समय जो कहा था वह यह था और उसीको मैं और जोर के साथ दोहराता हूं और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की माली हालत बहुत अच्छी है, इसलिये कि यहां के असेट्स यानी पूंजी ९९.९३ करोड़ रुपया है और उसके ऊपर ८६.९९ करोड़ रुपया ऋण का भार है। यहीं मैंने कहा था। त्रिपाठी जी ने कहा था कि उड़ीसा सरकार का ५५ करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मुझे दुख है कि शायद वह डेसिमल प्वाइंट को भूल गये। इस भारतवर्ष में कोई भी प्रदेश ऐसी क्षमता नहीं रखता। ५.९१ करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडीचर उड़ीसा का था जिसका ५५ करोड़ रुपया पढ़ा गया। सन् ५१-५२ और ५२-५३ ई० का उड़ीसा का बजट मेरे पास मौजूद है। वह १२ करोड़ रुपये का बजट है। जिसका कैपिटल एक्सपेंडीचर १४.८६ करोड़ रुपया है जो बजट में दिखाया गया है जिसमें १४ करोड़ रुपया सिर्फ हीराकुंड डैम का है। यह रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से उड़ीसा को क़र्ज दिया गया है। इस दृष्टि से हमारे ६५ करोड़ रुपये के बजट में से २०.७४ करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडीचर है जिसमें ट्रेडिंग अकाउन्ट भी शामिल है। इन आंकड़ों की यदि हम समीक्षा करें तो माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने बजट के संबंध में जो कुछ कहा है उनको स्वयं वह कुछ भ्रमात्मक मालूम पड़ेगा और मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह सही प्रतीत होगा।

उन्होंने कहा था कि जमींदारी अबालीशन की वजह से १२ करोड़ की आमदनी होने वाली है तथा नये टैक्सों से ८-९ करोड़ की आमदनी होगी। इसलिये फिर इस सप्लीमेंटरी बजट की आवश्यकता क्या थी। बजट में हमने जमींदारी अबालीशन के कारण सरकार को जो आमदनी होनी चाहिये वह स्पष्ट रूप से दिखला दी है। फिर एक प्रगतिशील राज्य के लिये जो अपने राज्य की प्रगति करना चाहता है, जो अपना लेखा-जोखा बराबर कर रहा है, यह कभी संभव नहीं हो सकता कि वह हर एक खर्चे को दूरंदेशी के साथ कर सके। इस प्रकार का बजट आना प्रगति का द्योतक है। ऐसा प्रदेश जिसकी समस्या नित्यप्रति बढ़ रही है, जिसके सामने इतनी समस्यायें हैं, जहां एक घंटे में ७८ बच्चे पैदा होते हैं, जहां की आबादी रोज इतनी अधिक बढ़ जाती है, वहां इस प्रकार की "भूल चूक लेनी देनी" की समस्या का होना समुचित ही कहा जा सकता है।

(इस समय ४ बज कर १० मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

माननीय उपाध्याय जी ने धान तथा चावल के भाव के बारे में कहा कि मैंने वह ग़लती से कह दिया था कि रुपये का पांच सेर चावल बिकता है। आपने स्वयं ही कहा कि पैडी शब्द

का अनुवाद ग़लत हो गया। किसी नगर के समाजवादी दल ने मुझको यह नहीं दिखलाया कि वह चावल कहां मिलता है और ५० हजार मन उसमें से दिला दिया जाय केवल कठकुइयां के एक यूनियन से ऐसा पत्र आया था। मैंने अपने उस मित्र को पत्र लिखा और बताया कि ५ सेर के हिसाब से धान कहां मिलता है। १३ सितम्बर को यह दर थी। मैं कोई ग़लत बात कहने का आदी नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि हमारे उन मित्र ने मेरे पत्र का लाभ उठाया भी, कि नहीं। उन्होंने कोई आर्डर दिया था या नहीं दिया।

मुझे खेद होता है कि कैपीटल लेवी का प्रश्न भी इसके साथ उठाया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि टैक्सेज और कैपीटल लेवी का सप्लीमेंटरी बजट से क्या संबंध है। मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमान् कोई ऐसा अवसर दें कि पूरे तौर से इस पर विचार हो सके, क्योंकि बार बार यह कैपिटल लेवी का प्रश्न उठाया जाता है। संभव हो कि हम किन्हीं दूसरे साधनों से रुपया इकट्ठा कर सकते हों। और हमारे मित्रगण यह देखलें कि कैपीटल लेवी और उद्योगधंधों का क्या संबंध है। जिस उत्तर प्रदेश की माली हालत ऐसी है कि समूचे भारतवर्ष की आयकर की आमदनी का ७—८ प्रतिशत वह देती है और उसमें से हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा उस कैपीटल लेवी से हमारी क्या आमदनी होगी मैं नहीं समझ सका। मैं चाहता हूं कि हमारे समाजवादी भाई इस पर विचार करें। हमारे समूचे देश में कुल ५५० के करीब ऐसे कारपोरेशन्स हैं जिनकी आमदनी ५५ लाख साल है और इनसे आयकर के रूप में केन्द्रीय सरकार ७४ करोड़ रुपया लेती है। अतः मैं चाहता हूं कि हमारे मित्रगण इस पर विचार करें कि उत्तर प्रदेश में कैपीटल लेवी से कितनी आमदनी हो सकती है। हमारे प्रदेश में जो परिस्थिति सप्लीमेंटरी बजट की है और उसके संबंध में जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनसे यही प्रतीत होता है कि ६५ करोड़ में केवल ९४ लाख रुपये का एडजस्टमेंट किया गया है और कोई बात नहीं है।

तो मैंने जैसा कि निवेदन किया कि हमारे माननीय त्रिपाठी जी को भ्रम हुआ था कि हमारे प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है और यह प्रदेश कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ नहीं कर सकता है, मैं समझता हूं कि इन आंकड़ों से उनका भ्रम दूर हो जायगा। उड़ीसा ऐसा प्रदेश भी जिसके पास कुछ भी पूंजी नहीं है और जो केन्द्रीय सरकार की पूंजी पर ही निर्भर रहता है उसकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं है जितना कि वे समझते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रदेश के बजट को और भारतवर्ष के अन्य किसी भी प्रदेश के बजट को उठा कर देखें तो आप पायेंगे कि सन् ५२—५३ का जो हमारा बजट है वह इतना ठोस है जितना और किसी प्रदेश का नहीं रहा है।

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस सदन का बहुत समय नहीं लेना चाहता। केवल थोड़ी सी सूचना, चूंकि सदस्यों ने प्राप्त करने की ख्वाहिश जाहिर की, उसी के सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं।

इस सप्लीमेंट्री बजट में २ लाख रुपये की माँग लोकल बाडीज के चुनाव के सम्बन्ध में जिनके बारे में यह पूछा जाना चाहिये और पूछा भी गया है कि यह चुनाव कब होगा और उस सम्बन्ध में क्या क्या कार्य हो रहे हैं? मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहाँ तक म्यूनिसिपैलिटीज का सम्बन्ध है उनके चुनाव जितनी जल्दी हो जायं उतना अच्छा होगा, यह हमारी नीति है। उसके सम्बन्ध में एक अमेंडिंग बिल तैयार हो रहा है और ज्यों ही वह अमेंडिंग बिल तैयार हो जायगा वह इस सदन के सामने रखा जायगा और जब वह अमेंडमेंट यह सदन स्वीकार कर लेगा उस वक्त हम इस हालत में होंगे कि ठीक ठीक तारीख निश्चित कर सकें। मेरी अपनी ख्वाहिश यह है कि जहाँ तक हो सके इस फाइनेन्शियल इयर में अगर यह हो जाय तो अच्छा हो। नोटिफाइड एरियाज और टाउन एरियाज का भी हम इसके साथ ही चुनाव कराना चाहते हैं।

जहाँ तक और दूसरे लोकल बाडीज का सम्बन्ध है उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसके बारे में इस वक्त एक कैबीनेट कमटी बैठी हुई है जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स

[श्री मोहन लाल गौतम]

के फंक्शन्स, उनके काम और खास तौर से उनकी माली हालत पर विचार करने के लिये मुकर्रर हुई है। उसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि उसमें कुछ बुनियादी उसूल तय करने हैं और उन बुनियादी उसूलों को तय करने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अमेंडिंग बिल आयेगा और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के एलेक्शन्स होंगे। उसमें कुछ समय अवश्य लग जायेगा।

पंचायत राज का जहाँ तक सम्बन्ध है उन पर हम जो अमेंडमेंट पेश करना चाहते हैं उन पर भी जाँच-पड़ताल हो रही है और उसके लिये अमेंडिंग बिल लाने का हम विचार कर रहे हैं। इस प्रकार मैंने आपके द्वारा इस सदन के सामने यह कोशिश की है कि लोकल बाडीज एलेक्शन्स के सम्बन्ध में जो कार्य हो रहे हैं और जिस तरह से आगे उनके चुनाव की तारीखें तय होंगी उसका कुछ इशारा मैंने किया है। मैं इतना तो अवश्य ही इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहाँ तक म्यूनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज का सम्बन्ध है, हम जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं और उसके लिये हमने अपने डिपार्टमेंट में खासतौर से एक अलग दफ्तर खोल दिया है जहाँ वह कार्यवाही कर रहे हैं ताकि ज्यों ही अमेंडिंग बिल पास हो और बाकी कामों में देर न लगे। इन शब्दों के साथ मैं यह आशा करता हूं कि इस सदन के सभी सदस्य इस बात का अच्छी तरह से अन्दाजा कर लेंगे कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम कोई देर करना नहीं चाहते हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि अमेंडिंग बिल से माननीय मन्त्री महोदय का क्या मतलब है ?

अध्यक्ष--अमेंडिंग बिल, सुधार के हेतु विधेयक।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, आज जो यहाँ बहस हुई है उसमें कुछ बातें बहुत अच्छी कही गयीं। उनमें से एक बात यह कि यह रुपया जो इस सप्लीमेंट्री बजट में है या और कोई रुपया गवर्नमेंट का जो खर्च करने के लिये लिया जाय उसमें उस काम पर किफायत-शारी के साथ और वक्त के अन्दर खर्च होना चाहिए। यह बात बिल्कुल ठीक है और गवर्नमेंट को इस बात से पूरा इत्तिफाक है और हर मुमकिन कोशिश करना इस बात के लिये गवर्नमेंट को वाजिब है और करेगी भी कि ऐसा हो। मेरे एक दोस्त यह पेशीनगोई कर रहे थे कि देखना सवा चार करोड़ का जो डेफिसिट अब है वह जब साल खत्म होगा तो उस वक्त ६ करोड़ या ९ करोड़ की और बचत होगी और डेफिसिट नहीं रहेगा और दलील उसकी यह थी कि उन्होंने यह देखा कि अभी तक उनके जिले में सड़कों का काम शुरू नहीं हुआ हालांकि बजट को पास हुए करीब दो महीने हो गये लेकिन अभी तक कोई रुपया जो वहां की सड़कों के लिये रखा गया था खर्च नहीं हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। मेरे खयाल में वह भूल गये। वह इसी देश में रहते हैं और हर साल देखते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि सड़कों का काम १५ अक्तूबर के बाद ही से हमेशा शुरू होता है। उस १५ अक्तूबर के आने में आज भी कुछ दिन बाकी हैं एक हफ्ता हो या चार दिन हों या दस दिन हों अभी वह बाकी है। अगर किसी ने कहीं देखा हो कि किसी सड़क के लिये बजट में रुपया रखा गया था और उस पर वह काम अभी शुरू नहीं हुआ है तो उससे वह नतीजा नहीं निकल सकता है जो नतीजा मेरे दोस्त ने निकाला। बहुत शिकायत इस बात की रही कि गवर्नमेंट ने यह तो तसलीम किया कि इस स्टेट के अन्दर कहत है। बजट में कई आइटम्स, हिन्दी के अन्दर भी और अंग्रेजी के अन्दर भी ऐसे आये हैं जिनमें फेमिन रिलीफ का लफ्ज इस्तेमाल हो गया और आज तरदीद हो गई उन तमाम बातों की जो पहले बार बार कही गई थी कि यहाँ भुखमरी नहीं है और सिर्फ स्केयरसिटी है। जो यह बात कही गयी थी उसकी आज तरदीद हो गयी। और जुल्म बड़ा भारी यह होगा कि उस बात के ऊपर जिसके लिये खुद गवर्नमेंट कहती हो कि कहत है सिर्फ ५० लाख रुपया इसमें रखा गया यह बड़े गजब की बात हो गई। इन ५१, ५२ जिलों में जहाँ कहीं कहत नजर आता हो उसको मीट करने के लिये सिर्फ ५० लाख रुपया। इस बजट में ९४ लाख रुपया है। अब यह बजट है क्या इसको मैं आगे बताऊंगा कि यह क्या है।

लेकिन जो लफ्ज उसके लिये इस्तेमाल किया जा रहा है वही मैं दोहराता हूं। सवाल यह है कि ९४ लाख रुपया है और उसमें ५० लाख रुपया उस रिलीफ के लिये है। ५० फीसदी रकम उस रिलीफ के लिये रखी गयी है। वह उस नजर से देखे जाने के काबिल है या उसके ऊपर वह एतराज हो सकता है जो कि एतराज हमारे दोस्तों ने किया कि उसके लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

एक दोस्त ने यह इरशाद फरमाया कि जितना रुपया इसमें माँगा गया है यह सब कॉस्टीट्यूशन के खिलाफ है। उन्होंने आर्टिकिल २०५ का हवाला दिया। उनकी समझ में यह आया कि जो अनुदान इस बजट में रखे गये हैं वह बिल्कुल कॉस्टीट्यूशन के खिलाफ है। खिलाफ होने की बात जो है वह यह है कि खर्चा तो किया पहले और मन्जूरी के वास्ते आया आज। हाँ, एक बात और कह दूं। एक दोस्त को यह भी नजर आया कि वह खर्चा सप्लीमेन्ट्री बजट के जरिये माँगा जाय वह ऐसा हो कि हुकूमत उसको जिस वक्त जो वह बजट बनाती है किसी तरह उसका गुमान कर ही न सकती हो। आनफोरसीन हो, और ऐसा अनफोरसीन जिस पर कि किसी की नजर पहुंच ही न सकती हो किसी का दिमाग पहुंच ही न सकता हो जब कि बजट बनाया जा रहा हो। तब वह कहीं इस काबिल हो सकता है कि वह सप्लीमेंट्री के जरिये से माँगा जाय।

एक आवाज यह तो मैं जब इस पर बोल रहा हूं तो किसी तरफ मुंह हो सुनाई पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं आवाज पहुंचती है। और दूसरे जिन कानों को वह आवाज अच्छी न मालूम हो उनको न पहुंचना ही अच्छा है।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैंने जो उस आर्टिकिल के मानी लिये वह सिर्फ यह है, मैं मिसाल के तौर पर एक दो बातें अर्ज करूंगा। उससे मालूम हो जायगा कि उसके भी मानी क्या हैं और जो बजट हमारे सामने हैं यह खुद क्या चीज है। बजट मार्च के महीने में पेश होता है। अब हम सोचें कि पिछले साल, किसी वक्त के अन्दर हमने एक आबपाशी की स्कीम बनायी और उसका इम्तहान और उसकी जाँच करा रहे हैं। लेकिन इसके जरिये से क्या काम हो सकता है, अब वह शुरू हुई थी, उस काम के शुरू होने से ही इतना कायम नहीं होता, उसके मुताल्लिक हमको जाँच करानी है। वह किस वक्त खत्म हो जायगी छः महीने में, ९ महीने में, एक साल में या दो साल में खत्म हो। वहाँ पर मुख्तलिफ बातें मौके पर निकल आती हैं। हमने पिछला बजट शुरू होने से नौ महीने पहले यह तहकीकात शुरू करवायी और बजट के तैयार करते वक्त तक हमें यह नहीं यकीन हुआ कि वह स्कीम वाकई इस काबिल है कि उसको ले लिया जाय बल्कि बजट के बन जाने के, पास हो जाने के, दो महीने के बाद यह मालूम हुआ। और उस स्कीम को चला करके हम उसके जरिये से खरीफ की आबपाशी कर सकते हैं तो उसको लें या नहीं? यह एक सवाल है। इसलिये कि अब तो बजट बन चुका है और अगला बजट मार्च में बनेगा और उसके बगैर यहाँ पर किसी चीज को लाना नहीं चाहिए। अगर जरूरत है इस बात की कि हम यहाँ आबपाशी तैयार करके अगली फसल से लोगों को पानी दें और हम देना शुरू कर सकते हैं तो पानी देना शुरू करें यह मुफीद बात है या साल भर तक उस स्कीम को इन्तजार कराओ और अगले साल उसके जरिये से आबपाशी हो? इसलिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम उस रुपये को उस बजट में नहीं ला सकते थे, इसलिये कि हम इस बात का यकीन कामिल नहीं रखते थे कि यह काम वाकई हो सकेगा और इससे वह बेनीफिट होगा या नहीं। और जब हमको यह यकीन हो गया कि उसके जरिये से जो कुछ हम कर रहे हैं वह वाकई उस नतीजे पर पहुंचाने वाला है जो नतीजा हम समझ रहे हैं और हम इस काबिल हुए कि हम इस काम को शुरू करें तो हम उस आर्टिकिल से और उस संविधान की धारा से, जो धारा कि उसमें इस काम के लिये रखी हुई है जिसको हमारे दोस्त कहते हैं कि हमने उसके खिलाफ काम किया, उससे हटे नहीं और सप्लीमेन्ट्री स्टीमेट्स के जरिए से जो हम काम करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। यह जो कहा गया कि आप माँगते अब हैं और खर्चा पहले कर देते हैं तो एक बात हो सकती है।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

या तो उस काम को छोड़ो उस वक्त तक जिस वक्त तक कि हम लायें। तीन महीने के बाद लेजिस्लेशन आने वाला है तो तीन महीने तक उस काम को मत करो और न करके उसको और बढ़ा दो ताकि उससे हम जितनी आबपाशी दिलवाना चाहते हैं उतनी भी न मिले, या दूसरी सूरत यह हो सकती है कि आज एक स्कीम हमारे पास आई और वह इस काबिल हुई तो आज हम फौरन लेजिस्लेचर को बुलवायें और एक महीने बाद जरूरत हुई तो फिर बुलवायें और फिर एक स्कीम तैयार हो तो फिर लेजिस्लेचर को बुलवायें। यही तो दो सूरतें हो सकती हैं। या तो हम इन्तजार करें, लेकिन हम इन्तजार नहीं करेंगे, इसलिये कि मुल्क का नुक्सान है। कोई माकूल लेजिस्लेचर इस बात को नहीं चाहेगा कि गवर्नमेंट इन्तजार करे और पहले हमसे मन्जूरी हासिल करले तब खर्च करे। यह कोई माकूल बात नहीं है और इसी लिये हमने इसमें रख दिया है। इसलिये हम कहते हैं कि हमने स्कीम की जाँच की, उसका निफाज किया और उसके लिये यह रुपया माँगा जा रहा है। आखिर कंटिन्जेन्ट फन्ड होता किस लिये है। इसलिये हमको दिया जाता है कि वक्त जरूरत पर हम खर्च कर सकें। क्या वह भी इसलिये दिया जाता है कि बजट के कंसालिडेटेड फन्ड में जिस तरह से रुपया रहता है उसी तरह से उसको मन्जूर करा के फिर खर्च किया जाय? उसको तो रखा ही इसलिये गया है कि जो इस प्रदेश की जरूरत हो उसको पूरा किया जाय और अगर गवर्नमेंट को पहले खर्च करने की जरूरत है तो गवर्नमेंट खर्च कर दे। कुछ टेलीफोन इक्सचेन्ज के बारे में कहा गया जिसकी बाबत फरमाया गया कि कल उसकी निस्बत बहस करेंगे, उसको मैं भी नहीं समझ सका। तो मैंने किसी एक स्कीम की निस्बत जनरल डिस्कशन में नहीं सुना है कि वह गैर जरूरी है। यह जरूर सुना कि यह गवर्नमेंट बेकार है और इस गवर्नमट की जितनी स्कीमें हैं वह बेकार हैं। तो बजट में भी लायें वह भी बेकार और सप्लीमेंट्री एस्टीमेंट में लायें वह भी बेकार। पार्टी हुकूमत ही बेकार रही। उसका तो कुछ कहना नहीं, लेकिन जो स्कीम दी गई है उनके मुताल्लिक अगर यह बयान किया जाता कि फलाँ स्कीम के ऊपर रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं थी, उस पर रुपया खर्च नहीं होना चाहिए था, जिस वक्त तुमने उस पर खर्च करना शुरू किया वह काम नहीं होना चाहिए था तो मैं समझता कि कोई बात ऐसी माकूल कही गयी जिसका अहसास गवर्नमेंट को करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि उसने गलती की। लेकिन शिकायत किसी ने नहीं बतलाई। जो इसकी चहारदीवारी के अन्दर बात आनी थी उसके मुताल्लिक कुछ न कह कर मेम्बरों ने उन बातों का जिक्र किया जो मौजूद न हो। तो यह बजट नहीं है। वक्तन फवतक्त गवर्नमेंट को इस स्टेट के इन्टरेस्ट में काम करना होता है, उनके ऊपर रुपया सर्फ करना होता है तो जिस वक्त जरूरत पड़ी हुक्म दे दिया और खर्चा हो गया। बाद को जो मजमुई रकम हुई वह लाकर रख दी।

दूसरी बात यह कि एक साहब ने कहा कि वह जो पिछले साल बजट आया था जुलाई के महीने में उसका कंटिन्जेन्ट फंड का रुपया है। मालूम है सबको कि बजट मार्च के महीने में नहीं पेश हुआ। यहाँ बजट तो जुलाई और अगस्त महीने में पेश हुआ है। ३१ जुलाई तक शायद पास हुआ या दो तीन दिन अगस्त के भी हो गये तब पास हुआ। तो जिस वक्त पास होने का वक्त था उस वक्त बजट नहीं पास हुआ बल्कि उस वक्त जो पास हुआ वह वोट आन एकाउन्ट पास हुआ जिसमें चार महीने का खर्चा ले लिया गया। अब सोचा जाय इस बात को कि वह जो प्राविजन कॉंस्टीट्यूशन के अन्दर रखा हुआ है वह इसलिये रखा हुआ है कि काम चलाने के वास्ते उस वक्त जबकि एक लेजिस्लेचर जा रहा हो और दूसरा नया लेजिस्लेचर आ रहा हो, उस पुराने लेजिस्लेचर से काम नहीं लेना चाहिए कि वह अपने खत्म होने के बाद के जमाने के लिये कोई बजट पास कर जाय, कोई रुपया कायम कर जाय और आने वालों की जो जिम्मेदारी है वह अपनी उस जिम्मेदारी को पूरीतौर पर न कर सकें। इसलिये छोड़ दो उसको और उससे थोड़े दिनों के लिये काम चलाऊ पैसा ले करके रख लो। तो वह तो हमने उस वक्त उतना काम चलाऊ पैसा ले लिया। उसके बाद हमारे सामने ऐसी स्कीम्स आयीं जो कि इस स्टेट के लिये जरूरी थीं। उनको चलाने के लिये हमने कॉंटिनजेंट फंड से रुपया दिया तो हमने क्या गजब किया। यह रुपया सब वही है

कि जो मार्च का बजट खत्म होने और जुलाई में जो बजट पेश हुआ है उसके बीच के जमाने में गवर्नमेंट ने मन्जूरियाँ दी हैं। जो फाइनेन्स कमेटी के मेम्बर्स हैं उनको मालूम है कि यह उन्होंने कितने दिन हुए जब पास किया। आज तो यह अक्तूबर में पेश हो रहा है लेकिन फाइनेन्स कमेटी के जो इस हाउस के मेम्बर्स हैं वह जानते हैं कि यह कब पास हो चुका था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अगस्त के शुरू हफ्ते में शायद छठीं तारीख के फाइनेन्स कमेटी के मेम्बर्स के सामने यह पेश हुआ और उन्होंने इसको पास किया। तो यह सारा मामला उस जमाने का है। जो इस पर एतराज किये गये उनको फाइनेन्स प्वाइन्ट आफ व्यू से एतराज नहीं कहा जा सकता। और बातें जो कही गयीं मेरे नजदीक वह गैर मुताल्लिक थीं। बहस में मैं इसलिये नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं यह पोजीशन नहीं रखता कि मैं किसी के कहे हुए को गैर मुताल्लिक कहूं। दूसरे मेरे कहे हुए को भी गैर मुताल्लिक कह सकते हैं। मैं इसका जज नहीं हूं, मैं इसका फैसला नहीं देता लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि जो बातें और कही गयी हैं उनका जवाब देना बिल्कुल गैर ज रूरी है, इसलिये कि यह बातें आज ही नहीं कही गयीं कितनी द फा कही जा चुकीं और जो आगे मौके आयेंगे उन पर कई दफा फिर कही जायेंगी। मैं पहले कुछ जवाब दे चुका हूंगा एक दो दफा और आगे को भी जबाव दे दूंगा बजाय इसके कि इस वक्त शाम के वक्त साढ़े चार बजे पाँच बजे के करीब इस हाउस को बैठने की तकलीफ दूं और फिर उस लम्बे किस्से को छेड़ूं और उसको दोहराऊं मेम्बरान की दिलचस्पी के लिये जो उससे दिलचस्पी रखते हैं। हर शख्स को मैं जानता हूं कि उन बातों से दिलचस्पी नहीं रखता। इसलिये मैं नहीं चाहता कि उस बात को कहूं लेकिन एक दो बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं कि कुछ गलतफहमी है। उस गलतफहमी को दूर करने के वास्ते मैं चाहता हूं कि जरा सा मैं कुछ अर्ज कर दूं। एक बात वह जो थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्यूनिसिपल बोर्ड्स के एलेक्शन की बाबत उसकी बाबत तो मिनिस्टर साहब ने हाउस के सामने कह दिया है।

वह यह है कि बिहार ने १४ करोड़ रुपया कहतजदों पर खर्च किया और यू० पी० ने उसके मुक़ाबिले में ६२ लाख रुपया खर्च किया। अगर मैं सही समझा तो एक साहब ने उधर से यह कहा। अगर मैं ग़लत हूं तो वह मुझे बता देंगे।

श्री राजनारायण--स्पष्ट नहीं हो रही है आपकी बातें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं यह कह रहा था कि उधर से एक साहब ने अपनी तक़रीर में यह इरशाद फरमाया था कि यहाँ की गवर्नमेंट की कम हिम्मती दिखलाते हुये कि बिहार ने कहतवालों के ऊपर १४ करोड़ रुपये खर्च किये और यू० पी० ने ६२ लाख रुपये खर्च किये। राज नारायण साहब ने कहा था अपनी तक़रीर में।

अध्यक्ष--जी नहीं, और किसी माननीय सदस्य ने कहा था। मैं समझता हूं माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने कहा था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--फैमीन रिलीफ़ के लिये खर्च किया है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--तो हम यू० पी० के फैमीन रिलीफ के लिये जो हर साल खर्च करते हैं वह सब जोड़ कर बता दें तो न जाने कितना हो जाय। इस साल के खर्च से दूसरे का मुक़ाबिला कर सकते हैं लेकिन पिछले जमाने में जो हमने खाया पिया है वह भी जोड़ा जायं तब तो बात ही दूसरी हो जायगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल--इसी साल बिहार ने १४ करोड़ रुपया खर्च किया है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--तो बजट मेरे पास है। मैं उन्हें दावत देता हूं कि यह बिलकुल ग़लत है। अगर वह आ कर जानना चाहेंगे तो मैं उनको दिखला दूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यू० पी० में क्या खर्च हुआ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अब मैं क्या बतलाऊं उनको कि जो मुझ से ले भी लें, लिख कर भी बतला दूं, जबानी भी बतला दूं और फिर भी न जानें। कहाँ तक बतलाऊं! हम जो खर्च करते हैं वह सब बजट में मौजूद है। अब यह सप्लीमेंटरी बजट भी आ गया। जो

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

कुछ आइन्दा खर्च करेंगे वह अगले बजट में आ जायगा। खैर, यह तो सब मुक़ामी बातें थीं। ये बिलकुल ग़ैर जरूरी हैं और माफ़ी चाहता हूं। सिर्फ इतनी बात अर्ज कर देता हूं कि दो एक साहबान ने कुछ बातों का जिक्र किया है। उनको मैंने सुना है और वे मेरे पास नोटेड हैं। मैं उनके मुताल्लिक़ जो कुछ भी मुनासिब हो सकता है वह करूंगा।

श्री राजाराम के त्याग-पत्र देने से १९५२-५३ के लिये वित्त समिति में रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम

अध्यक्ष---मैं दो एक सूचना देता हूं। माननीय राजाराम जी ने वित्तीय वर्ष १९५२-५३ की वित्त समिति से त्यागपत्र दे दिया है। इस प्रकार इस समिति में एक स्थान रिक्त हो गया है। उसकी पूर्ति के लिये मैं निम्नलिखित कार्यक्रम रखता हूं। नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय ९ अक्तूबर, सन् १९५२ को ३ बजे दिन तक। नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ९ अक्तूबर सन् १९५२ को ४ बजे तक। नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि ११ अक्तूबर, १९५२ को ३ बजे तक। निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो एकलसंक्रमणीय मत द्वारा विधान वाचनालय में १३ अक्तूबर, सन् १९५२ को ११ बजे से ४ बजे तक।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली स्वीकृति के संबंध में सूचना

अध्यक्ष--दूसरी सूचना यह देना चाहता हूं कि विधान परिषद् में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली में जो संशोधन सरकार द्वारा प्रस्तावित हुये थे ये वही थे जो विधान सभा स्वीकार कर चुकी थी, विधान परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं। यह सूचना मैं सदन को देना चाहता हूं। इस तरह से जो नियम हैं वे दोनों सदनों से स्वीकृत हुये।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
६ अक्तूबर, १९५२।

नत्थी 'क'

(देखिए ६ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

पद का नाम	कलेक्टरी			दीवानी कचेहरी		
	हरिजन वर्ग की संख्या	गैरहरिजन वर्ग की संख्या	कुल योग	हरिजन वर्ग की संख्या	गैरहरिजन वर्ग की संख्या	कुल योग
पेशकार	..	११	११	..	८	८
अहलमद	..	२५	२५	..	१९	१९
चपरासी	१४	१८८	२०२	५	८१	८६

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिए ६ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

आचार्य विनोबा भावे को ३० जून, १९५२ तक भूदान यज्ञ में दान दी हुई भूमि का ब्यौरा

जिला	दान में दी हुई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	जिला	दान में दी हुई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)
देहरादून ..	७०९·१५	सहारनपुर ..	३८३·१६५
मुजफ्फरनगर ..	३४१·५५	मेरठ ..	४७३·५०
बुलन्दशहर ..	१५६५·७३	अलीगढ़ ..	१९९९·१८
मथुरा ..	..	आगरा ..	८६७·१८७५
मैनपुरी ..	८१७·९४	एटा ..	६११४·००
बरेली ..	३१५·००	बिजनौर ..	३०४·००
बदायूं ..	४७४·६४	मुरादाबाद ..	४९·४१
शाहजहाँपुर ..	३३४६·६८	पीलीभीत ..	१०८९७·९७
रामपुर ..	१२५·००	फर्रुखाबाद .	५·१८
इटावा ..	२०३१·०१	कानपुर ..	१२३९४·७२
फतेहपुर ..	९५४९·४२	इलाहाबाद ..	२५३००·९
बाँदा ..	१९०५८·३१	हमीरपुर ..	६९१८·२२
झांसी ..	१५३१·८४	जालौन ..	९५६०·५३
बनारस ..	८८७·१८	मिर्जापुर ..	१०३५८·००
जौनपुर ..	३५९८·००	गाजीपुर ..	८३५·३५
बलिया ..	३८८३·३४	गोरखपुर ..	३७३·८६
बस्ती ..	४४४·००	आजमगढ़ ..	७७९·४३५
देवरिया ..	४३५·००	नैनीताल ..	८८६·००

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

जिला	दान में दी हुई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	जिला	दान में दी हुई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
अलमोड़ा	.. ..	गढ़वाल	.. ..
टेहरी–गढ़वाल	.. ..	लखनऊ	.. ९५६·३९२
उन्नाव	.. ३२५९·६७	रायबरेली	.. १६४५८·६२
सीतापुर	.. ८००·००	हरदोई	.. २४३८·८९
खीरी	.. १३९२·०३	फैजाबाद	.. २२४८·००
गोंडा	.. ६०६२·०२	बहराइच	.. १२७७·८९०
सुल्तानपुर	.. १७३६३·८८	प्रतापगढ़	.. ६५८६·४६
बाराबंकी	.. २१८६·६४		

अखिल भारतीय पुरातत्त्व संघ

नत्थी 'ग'

(देखिए ६ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

फार्मों का नाम, स्थान और उनके क्षेत्रफल की तालिका

क्रम-संख्या	जिला	कृषि फार्म का नाम	क्षेत्रफल	
			कुल क्षेत्रफल	क्षेत्रफल, जिसमें खेती होती है
	सीड और डिमान्स्ट्रेशन फार्म—			
१	अलीगढ़ ..	कलाई फार्म ..	१४२·९	१२५·७१४
२	बरेली ..	नवाबगंज ..	११९·८१८	१०३·१६
३	बनारस ..	बनारस ..	७७·६	६८·२५
४	बनारस ..	चंदौली ..	३३·३४	३१·०
५	बहराइच ..	बहराइच ..	९९·५२	८८·५
६	बाँदा ..	अतर्रा ..	१७१·०	१४३·३
७	इटावा ..	इटावा ..	१०१·२८	७१·३५
८	फैजाबाद ..	मसोदा ..	२०६·२५	१८१·७२
९	फर्रुखाबाद ..	गुरसहायगंज ..	३७·०	३१·३६
१०	फर्रुखाबाद ..	सरायमीराँ ..	३६·०	२२·९७
११	हरदोई ..	हरदोई ..	५४·८८५	४९·२८७
१२	हमीरपुर ..	चरखारी ..	९१·२२	५४·४
१३	कानपुर ..	पूरा ..	६३·९४	५१·६
१४	मेरठ ..	मेरठ ..	७६·०	६३·०
१५	मैनपुरी ..	मैनपुरी ..	५२·८१	४५·६३
१६	प्रतापगढ़ ..	प्रतापगढ़ ..	९०·३३	७६·८
१७	रामपुर ..	तूरखेड़ा ..	८४·०८	८२·१२

विधान सभा पुस्तकालय

क्रम-संख्या	जिला	कृषि फार्म का नाम	क्षेत्रफल	
			कुल क्षेत्रफल	क्षेत्रफल जिसमें खेती होती है
१८	सहारनपुर	.. धनौरी	.. ५८·१५	२३·९५
१९	सीतापुर	.. लालपुर	.. ५२·६५	४६·७७
२०	झांसी	.. अमरोख	.. १०७	नया फार्म है
	माडेल फार्म —			
२१	बाराबंकी	.. पलरी फार्म	.. ३१·५९	२७·३५
२२	बाराबंकी	.. हैदरगढ़	.. ४६·४७	४२·४३
२३	शाहजहाँपुर	.. निगोही	.. ३४·६	३२·०६
२४	उन्नाव	.. उन्नाव	.. ४२·७	३७·०५
	सीड और डिमान्सट्रेशन प्लाट—			
२५	बाराबंकी	.. लझवर	.. ८·७५	८·२५
२६	बलिया	.. बलिया	.. १५·१५	१४·०
२७	गोरखपुर	.. बेलीपुर	.. २३·५६	२२·६१
२८	रायबरेली	.. टरनर	.. ११·६५	९·७१२
२९	बाराबंकी	.. रुसौली	.. ११·०	७·२५
	हारटीकल्चर के फार्म—			
३०	अलमोड़ा	.. हवालबाग फार्म	.. १७०·०	३०·०
३१	मिर्जापुर	.. बिसुन्दरपुर प्लाट	.. १३·९	१२·७९
३२	गढ़वाल	.. श्रीनगर	.. १२·२५	१२·२५
३३	गढ़वाल	.. ग्वालडम	.. २५·५	११·०
३४	गढ़वाल	.. पारी	.. ३·७५	३·७५

विधान सभा

क्रम-संख्या	जिला	कृषि फार्म का नाम	क्षेत्रफल	
			कुल क्षेत्रफल	क्षेत्रफल जिसमें खेती होती है
	स्वायल कंजरवेशन के फार्म--			
३५	लखनऊ ..	रहमान खेड़ा फार्म	११४१·२२	३००·०
३६	लखनऊ ..	रहीमाबाद ..	१६२३·२७	८००·०
३७	लखनऊ ..	कटयार ..	२६११·५९	६००·०
३८	हरदोई ..	ढिकौली ..	३५७२·४४	१५००·०
	रिसर्च के फार्म--			
३९	हमीरपुर ..	बलाताल फार्म ..	५८४·८	५३·७
४०	मिर्जापुर ..	टिसूही ..	७८·६६	६५·५०
४१	बदायूं ..	किसरवा ..	१९·५३	१८·४
४२	अलमोड़ा ..	तारीखेत ..	१७८·७५	१३·२३
४३	बुलन्दशहर ..	कॉटन रिसर्च ..	२४·९७	२१·३४
४४	बिजनौर ..	राइस रिसर्च नगीना ..	७६·७४७	६२·७६
४५	फर्रुखाबाद ..	रिसर्च ..	१०·२९	१८·२५
४६	गोरखपुर ..	शूगरकेन रिसर्च ..	११०·०७	९३·६३
४७	कानपुर ..	बुटैनीकल ..	९७·१९	८०·४६
४८	कानपुर ..	कल्यानपुर ..	२५७·८०७	२२१·५४५
४९	मथुरा ..	रायाबाटन ..	१६५·०	१३७.०
५०	मुजफ्फरनगर ..	शूगर केन ..	१०५·०	८७·२५८
५१	शाहजहाँपुर ..	शूगर केन ..	१८९·९२	१५४·९६

क्रम-सं०	जिला	कृषि फार्म का नाम	क्षेत्रफल	
			कुल क्षेत्रफल	क्षेत्रफल जिसमें खेती होती है
		इन्सट्रक्शनल फार्म--		
५२	अलमोड़ा ..	हवालबाग स्कूल फार्म ..	१०८·९०	१०८·९०
५३	बुलन्दशहर ..	स्कूल फार्म ..	७४·७५	६८·५
५४	गोरखपुर ..	स्कूल फार्म ..	५३·०	५१·८६
५५	झांसी ..	चिरगाँव स्कूल फार्म ..	३७·६१	३७·६१
५६	कानपुर ..	कालेज फार्म ..	६७·४१	४७·४७

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिए ६ अक्तूबर, १९५२ के ताराँकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

उत्तर प्रदेश के राजकीय डेरी फार्म की सूची

१--भद्रुक दुग्धशाला, लखनऊ ।
२--सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ ।
३--डिस्ट्रिक्ट डेरी डिमान्सट्रेशन फार्म, मथुरा
४--नागला डेरी फार्म, नैनीताल तराई ।
५--गंगा खादर डेरी फार्म, मेरठ ।
६--कृषि महाविद्यालय, नवाबगंज, कानपुर ।
७--कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर ।
८--कृषि विद्यालय, गोरखपुर ।
९--कृषि विद्यालय, चिरगाँव, झांसी ।
१०--भरारी फार्म, झांसी ।
११--हेमपुर फार्म, नैनीताल ।
१२--माधुरी कुंड फार्म, मथुरा ।
१३--मंझरा फार्म, लखीमपुर खेरी ।
१४--बाबूगढ़ फार्म, मेरठ ।
१५--आराजी लाइन्स, बनारस ।

नोट :--क्रम-संख्या १० से १५ तक वास्तविक में डेरियाँ नहीं है ।

यह मैकेनाईज्ड स्टेट फार्म हैं, जहाँ कैटिल ब्रीडिंग (Cattle Breeding) के सिलसिले में जो दूध होता है उसकी बिक्री होती है । इन फार्मों पर भी शैड बने हुए हैं, परन्तु पर्याप्त शेड केवल बाबूगढ़, माधुरी कुंड तथा आराजी लाइन्स फार्म पर ही हैं ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २६ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२ की प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) का प्रतिवेदन

जमींदारों का ऋण कम करने का विधेयक, १९५२ विचारार्थ प्रवर समिति को सौंपा गया। उसके सदस्य हम लोगों ने, जिनके हस्ताक्षर नीचे हैं, विधेयक पर विचार कर लिया है और हम संशोधित विधेयक के साथ, जो संलग्न है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

२—समिति ने अपनी बैठक विधान भवन में ४ अक्तूबर, १९५२ को की और विधेयक पर सामान्य रूप से विचार किया और उसके खंडों पर अलग-अलग विचार किया। ५ अक्तूबर, १९५२ को रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए हमने अपनी बैठक की।

३—हमारे विचार से इस विधेयक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक हैं :—

(१) हमारा यह मत है कि कोर्ट आफ़ वार्ड्स के आपसी ऋणों पर, अर्थात् ऐसे ऋणों पर जो कोर्ट आफ वार्ड्स के अधिरक्षण में किसी इस्टेट ने उसी प्रकार की किसी दूसरी इस्टेट को ऐसे समय में दिये हों, जब कि दोनों इस्टेट्स कोर्ट आफ़ वार्ड्स के अधिरक्षण में थीं, यह विधेयक लागू न किया जाय।

(२) हमने सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुसूची १ और २ में किये हैं। अनुसूची १ और २ में दिये गये सूत्रों (Formulae) की जांच से यह ज्ञात हुआ कि छोटे जमींदारों पर उनका प्रभाव हानिकर होगा और सब जिलों में इसका परिणाम न्यायसंगत और एकसा नहीं होगा। दृष्टान्त के लिए, एक छोटे जमींदार को जिसे पक्की निकासी का अधिक गुणक मिलेगा, जैसा कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन पुनर्वासन अनुदान के संबंध में होगा, अपने ऋण का एक बड़े जमींदार की अपेक्षा अधिक अनुपात होगा। इसके साथ ही बहुत से पूर्वी जिलों के जमींदारों द्वारा देय ऋण पश्चिमी जिलों के जमींदारों की अपेक्षा अधिक अनुपात में कम हो जायगा, क्योंकि इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के अधीन गुणक पश्चिमी जिलों की अपेक्षा पूर्वी जिलों में बहुत अधिक थे। बिजनौर, बदायूं और सहारनपुर के कुछ भागों में इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के अधीन गुणक इतना कम है कि यथार्थ में ऋण में कोई कमी नहीं होती। ऐसा ज्ञात होता है कि इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के गुणक किसी युक्तिपूर्ण आधार पर नहीं निर्धारित किये गये थे। इसलिए हमने यह निश्चय किया है कि गणना करने में पुनर्वासन अनुदान के गुणक पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाय और इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट का गुणक किसी दशा में भी ४० से ऊपर न रक्खा जाय। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप आनुषंगिक संशोधन अनुसूची १ के मद १, ३ और ४ में कर दिये गये हैं और अनुसूची २ फिर से बना दी गयी है।

(३) वर्तमान खंड ६ अपूर्ण सा है। इसलिए यह निश्चय किया गया है कि वर्तमान उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाये :—

"(२) उपधारा १ के खंड (ग) और (घ) के अनुसार तैयार की गयी डिक्री में, बन्धक किये गये आस्थानों के सम्बन्ध में प्रत्येक बन्धककर्त्ता के विषय में कम की गयी धनराशि भी अलग-अलग दिखायी जायेगी।"

(४) खंड २ (घ) में दी हुई "ऋण" की वर्तमान परिभाषा इतनी व्यापक थी, जिसके अन्तर्गत ऐसे ऋण भी हो सकते थे जो निहित होने के दिनांक के बाद भी लिये गये हों। विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि केवल वे ही ऋण कम किये जायें, जिनका अस्तित्व १ जुलाई, १९५२ से पहले था। इसलिए यह निश्चय किया गया है कि खंड २ के उपखंड (घ) में शब्द "अन्तर्गत" और "निम्नलिखित" के बीच शब्द "ऊपर कहा गया कोई ऋण (advance) जिसका १ जुलाई, १९५२ को या उसके बाद अस्तित्व हुआ हो अथवा" बढ़ा दिये जायें। खंड ३ और ४ में कुछ आनुषंगिक संशोधन भी कर दिये गये हैं।

४—यह विधेयक दिनांक १ सितम्बर, १९५२ के असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया था। अब हमारा मत है कि जैसा यह विधेयक संशोधित किया गया है उसे गजट में फिर से प्रकाशित किया जाये।

चरण सिंह
द्वारका प्रसाद मौर्य
डाल चन्द
अक्षयबर सिंह
कालीचरण टण्डन
नन्द कुमार देव वाशिष्ठ
*भगवान सहाय
बाबू राम गुप्त
राजाराम मिश्र
कालिका सिंह
लक्ष्मण राव क़ादन
*निहालउद्दीन
तेज बहादुर सिंह

श्री भगवान सहाय की असहमति टिप्पणी

प्रवर समिति की रिपोर्ट से मैं नीचे लिखे विषयों पर विरोध करता हूं --

(१) इस विधेयक में क़र्ज़ों को कम करने का मुख्य उद्देश्य है और इसीलिए हर ऋणदाता का दिया क़र्ज़ कम किया जा रहा है। कोई वजह समझ में नहीं आती कि जब व्यक्तिगत ऋणदाताओं के दिये कर्ज कम करने का उसूल हमने मान लिया तब ऐसे ऋणदाता जिन्होंने संगठित होकर एक बैंक की शक्ल हासिल कर ली है, उनको इस विधेयक से बांधा न जाय, यानी उनके दिये हुए क़र्ज़ों पर यह विधेयक लागू न हो।

(२) उसूलन मैं इस बात का हामी हूं कि किसी वजहों के होते हुए भी कोई आदमी अपने रहने के मकान से न बंचित किया जाय। हर मनुष्य को हक़ होना चाहिये कि उसका खुद रहने का मकान क़र्ज़दाता के चंगुल से बरी रहे। इन मकानों को हर हालत में बचाने के लिए इस विधेयक में कोई मद नहीं है।

(३) किसी भी हालत में पुनर्वासन अनुदान किसी भी क़र्ज़े में कुर्क न हो सके या न उससे किसी तरह से भी कोई क़र्ज़ वसूल हो सके। ऐसा करने से हम उस उद्देश्य को क़ायम रखते हैं जो उद्देश्य लेकर हमने पुनर्वासन दिया था।

हम यह समझते हैं कि जो विरोध हमने दिये हैं, उनमें हम जबरदस्त क़र्ज़दाता के मुक़ाबिले में कमजोर पहिले के जमींदार की मदद कर रहे हैं।

५-१०-५२ भगवान सहाय।

*असहमति टिप्पणी सहित।

श्री निहालुद्दीन की असहमति टिप्पणी

नं० १—मुझे मसर्रत है कि बिल के मुताल्लिक़ ज्यादा से ज्यादा इत्तिफ़ाक़ राय हो सका, लेकिन चन्द चीजें ऐसी थीं जिन पर अक्सरियत मेम्बरान की रजामन्दी न हो सकी, जिसके मुताल्लिक मैं अपने इख्तिलाफ़ का नोट पेश करता हूं।

नं० २—मसविदे क़ानून के अग़राज़ व मक़ासिद में अनोज़ जमींदारी विनाश की रिपोर्ट में इसका इजहार किया गया है कि क़र्ज़े कम किये जायंगे, इस निस्बत से जिस निस्बत से कि जमींदारी की क़ीमत खात्मे जमींदारी के कम हो गयी है। मेरी तजवीज थी कि दफ़ा २ की उपधारा (२) में तरमीम की जाय, वह यह कि मौजूदा क़ानून तमाम उत्तर प्रदेश पर लागू न हो, बल्कि उस हिस्से पर जिस पर कि जमींदारी विनाश का क़ानून लागू है। मसविदे क़ानून का मक़सद भी यही है। मेरी राय है कि यह नुक्स रफ़ा किया जाय और इस दफ़ा में तरमीम इस तौर से की जाय कि मौजूदा ऐक्ट सिर्फ़ उस हिस्से यू० पी० में लागू होगा, जहां कि जमींदारी विनाश ऐक्ट लागू है।

नं० ३—धारा २ की उपधारा 'डी' में मरकजी सरकार, सूबाई सरकार, बैंक, कोर्ट आफ़ वार्ड्स वगैरह का अपवाद किया गया है कि क़र्ज़ों में कोई कमी न की जाय। उसूलन मुझे इससे इख्तिलाफ है और मेरे नजदीक़ यह अपवाद बिल से निकाल दिये जायं।

नं० ४—दफ़ा ३ और ४ के अन्तर्गत डिग्री और क़र्ज़ों की जो जांच पड़ताल होगी, उनके इजरा में मेरे नजदीक़ जमींदार का एक मकान नाक़ाबिले नीलाम और कुर्की होना चाहिए, बिला लिहाज इसके कि वह जायदाद मरहूना है या नहीं। यह आसानी उत्तर प्रदेश में दफ़ा ६० के मातहत जाब्ता दीवानी में दी हुई है और मजीद बरां मक़रूज़ जमींदार का एक मकान इन्कम्बर्ड इस्टेट ऐक्ट के मातहत भी नाक़ाबिले नीलाम है, अगर वह जायदाद मरहूना नहीं है। अदालतों को किसी क़दर दफ़ा ६० जाब्ता दीवानी की तावील में ग़लतफ़हमी पैदा होने का इमकान है, अगर हम सराहत के साथ इस ऐक्ट में यह जाहिर न करें कि वही आसानियां मक़रूज़ जमींदार को मौजूदा ऐक्ट के मातहत हासिल हैं, जो जाब्ता दीवानी में हासिल है।

नं० ५—मौजूदा मसविदे में कोई कमी ग़ैर मरहूना क़र्ज़ाजात में नहीं है। मेरे नजदीक बिला रेहन के जो क़र्ज़े हैं, उनमें कमी होनी चाहिए।

५-१०-५२ निहालुद्दीन।

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया है। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों "[ ]" में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिन जमींदारों के आस्थान हस्तगत किये गये है, उनके ऋणों को कम करने के लिए

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

यह आवश्यक है कि उन जमींदारों के ऋणों को कम करने (scaling down) की व्यवस्था की जाय जिनके आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत किये जा चुके हैं,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :—

(क) "देय धनराशि (amount due)" का तात्पर्य उस धनराशि से है जो, यदि यह अधिनियम पारित न होता तो देय होती ;

ऐक्ट १०, १८९७।

(कक) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ है जो जनरल क्लासेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ में "सेंट्रल गवर्नमेंट" को दिया गया है ;

(ककक) "कोर्ट आफ वार्ड्स" का तात्पर्य यू० पी० कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ के अधीन संघटित कोर्ट आफ वार्ड्स से है।

ऐक्ट ५, १९०८।

(ख) "डिक्री" का वही अर्थ है, जो उसे कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है ;

(ग) "डिक्री जिस के विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होगा" का तात्पर्य ऐसी डिक्री से है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा पश्चात् ऐसे वाद में दी गई हो जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो (a suit to which this Act applies);

(घ) "ऋण (debt)" का तात्पर्य किसी भी ऐसे ऋण (advance) से है जो नकद या वस्तु के रूप में दिया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा संव्यवहार (transaction) है जो वास्तव में (in substance) ऋण के रूप में हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऊपर कहा गया कोई ऐसा ऋण (advance) जिसका १ जुलाई, १९५२

को या उसके बाद अस्तित्व हुआ हो, अथवा निम्नलिखित को देय ऋण नहीं है —

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार;
(२) स्थानिक अधिकारिकी (local authority);
(३) शेड्यूल्ड बैंक ;
(४) सहकारी संस्था (co-operative society), तथा
(५) वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) जो केवल दानोत्तर अथवा धर्मोत्तर हो ।
(६) संरक्षित व्यक्ति (Ward), यदि ऋण उसकी ओर से कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा किसी संरक्षित व्यक्ति को दिया गया हो ।

(ङ) "दानोत्तर", "आस्थान", "प्रतिकर", "पुनर्वासन अनुदान" तथा "धर्मोत्तर" का वही अर्थ है जो उन्हें क्रमशः १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में दिया गया है और प्रतिकर के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा २९ के अधीन देय अन्तरिम प्रतिकर भी है । उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ ।

(च) "स्थानिक अधिकारिकी" के अन्तर्गत कैन्टूनमेंट बोर्ड भी है ;

(छ) "बन्धक" का अपने अनुरूप पदों सहित वही अर्थ होगा जो ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में 'mortagage' को दिया गया है और उसके अन्तर्गत ऐसा भार भी है जिसकी परिभाषा 'charge' के रूप में उक्त ऐक्ट की धारा १०० में की गई है ;

(ज) "बन्धककर्ता (mortgagor)" —
(१) के अन्तर्गत यदि बन्धक किसी संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक अथवा कर्त्ता के रूप में अथवा प्रतिनिधि के रूप में निष्पादित किया गया (executed) हो, तो सभी सहभागी (co-parceners) अथवा वे व्यक्ति जिनका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया हैं, भी हैं; और
(२) का तात्पर्य, यदि बन्धककर्त्ता के अधिकार, आगम तथा स्वत्व फरीकैन (parties) के कृत्य अथवा विधि के व्यापार (operation of law) से, दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में संक्रामित हो गये हों, तो ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से है ;

(झ) किसी आस्थान में मातहतदार (under proprietor), अदना मालिक (sub-proprietor), ठेकेदार, अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh) या दवामी काश्तकार (permanent tenure holder) के स्वत्व के बन्धक के सम्बन्ध में "स्वामी (proprietor)" का तात्पर्य धारा ३ और ४ और अनुसूची १ में, उक्त आस्थान के, यथास्थिति, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, पट्टेदार इस्तमरारी या दवामी, या दवामी काश्तकार से है ;

(ञ) "शेड्यूल्ड बैंक" का वही अर्थ है जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ में उसे दिया गया है ;

(ञञ) "सुरक्षित ऋण (secured debt)" का तात्पर्य किसी आस्थान के बन्धक द्वारा अथवा किसी आस्थान तथा दूसरी अचल सम्पत्ति द्वारा सुरक्षित ऋण से है ;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ; [और]

(ठ) "वाद जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है" का तात्पर्य किसी ऋण से सम्बद्ध वाद अथवा व्यवहार (suit or proceeding) से है चाहे उक्त ऋण सुरक्षित हो अथवा अन्यथा ; और

(ठठ) "संरक्षित व्यक्ति" का अर्थ वही होगा जो शब्द "वार्ड (Ward)" का यू० पी० कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ की धारा ३ की उपधारा (३) में किया गया है ।

डिक्री देते समय ऋण का कम करना ।

३—(१) किसी विधि अथवा अनुबन्ध (agreement) अथवा लेख्य (document) में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो, न्यायालय, देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

ऐक्ट १, १९५१

(२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति (mortgaged property) में केवल आस्थान मात्र हो और उक्त आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो तो न्यायालय ,

(क) यदि एक ही बन्धककर्त्ता हो, जो ३० जून, १९५२ ई०, को उक्त स्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था, अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र (formula) के अनुसार देय धनराशि को कम कर देगा ;

(ख) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों और उनमें से सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ ई० को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी थे तो

(१) यदि बन्धकपत्र (mortgage deed) में ऋण के लिए उनका अपना-अपना उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किया गया है, उनके अपने दायित्व के अनुपात में (in the ratio of their liability) देय धनराशि को उक्त प्रकार के अधिकारी बन्धककर्त्ताओं में विभाजित कर देगा, अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अपने-अपने अंशों के अनुपात में; और

(२) देय धनराशि के उक्त प्रकार विभाजित होने के बाद प्रत्येक बन्धककर्त्ता के लिए विभाजित धनराशि को अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार कम कर देगा ।

(३) जब बन्धक की गई सम्पत्ति अंशतः उक्त प्रकार का आस्थान हो और अंशतः उक्त प्रकार के आस्थान से भिन्न दूसरी सम्पत्ति हो, तो न्यायालय दोनों सम्पत्तियों पर देय धनराशि को ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की

धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार अलग-अलग विभाजित करेगा, मानो वे सम्पत्तियां दो ऐसे भिन्न व्यक्तियों की थीं जिनका पृथक तथा भिन्न स्वत्वाधिकार रहा हो, और --

(क) देय धनराशि के उक्त प्रकार से विभाजित होने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही करेगा --

(१) यदि केवल एक ही बन्धककर्त्ता था जो ३० जून, १९५२ को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था तो उपधारा (२) के खंड (क) में लिखी रीति के अनुसार आस्थान द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा मानो वह उक्त आस्थान पर भारित (charged) ऋण हो, तथा

(२) यदि दो या अधिक बन्धककर्त्ता हों और उनमें से सभी या एक से अधिक बन्धक किये हुये आस्थान के ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो यदि बन्धक पत्र में उनका अपना अपना उत्तर-दायित्व निर्दिष्ट हो तो उनके दायित्व के अनुपात में आस्थान द्वारा देय धनराशि को बन्धककर्त्ताओं में विभाजित कर देगा अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अंशों के अनुपात में; और

(ख) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो न्यायालय अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्त्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा।

डिक्री देने के पश्चात ऋण न्यून करने का अधिकार।

४--(१) कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय जिसने सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होगा, दी हो, डिक्रीदार (decree-holder) अथवा वाद ऋणी (judgment debtor) द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर आगे बताई हुई रीति के अनुसार कार्यवाही करेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

(२) यदि बन्धक की गयी संपत्ति जो डिक्री द्वारा भारित हो (charged under the decree), केवल आस्थान मात्र हो और उस आस्थान को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो तो, न्यायालय--

(क) यदि केवल एक ही ऐसा वाद ऋणी हो जिसे आस्थान के स्वामी होने का अधिकार प्राप्त हो, १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा और तब उसे अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार कम कर देगा;

(ख) यदि दो या दो से अधिक वाद ऋणी हों जिनमें सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ को बन्धक किये गये आस्थान के स्वामी होने का अधिकार रखते थे;

(i) १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा;

(ii) उक्त प्रकार अधिकार रखने वाले वाद ऋणियों के बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना अपना दायित्व निर्दिष्ट हो, उनके दायित्व के अनुपात से अन्यथा उक्त आस्थान में क्रमशः उनके अंशों के अनुपात से विभाजित करेगा, तथा,

(iii) जब देय धनराशि उक्त प्रकार से विभाजित हो जाय तो अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक वाद ऋणी के लिये धनराशि को कम कर देगा।

(३) यदि डिक्री द्वारा भारित संपत्ति अंशतः आस्थान हो और अंशतः आस्थान से भिन्न अन्य संपत्ति हो तो न्यायालय,

(क) १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि अवधारित करेगा और उसको ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार अलग अलग दोनों संपत्तियों पर विभाजित करेगा मानों कि डिक्री ऋण हो और वह दो संपत्तियां ऐसे दो व्यक्तियों की हों जिनका पृथक तथा भिन्न स्वत्वाधिकार हो, तथा

(ख) आस्थान के संबंध में देय धनराशि का हिसाब लगाये जाने के पश्चात् न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा:—

(i) यदि एक ही वाद ऋणी हो जो उक्त आस्थान का ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी था तो अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार उसे कम कर देगा,

(ii) यदि दो या अधिक वाद ऋणी हों और उनमें से सब या एक से अधिक उक्त आस्थान के ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो उनके बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना-अपना दायित्व निर्दिष्ट हो तो, उनके दायित्व के अनुपात में उक्त प्रकार विभाजित करेगा अन्यथा उनके अपने अपने अंशों के अनुसार, तथा

(iii) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्त्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा।

बन्धककर्त्ता अथवा वाद ऋणी को अलग-अलग इकाई समझा जायगा।

५—धारा ३ तथा ४ के प्रयोजनों के निमित्त प्रत्येक बन्धककर्त्ता अथवा वाद ऋणी जिसे इन धाराओं के अनुसार आस्थान पर अधिकार रहा हो, पृथक पृथक इकाई (unit) समझा जायगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति की दशा में कोई भी पिता पुंजातीय वंशानुक्रम में पुंसंतति (male lineal descendants in the male line of descent) सहित, जहां तक संयुक्त संपत्ति का संबंध है, यदि पिता १ जुलाई, १९५२ को जीवित था, एक इकाई समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—८ अगस्त, १९४६ को या इसके बाद कोई बटवारा होने पर भी, परिवार संयुक्त समझा जायगा।

कम किये गये धनराशि के लिये डिक्री

६—(१) देय धनराशि की धारा ३ के अधीन कम हो जाने पर न्यायालय निम्नलिखित की डिक्री देगा—

(क) उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन मामलों (cases) में इस प्रकार कम की गयी धनराशि के लिये,

(ख) उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन मामलों में ऐसी धन-राशि के लिये, जो उसके अधीन प्रत्येक बन्धककर्त्ता के लिये कम की गयी धनराशि के जोड़ (aggregate) के बराबर हो,

(ग) उक्त धारा की उप धारा (३) के खंड (क) के उपखंड (१) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिये जो, आस्थान से भिन्न अन्य संपत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखंड के अधीन कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो, तथा

(घ) उक्त उपधारा के खंड (क) के उपखंड (३) के अधीन मामलों में, ऐसी धनराशि के लिये जो आस्थान से भिन्न अन्य संपत्ति पर देय धनराशि के जोड़ तथा उक्त उपखंड के अधीन प्रत्येक बन्धककर्त्ता के लिये कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो,

[(२) उपधारा (१) में किसी भी बात का अर्थ इस प्रकार न लगाया जायगा अथवा न समझा जायगा जिससे कि उक्त उपधारा के खंड (ख) और (घ) में अभिदिष्ट कम की गयी धनराशि के लिये प्रत्येक बन्धककर्त्ता के विरुद्ध अलग अलग डिक्री देना आवश्यक हो।]

(२) उपधारा (१) के खंड (ग) और (घ) के अनुसार तैयार की गयी डिक्री में, बन्धक किये गये आस्थानों के संबंध में प्रत्येक बन्धककर्त्ता के विषय में कम की गयी धनराशि भी अलग अलग दिखायी जायगी।

डिक्री की अदायगी।

७—जब धारा ४ के उपबन्धों के अधीन और उसके अनुसार देय धनराशि कम कर दी जाय तो इस प्रकार कम की गयी डिक्री के संबंध में यह समझा जायगा कि सभी प्रयोजनों और अवसरों के लिये उसके कम किये हुए अंश का भुगतान हो चुका है।

प्रतिकर की धनराशि तथा पुनर्वासन अनुदान से ऋण वसूल किया जाना।

८—(१) किसी [संविदा,] अनुबन्ध लेख्य, अथवा समय विशेष पर प्रचलित विधि में ([contract] agreement, document or law for the time being in force) में कोई बात होते हुए भी सुरक्षित ऋण के संबंध में किसी एसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो,

(क) जहां तक बन्धक किये गये आस्थान के प्रतिकर का संबंध है, उक्त प्रतिकर की धनराशि की तीन चौथाई तक ही निष्पादित (execute) हो सकेगी, तथा

(ख) उक्त डिक्री या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, बन्धक किये हुए आस्थान के संबंध में देय पुनर्वासन अनुदान के विरुद्ध भी अनुदान के तीन चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी।

[(२) किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी किन्तु उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन, बन्धक किये हुए आस्थानों के संबंध में धारा ३ तथा ४ के अन्तर्गत कम की गयी धनराशि, वाद ऋणियों से, प्रतिकर तथा पुनर्वासन अनुदान में से लिये जाने से, भिन्न अन्य किसी रीति से, विधितः वसूल न की जा सकेगी।]

(२) किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी, किन्तु उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन, बन्धक किये हुए आस्थानों के संबंध में धारा ३ या ४ के अधीन यथास्थिति बन्धककर्त्ता या वादऋणी के विषय में की गयी धनराशि वैसे आस्थानों के संबंध में ऐसे बन्धककर्त्ता या वादऋणी को देय प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान में से ही विधिपूर्वक वसूल की जा सकेगी अन्यथा नहीं।

बन्धों के विरुद्ध असुरक्षित ऋण के संबंध में डिक्रियों का निष्पादन।

८—क सुरक्षित ऋण को छोड़ कर अन्य ऋण के संबद्ध कोई डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त हो, वाद-ऋणी को उसके आस्थान के विषय में प्रतिकर अथवा पुनर्वासन अनुदान के रूप में दिये गये बन्धों (bonds) की कुर्की या नीलाम द्वारा निष्पादित की जाय तो, डिक्री को निष्पादन करने वाला न्यायालय, किसी विधि में किसी बात के होते हुए, भी, अनुसूची २ में बताये हुए सूत्र के अनुसार अदायगी प्रमाणित कर देगा।

भरण-पोषण की वृत्ति

९—आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे गुजारा या भरण-पोषण की वृत्ति (Maintenance Allowance) की बकाया की वसूली की डिक्री या वादमें, जिनमें कोई भी आस्थान अकेले या अन्य संपत्ति सहित बन्धक किया गया हो, अथवा किसी विधि, डिक्री, अनुबंध (agreement) अथवा लेख्य के अन्तर्गत अन्य किसी प्रकार से भारित हो, उसी प्रकार लागू होंगे मानों गुजारा या भरण-पोषण की वृत्ति ऋण हो और धारा ३, ४ और ५ के प्रयोजनों के लिये इस प्रकार बन्धक की हुई या भारित सब अचल संपत्ति बंधक की हुई संपत्ति समझी जायगी।

स्पष्टीकरण:—पद " भरण-पोषण की वृत्ति (Maintenance Allowance)" के अन्तर्गत अवध स्टेट्स ऐक्ट, १८६९ की धारा २४ अथवा यू० पी० इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० की धारा १३ के अन्तर्गत "annuity (वार्षिक वृत्ति)" भी है।

नियम बनाने के अधिकार।

१०—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के निमित्त पूर्व प्रकाशन के बाद राज्य सरकार नियम बना सकती है।

अनुसूची १

१—धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट (referred to) ऋण की कमी के लिये सूत्र (formula)

$$\left[X = D \times \frac{8 + MRG}{ME} \right] \quad X = \frac{D \times 8}{ME}$$

२—उक्त सूत्र में—

(१) "X" का अभिप्राय धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट कम की गयी धनराशि से है।

(२) "D" का अभिप्राय—

(क) यदि बन्धककर्त्ता (mortgagor) या वाद-ऋणी (Judgment-Debtor) बन्धक किये हुए आस्थान के स्वामी के नाते इकाई के रूप में (in one unit) अधिकारी रहा हो, तो यथास्थिति निम्नलिखित में अभिदिष्ट धनराशि से है:

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (क), अथवा
(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (१), अथवा
(३) धारा ४ की उपधारा (२) का खंड (क), अथवा
(४) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (ख) का उपखंड (१), तथा

(ख) यदि उक्त बन्धककर्त्ता या वाद-ऋणी एक से अधिक हों तो यथास्थिति, निम्नलिखित में अभिदिष्ट प्रत्येक बन्धककर्त्ता या वाद-ऋणी की विभाजित धनराशि से है,

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) का उपखंड (१), अथवा
(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (२), अथवा
(३) धारा ४ की उपधारा (२) और (३) के खंड (ख) के उपखंड (२)।

[३-- "ME" का अभिप्राय यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन आस्थानों के मूल्य अवधारण के लिये गुणक (मल्टीपिल) से है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि "ME", 8+MRG से कम हो तो "ME" के बारे में यह समझा जायगा कि वह 8+MRG के बराबर है।]

(३) "ME" का अभिप्राय यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन आस्थान के मूल्य अवधारण के लिये गुणक (multiple) से है और जब कोई बन्धककर्त्ता या वादऋणी ऐसे दो या उससे अधिक आस्थानों के स्वामी के रूप में अधिकारी हो जिनके लिये उक्त अधिनियम के अधीन भिन्न गुणकों की व्यवस्था की गयी हो, तो ऐसे आस्थानों के संबंध में गुणकों का औसत ;

किन्तु सदैव यह प्रतिबन्ध है कि जहां उक्त अधिनियम के अधीन ME ४० से अधिक हो, तो वह ४० के बराबर समझा जायगा।

[४--"MRG" का अभिप्राय ऐसे गुणक से है जो निम्नलिखित तालिका के अनुसार लागू हो :--

तालिका

यदि बन्धककर्त्ता या वाद-ऋणी द्वारा देय मालगुजारी	उपखंड (४) के प्रयोजनों के लिये गुणक
२० रुपया तक हो ..	२०
२५ रुपया से अधिक हो किन्तु ५० रुपया से अधिक न हो	१७
५० रुपया से अधिक हो किन्तु १०० रुपया से अधिक न हो	१४
१०० रुपया से अधिक हो किन्तु २५० रु० से अधिक न हो	११
२५० रुपया से अधिक हो किन्तु ५०० रु० से अधिक न हो	८
५०० रुपया से अधिक हो किन्तु २,००० रु० से अधिक न हो	५
२,००० रुपया से अधिक हो किन्तु ३,५०० रु० से अधिक न हो	३
३,५०० रुपया से अधिक हो किन्तु ५,००० रुपया से अधिक न हो	२
५,००० रुपया से अधिक हो किन्तु १०,००० रु० से अधिक न हो	१

स्पष्टीकरण :--उत्तर प्रदेश में बन्धककर्त्ता या वादऋणी पर लगायी गयी मालगुजारी की धनराशि के जोड़ने में, इस संबंध में सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की अनुसूची १ में दिये गये सिद्धांत लागू होंगे।]

अनुसूची २

(देखिए धारा८-क)

बेचे गये बन्ध में दिखाये गये मूल्य के प्रत्येक रुपये के लिये धनराशि उक्त रुपये की $\frac{ME}{8+MRG}$ बार होगी।

उक्त सूत्र में "ME" और "MRG" का तात्पर्य वही होगा जो उनको क्रमशः अनुसूची १ के पैरा २ के मद (३) और (४) में दिये गये हैं।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची २

(देखिए धारा ८–क)

बेचे गये बन्ध (bond) में दिखायी गयी धनराशि के प्रत्येक रुपये के लिये, ऐसी धनराशि जो उसकी $\frac{ME}{8}$ होगी।

उक्त सूत्र में ME का तात्पर्य वही होगा जो उसका अनुसूची १ के पद २ की मद (३) में है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

जमींदारी उन्मूलन कमेटी ने मध्यवर्तियों के ऋण को कम करने के संबंध में कुछ सिफारिशें की थीं। उन्होंने यह प्रकट किया था कि वर्तमान विधियों में जमींदारों के विनाश के कारण जमींदारों को अपने ऋण देने की कम हुई क्षमता का कोई समावेश नहीं है। कमेटी को यह उचित और न्याय युक्त प्रतीत हुआ कि जमींदारी विनाश के बाद जमींदारों की भूमि के कम हुए मूल्य के अनुपात में उनका ऋण भी कम कर दिया जाय। सरकार ने कमेटी की विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया और अपने निर्णय को इस विधेयक में रखा है जो विधान मंडल के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस विधेयक में निम्नलिखित को देय ऋण के कम करने की व्यवस्था नहीं है।

(१) केन्द्रीय सरकार,
(२) किसी राज्य की सरकार,
(३) स्थानिक अधिकारिकी (लोकल अथारिटी),
(४) अनुसूचित बैंक,
(५) सहकारी संस्था, और
(६) वक्फ, न्यास (ट्रस्ट) या निबन्ध (इन्डाउमेंट) जो दानोत्तर हों।

विधेयक में डिक्री देते समय सुरक्षित ऋण (सिक्योर्ड डेट) कोअथवा निपटान से पूर्व ऐसे ऋणों को जिनके विषय में डिक्री दी गयी हो, कम करने की व्यवस्था की गयी है। सुरक्षित ऋण को कम करने के उपरान्त कम की गयी धनाराशि का प्रारंभिक (ओरिजनल) ऋण से वही अनुपात होगा जो जमींदारी विनाश के उपरान्त जमींदारी के हस्तगत करने के लिये प्रतिकर निर्धारण के निमित्त निश्चित पक्की निकासी संकलित ऋणी को दिये जाने वाले पुनर्वासन अनुदान के गुणक का उस गुणक के साथ होगा जो उस क्षेत्र के लिये जिसमें जमींदारी स्थित हो, यू० पी० इन्कमबर्ड स्टेट्स एक्ट के अधीन नियत किया गया हो, ऐसे ऋणों का हिसाब जो सुरक्षित नहीं, विधेयक की अनुसूची २ के अनुसार होगा। विधेयक में यह व्यवस्था भी की गयी है कि मध्यवर्ती को मिलने वाले प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान के चौथाई भाग के बराबर धनराशि उसके पास बच रहे।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—४३ एल० ए०—१९५२—८३०